Tuesday, 12 July, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit. Parliament Library. Accepted 1-9-92

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27 मंगलवार, 12 जुलाई, 1977/21 आषाढ, 1899 (शक)

No. 27 Tuesday, July 12, 1977/Asadha 21, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions	
*तारांकित प्रश्न संख्या 425, 427 से 430, 432 और 433	Starred questions Nos. 425, 427 to 430 432 and 433	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 16	Short Notice question No. 16	15—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	Written Answers to questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 426, 431 और 434 से 444	Starred questions Nos. 426, 431 and 434 to 444	20—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 3147, 3148, 3150 से 3216, और 3218 से 3284	Unstarred questions Nos. 3147, 3148, 3150 to 3216 and 3218 to 3284. .	27—104
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table-	105—106
मैसर्स जमनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे० खन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला	Question of Privilege against Shri Kishore J. Tanna of Messers Jamnadas Madhavji & Co. Bombay	106
सभा के कार्य के बारे में	*Re*-Business of the House . . .	106
अनुदानों की मांगें, 1977-78--	Demands for Grants, 1977-78 .	
श्रम मन्त्रालय--	Ministry of Labour—	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	106—110
गृह मन्त्रालय--	Ministry of Home Affairs —	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	110—126
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwary	126—127
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	127—129
श्री मुकन्द मण्डल	Shri Mukunda Mandal	129—131

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	1311—32
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	132
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad	133—134
श्री टी० एस० एलनचेजियन	Shri V. S. Elanchezhian	
श्री भानु कुमार शास्त्री	Shri Bhanu Kumar Shastri	134—135
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	135—136
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	137

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 जुलाई, 1977/21 आषाढ़, 1899 (शक)

Tuesday, July 12, 1977/Asadha 21, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conversion of Metre Gauge Line into Broad Gauge Line in Udaipur Division

†*425. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether his Ministry are considering a proposal to convert metre gauge line into broad gauge line for facilitating the transportation of rock phosphate and other minerals in Udaipur Division ; and

(b) if so, the outline of this proposal and the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No, however alternative arrangements have been made by way of providing additional line and terminal capacities on the existing metre gauge line.

(b) Does not arise.

Shri Lalji Bhai: Sir, Government should take such a step for facilitating the transportation of rock phosphate from Hindustan Zinc of Udaipur district. I would like to know the quantity of rock phosphate that is accumulated there every year and the reasons why it cannot be lifted therefrom ? Main reason, to my mind, can be the absence of a broad-gauge line there which should be constructed. Will the Hon'ble Minister look into it ?

Prof. Madhu Dandavate : In a meeting of the representatives of Rajasthan Government and the Railway Ministry with Planning Commission held in 1971, it was stated that the production of rock phosphate would be of the order of about 700 tonnes in 1971, 2500 tonnes in 1973 and 5,000 tonnes in 1974. The target for 1974 could not be reached but there we require wagons for transportation. Wagons have been arranged. No difficulty has been felt so far in the matter of transportation.

Shri Lalji Bhai : The Hon'ble Minister has stated that wagons etc. have been arranged for transportation. But these are minor reasons. The main reason is that there is no broad gauge line there, which should be constructed. I would like to know the quantity of rock phosphate that gets accumulated there year-wise, and that could not be lifted therefrom ?

Prof. Madhu Dandavate : In the reply, I have stated that we have made several alternative arrangements ; which are as under :

Loading point—additional facilities at Udaipur city.

Providing four additional crossing stations at : Nasirabad—Bandanwara, Lanbia—Mandal, Hamirgarh, Bhilwara, Sambhupura Nimbahara.

Additional loops at : Mandal, Gangnar, Rupahali.

Extension of loop at : Lanbia, Hamirgarh, Mandsaur.

Providing additional crossing stations between : Dhodhar, Dalanda, Dhodhar-Jaora, Mandsaur-Piplia, Nale-Ratlam.

Broadgauge line can be extended upto Sabarmati on the one side and upto Ratlam on the other side. Capacity has reached saturation at Sabarmati and that is why we have made the diversion towards Ratlam. Keeping in view the present financial conditions, these alternative arrangements are quite fit and in order and by making use of these arrangements and the INC wagons, there would not be any difficulty. However, I assure the Hon'ble Member that if inspite of these arrangements, work suffered, the suggestion made by him will be given due consideration.

Shri Lalji Bhai : The main thrust of my question is whether a broad gauge line would be constructed there or not.

Prof. Madhu Dandavate : I have replied to that. We hve made arrangements for the wagons needed for clearing rock phosphate.

Shri Bhanu Kumar Shastri : The reply given by the Hon'ble Minister is not convincing. There is a rock phosphate deposit in Rajasthan and it is also imported from other countries. It is needed most in the South. It is situated on a hill, 8 miles away from Udaipur. Now a business man loads his rock phosphate on the trucks for being transported to the South India or Gujarat, unloads it at Udaipur and thereafter he would have to undergo the loading and unloading process at Ratlam for taking it to the broad gauge line. This increases the cost so much that our rock phosphate becomes costlier than that imported from abroad. Rajasthan is the most backward State and for want of this facility, it is being deprived of the revenues. Will Government consider the proposal of linking Kharva Chanda, which is one mile away from the station, at least by meter gauge, if not by broad gauge, to avoid this repeated loading and unloading ? Government of India have already conducted a survey of Kharva Chanda.

Prof. Madhu Dandavate : I admit, it is a fact that if we had converted into broad gauge, it would have been a very good alternative arrangement. But the real snag in the conversion is that we would have to do it for 350 kilometers from Ajmer. It is not possible to convert the small route into broad gauge. Therefore, we would have to do it from Ajmer and this involves a cost of Rs. 35 crores. If we would arrange for this amount, then it would have been a very good alternative but if we cannot do it, and do not make any other alternative arrangement also, then this will put us to a considerable loss. Therefore, the second best alternative will be to make some alternative arrangement.

However, so long as we cannot go in for broad-gauge conversio we will have to consider in terms of carrying on the work with the meter-gauge. I assure the Hon'ble Member that due consideration will be given to the suggestion made by him.

Shri Jagdish Prasad Mathur : Hon'ble Minister had stated in the Railway Budget that there is a proposal for providing a broad-gauge line from Ahmedabad to Delhi. If it is linked with Marwar Junction, it will be proper. If a broad-gauge line is provided from Ahmedabad and Delhi and some area between these two stations is left uncovered, this will put us in a good deal of trouble. Will the Hon'ble Minister have a survey conducted in view of my submission ?

Prof. Madhu Dandavate : I cannot give any reply in this connection without having a survey conducted. At the moment, I can say that we will give due consideration to his suggestion.

Shri Yuvraj : Will the conversion of present meter-gauge line into broad-gauge line increase the transportation and reduce the expenditure thereon ?

Prof. Madhu Dandavate : The question is of initial investment. For example, if we switch-over to electrification from diesel, the cost at the end will be less but the initial investment is very heavy, which we cannot arrange. Still, we have no differences, in so far as the perspective presented by the Hon'ble Member is concerned.

निःशुल्क रेलवे पास जारी करने के मानदंड

*427. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशुल्क रेलवे (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी) पास जारी करने लिए नए प्रतिमान और मानदंड बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विनिश्चय इसी सप्ताह हो जाएगा।

श्री आर० के० महालगी : क्या प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के निःशुल्क रेलवे पासों को जारी करने सम्बंधी नए मानदण्ड निर्धारित करना जरूरी हो गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : निःशुल्क पासधारियों की सूची को देखने से पता चला कि कुछ मामलों में निःशुल्क पास किसी निश्चित मानदण्ड को अपनाए बिना जारी कर दिए गए। इनमें से बहुत को सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है जबकि हमारी जानकारी के अनुसार वे कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे थे। इसमें संगठनों और संस्थाओं की बजाय व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया गया। हम ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिनमें बल संगठनों और संस्थाओं को दिया जाएगा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।

श्री आर० के० महालगी : अब श्रेणीवार कितने पास दिए जाते हैं ? यदि नए मानदण्ड इसी सप्ताह में निर्धारित कर दिए गए तो क्या ये सभी निःशुल्क पास रद्द हो जायेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैंने रेल मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला तब 326 पास दिए जाते थे। इसमें विशिष्ट मार्गों अथवा देश भर के लिए विभिन्न समितियों के सदस्यों को दिए जाने वाले निःशुल्क पास शामिल नहीं थे। मैंने देखा कि इनमें से कुछ लोग निःशुल्क पास के पात्र नहीं थे। उनके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि इनकी अवधि समाप्त होने के बाद इनका नवीकरण न किया जाए। इस प्रकार अब केवल 248 ऐसे पास रह गए हैं। इनमें से कुछ पासों का नवीकरण नहीं किया जाएगा। एक सप्ताह में मानदण्ड निर्धारित कर दिए जायेंगे और तब ये सब बातें तय हो जायेंगी।

माननीय सदस्य : क्या सरकार सभी प्रकार के निःशुल्क पासों को समाप्त करने के लिए निर्णय लेगी ताकि सभी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण को समाप्त किया जा सके?

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो सभी के प्रति अन्याय होगा। इसमें कुछ सही मामले भी हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए मानदण्ड निर्धारित करते समय मैं किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आऊंगा। सदस्य चाहे कांग्रेस दल का हो या जनता पार्टी का, हम सभी के लिए मानदण्ड निर्धारित करेंगे और उसके अनुसार पास बांटे जायेंगे।

Dr. Ramji Singh : Will Hon'ble Minister fix some objective criteria for these complementary passes ? Have the passes been issued on personal considerations in the past ? Will the record to this effect be laid on the table of the House ?

Prof. Madhu Dandavate : I don't want to make any personal insinuator against any member or Minister. But from the list it is clear that the passes were not given only to the important persons and institutions. We shall fix some definite norms according to which these passes will be given to the institutions. The norms will be laid on the table of the House.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : समाचारपत्रों में पिछले महीने प्रकाशित समाचारों अनुसार जब माननीय मंत्री मद्रास गए थे तो उन्होंने दक्षिण रेलवे मजदूर संघ के प्रति अपनी विशेष कृपा दिखाई और रियायती दरों पर दो विशेष रेलें चलाई गई ताकि संघ के लोग अपनी बैठक में उपस्थित हो सकें। कृपया इस प्रश्न से बचने की कोशिश न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : रियायती दरों पर रेलों की व्यवस्था करने के लिए निश्चित सिद्धान्त हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों ने प्रशासन से कुछ गाड़ियां आरक्षित करने के लिये कहा। ट्रेन आरक्षित करने के लिए कुछ राशि अग्रिम जमा करनी होती है और राशि जमा हो जाने के बाद हम इस बात की चिन्ता नहीं करते कि गाड़ी किसी मजदूर संघ ने बुक कराई है या किसी राजनीतिक दल ने। भविष्य में भी यदि ऐसी मांग आई तो हम उसे नियमों के अनुसार पूरा करेंगे।

श्री के० ए० राजन : क्या वह एक मजदूर संघ को कम से कम एक पास जारी करने पर विचार कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : दुर्भाग्यवश देश में बहुत से मजदूर संघ हैं। यदि मैं यह घोषणा कर दूं कि इस प्रकार पास जारी किए जायेंगे तो मजदूर संघों में एकता नहीं आएगी बल्कि इससे मजदूर संघों की संख्या और बढ़ेगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा।

Shri Roopnath Singh Yadav : In his Budget speech, the Railway Minister had assured that classless trains will be introduced. If that assurance is fulfilled, the practice of issuing such passes will be dispersed with.

Prof. Madhu Dandavate : This question does not arise out of the main question.

Shri Balbir Singh : Will the Hon'ble Member order a High-powered enquiry to ascertain whether such complementary passes which were issued to the personnel of former Ministers were misused for smuggling ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यदि यह सिद्ध हो गया कि ये पास तस्करी के उद्देश्य से दिए गए थे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा वर्ना माननीय सदस्य त्यागपत्र दें। मंत्री महोदय इसकी जांच करें। इस प्रकार का कीचड़ उछालना ठीक नही। (**व्यवधा**) श्रीमन् मैं इस सम्बन्ध में जांच की मांग करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेसन : इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं और इन गाड़ियों में लगभग सभी ने बिना टिकट यात्रा की थी। इन स्पेशल गाड़ियों को चलाने के लिए कई माल गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थीं जिससे रेलवे को भारी नुकसान हुआ था।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य रेल प्रशासन से भलीभांति परिचित हैं। जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके पास तो पास होते हैं। उनकी गणना बिना टिकट यात्रा करने वालों में नहीं की जा सकती।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की शिकायतें

*428. **श्री रामानन्द तिवारी :**
श्री समर गुह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बन्धित लगभग 3500 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की शिकायतों के बारे में 8 अप्रैल, 1977 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनियमित पदोन्नति और अन्य नीतियों के बारे में शिकायतें की गई हैं;

(ग) क्या तर्कसंगत कार्मिक नीति न होने के कारण बहुत से अर्हता प्राप्त वज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सेवा छोड़ दी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से नौकरी छोड़ कर चले गए; और

(ङ) क्या इस आयोग में काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी; और यदि हां, तो इसके लिए किस प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिकारी संघ के प्रतिनिधि मुझ से ओ० एन० जी० सी० के अध्यक्ष की उपस्थिति में 22-6-1977 को मिले और उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी समस्याओं का समाधान आयोग के अध्यक्ष से चर्चा कर के कर लें। संघों को यह भी सलाह दी गई है कि वे हमें उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनके बारे में वे सोचते हों कि ओ० एन० जी० सी० द्वारा की गई कार्रवाई नियमों के अनुसार नहीं है।

Shri Ramanand Tiwari : Will the Government constitute a committee to look into the irregularities committed in the matter of promotion of 3500 engineers ?

Shri H. N. Bahuguna ; Sir, there is no need of it because on closely scrutinising this matter I have found that in all 931 persons got promotions and only 604 persons have been recruited directly. It adds upto 1535 persons. Out of these the outsiders' number is 766. These outsiders were either graduate trainees or technical assistants.

These fellows joined the service at the lowest level. In fact 341 of them belong to the special community who would have been recruited on reserved posts. In this way the number of those who have been recruited outside the rules is only 41. The Commission enjoys special powers to appoint a person in special circumstances by relaxing the rules. When off shore work was undertaken some persons had to be appointed in connection with marine engineering, I have talked to the officer and have told them to mention the name of anyone person who has been appointed in a wrong manner. If any specific case is brought to my notice, I shall look into the matter. They have not yet mentioned any specific instance. So there is no need of any enquiry committee.

Shri Ramanand Tiwari : On the one hand the Government admits that their attention has been drawn to the report published in "Times of India dated the 8th April. It has also been advised that the representatives of the Association to s lve the problem by further discussions with the Chairman of the Commission. Then why they are not constituting a Committee ?

Shri H N. Bahuguna : When it appeared in the Times of India, I saw it and sent its cutting to the Chairman of O.N.G.C. for his comments. After receiving his comments I met with the representatives of the Union to get first hand report about grievances. They could not give any specific case of irregularity. The newspaper report only says that the engineers are sore over the promotion policy. It was a comment about the general policy. I asked for the proof and advised them to have further discussions with the chairman because we have to decide certain matters. For example they are demanding education allowance for their children. At present we pay this allowance to officers drawing basic pay upto Rs. 1200/- whereas in Central Government it is paid to the persons drawing basic pay upto Rs. 600/-. I told them to consider the difficulties of the country, We have not enough funds to meet this demand. Then they asked for increase in the conveyance allowance and house rent allowance.

There are other Government Undertakings also. If we accept their demand for enhancement in their case, it will have direct impact elsewhere also. There are two reasons for the resentment are being the promotion policy, which is directly connected with ONGC, and the other being their exepectations. We are helpless in accepting this. The Chairman of O.N.G.C. sends so many recommendations to us but we are helpless in accepting these recommendations in view of cur weak economy. However, we shall see what we can do in this regards?

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि ईराक सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से समुद्र-तट पर खुदाई के बारे में करार किया था परन्तु काम बीच में ही छोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप 8 करोड़ रुपए का नुसकान हुआ। यदि हां, तो करार पूरा न करने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? पहले वह हैदराबाद में चीनी मिल मालिक था। पता चला है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन होते हुए भी वह अक्सर हैदराबाद जाते रहते थे और अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने की बजाए वह दिल्ली में ही रहते थे। यह भी पता चला है कि उन्होंने कई बार विदेशों का दौरा किया। वहां वह बड़े मंहगे होटलों में ठहरे। चेयरमैन ऐसे मंहगे होटलों में ठहरने का पात्र नहीं है। पदोन्नति तथा भर्ती के मामले में भी कई अनियमितताएं बरती गई। कुछ वैज्ञानिकों की शिकायत है कि 7 वर्ष की नौकरी के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिली जब कि कुछ अन्य कर्मचारियों को दो-तीन साल की सेवा के बाद ही पदोन्नति मिल गई। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : ऐसा प्रश्न उठाने के लिए मैं श्री समर गुह का आभारी हूं। लेकिन इसी बारे में अतारांकित प्रश्न पूछा गया था। मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। पहला प्रश्न ईराक के बारे

में पूछा गया है। हमने ईराक के साथ यह समझौता किया था कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में ईराक और हमारे अध्ययन, भूकंपीय सर्वेक्षण इत्यादि के परिणाम तेल सम्भाव्यता क्षेत्र में तेल मिलने पर हम दोनों देश तेल को बांट लेंगे। ईराक का विचार था कि यदि एक कुंए से प्रतिदिन 25,000 बैरल से अधिक तेल नहीं निकलता तो उसे किफायती नहीं कहा जा सकता। तेल की खुदाई करने पर कूंए से प्रतिदिन 22,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकला। अतः ईराक ने कहा कि वह आगे काम नहीं करना चाहता और इस प्रकार करार बीच में ही रह गया। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारे तकनीशियनों ने उनकी क्षमता पर प्रभाव डाला है और ईराकी सरकार ने तेल की खुदाई के लिए भारत सरकार के साथ करार करना उचित समझा। उन्होंने कहा कि हम खुदाई करें और तेल निकले या न निकले वह धन देंगे। 20 लाख डालर का ठेका हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हमने ईराक में जो कुछ किया वह बेकार था और हमारी क्षमता अच्छी नहीं थी तो ईराकी सरकार ने मात्र भारत या तेल प्राकृतिक गैस आयोग को प्रसन्न करने के लिए यह ठेका न देता। अतः किसी विशिष्ट कार्य के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं ईराक के पेट्रोलियम मंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा कि लाभकारी कूंए न खोदना दोनों देशों का दुर्भाग्य रहा है। इसके लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दोषी ठहराना ठीक नहीं।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे यह शिकयत मिली है कि चेयरमैन का सम्बन्ध चीनी उद्योग से है या वह विदेशों में महंगे होटलों में ठहरने हैं ? जब श्री समर गुह ने यह प्रश्न उठाया था तो जांच की गई थी और उससे पता चला कि उनका चीनी उद्योग से कुछ सम्बन्ध है। पहले वह भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में थे और काफी लोगों द्वारा चुने गए थे। मैं न तो उन्हें प्रमाण पत्र दे रहा हूं और न ही ऐसा करने से पीछे हट रहा हूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनके चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिस पर ध्यान दिया जाता।

जहां तक विदेशों में महंगे होटलों में ठहरने का सवाल है, यह सही नहीं है कि उन्होंने महंगे होटलों में ठहरकर सीमा से अधिक व्यय किया। नियमों में पदानुसार आवास के प्रकार का प्रावधान किया गया है। अतः कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता और अधिक पैसे नहीं ले सकता। क्योंकि ऐसा करने से लेखा परीक्षण वालों की नजर में सब कुछ आ जाएगा। अभी तक लेखा परीक्षण वालों ने कोई शिकायत नहीं भेजी है अतः लेखा परीक्षण भी प्रश्न के पक्ष में नहीं है।

अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या कुछ लोगों की पदोन्नति की गई और कुछ की नहीं। पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है। इस समिति की गत तीन वर्षों में 117 बैठकें हुई और इनकी अध्यक्षता और सदस्यता विभिन्न लोगों द्वारा की गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि उच्च अर्हता प्राप्त अधिकार बेरोजगारी की स्थिति के कारण वरिष्ठता में सबसे पीछे रहे लेकिन पद रिक्त होने पर उन्होंने पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लिया फिर भी मैंने केन्द्र सरकार से ऐसे विशिष्ट मामलों को बताने के लिए कहा। यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में पक्षपात हुआ है तो मैं शीध्र ही उस पर ध्यान दूंगा।

Shri Phirangi Prasad : The hon. Minister has stated in the answer that enquiry has been conducted. I would like to know at what level enqqiry was conducted ? I have also some information that irregularities have been committed and if you desire, I will send it in writing later on. I would like to know what objection he has got in constituting a committee to go into the working of Committee which has been appointed with a discrimination of North-South ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं पूरे जोर से इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं। यह एक खतरनाक स्थिति है। उत्तर दक्षिण का प्रश्न ऐसे मामलों में नहीं उठाया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रश्न करने से देश की हानि होती है।

If the hon. Member has specific case in which favour has been shown, in the matter of promotion, I assure him that we will not tolerate any work done out of the way ; may it be North or South, East or West.

श्री हुकम राय : मंत्री महोदय ने फरमाया है कि कुछ पद चेयरमैन के स्वविवेक पर भरे जाते हैं। 'आयल कमेन्ट्री' पत्रिका का सम्पादक मुश्किल से दसवीं पास है जबकि स्नातकोत्तर लोग और वे लोग जिन्हें लन्दन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है बेकार बैठे हैं। मंत्री स्तर पर हस्तक्षेप के कारण उसके प्रति पक्षपात दिखाया गया है। शायद श्री के० मालवीय या किसी अन्य के कारण ऐसा पक्षपात् किया गया।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : माननीय सदस्य सम्बन्धित प्रश्न की सीमा से बाहर चले गए हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का 'आयल कमेन्ट्री' के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकाशन की देखरेख एक दूसरा संगठन करता है। मैं पूरे संगठन की जांच कर रहा हूं और माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि कुछ दिन पूर्व मैंने सचिव को टिप्पणी लिखकर यह पूछा है कि इस संगठन के तथा वहां नियक्त विभिन्न कर्मचारियों के बने रहने का क्या औचित्य है।

Shri Chhabi Ram Argal : I would like to know the number of appointments made in Oil and Natural Gas Commission and the percentage of Scheduled Caste and Scheduled tribe candidates among them. May I know whether the reservation quota has been filled up in accordance with the roster register ?

Shri H. N. Bahuguna : I say with regret that reservation quota has not been filled up for the last several years. It will be our endeavour to fill up the quota as far as possible. While speaking on the demands of my Ministry I have told that it is being examined in depth as to how many persons are to be taken from each category. Therefore, by the time the statistics are prepared, it will be provided that unless required reservation is made by Central Government, 50 per cent people belonging to these categories will be taken in service.

Shri Kishore Lal: I would like to know the annual expenditure of O.N.G.C. on entertainment ?

Shri H. N. Bahuguna : For this I require notice. Moreover, it does not arise of the original question.

आसम राज्य में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना

*429. **श्री निहार लास्कर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार आसाम राज्य में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी हां, आसाम राज्य में, आयल इण्डिया लि० और ओ० एन० जी० सी० के तेल क्षेत्रों से प्राप्त गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। संयंत्र स्थल, उसका आकार आदि के बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय प्राप्त होने की आशा है। संयंत्र की लागत उसके आकार पर निर्भर करेगी अतः इस स्तर पर लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री निहार वास्कर: निस्संदेह यह स्वागत योग्य निर्णय नहीं है, फिर भी मैंने दो या तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रस्ताव करने के बाद अन्तिम निर्णय होने में विलम्ब क्यों किया गया ? स्थापना स्थल के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई ?

श्रीहेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने अपेक्षा से अधिक तेजी से मामले की जांच की है। हम इस योजना काल में इसे पूरा करने के लिए बचनवद्ध हैं। हमने उपलब्ध कुल गैस का अनुमान लगा लिया है। हमने संयंत्र के आकार को ऐसा रखने का निश्चय किया है जो गैस की उपलब्धता के अनुकूल हो। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाना है और इसका आदेश दिया जा चुका है। हम अनावश्यक विलम्ब नहीं कर रहे।

श्री निहार लास्कर : स्थापना स्थल के चयन के लिए क्या रचनातममक प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसकी स्थापना वैसी ही होगी जैसी नामरूप में वर्तमान 20 संयंत्र – 600 टन तथा 200 टन के हैं।

श्री वेदव्रत बरूआ : यह प्रश्न गत सरकार के भी विचाराधीन था ; मंत्री महोदय ने जो बात कही, वह श्री मालवीय पहले ही कह चुके थे। वस्तुतः जलाई जाने वाली गैस की मात्रा कहीं ज्यादा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह अनुदेश है कि परियोजना ऐसी ऐसी होगी कि गैस का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाएगा। यदि नहीं, तो क्या बेकार जाने वाली गैस का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस हेतु निजी आवेदन मिले हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : निजी कम्पनियों को लाइसेंस देने का प्रश्न नहीं उठता। हमने अपना संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली गैस को पाइप द्वारा नामरुप तक लाया जाएगा हमने जिस नियन्त्रण रहित गैस का पता लगाया है तथा वह गैस जो हम जला रहे हैं हमारे 600 टन क्षमता वाले संयंत्र द्वारा उपभोग की जाने वाली गैस से कहीं अधिक है। इसलिए हम 900 टन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं जो अधिक लाभकर है। लेकिन उपलब्ध गैस 600 टन से अधिक नहीं लगती अतः 600 टन वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गैर सरकारी कम्पनी को गैस देने का प्रश्न नही उठता।

Dr. Baldev Prakash: Would the hon. Minister tell whether there was any suggestion to set up a sulfar based fertilizer plant in Bhatinda, Punjab and whether Government has taken any decision in this regard ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

Shri Brij Bhushan Tiwary : I would like to know whether this plant will be set up with foreign collaboration or with indigenous technology.

Shri H.N. Bahuguna : We have achieved a great success in regard to technology of setting up fertlizer plant. We shall set up this plant with the assistance of Engineers India Ltd., and P and D Department of Sindri. We have to import some critical parts and now-how.

श्री बयालार रवि : क्या सरकार इस संयंत्र के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी लगाएगी या विदेशी सहयोग करेगी ।

Trains Between Delhi and Bombay

*430. **Shri Raghavji** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) the total number of passenger trains of Central Railway operating between Delhi and Bombay and for how many years no addition has been made to this number; and

(b) whether there is any proposal to run any new passenger train on the above line between Delhi and Bombay ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) (a) and (b) : A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) . Through traffic between Bombay and Delhi moves via Western Railway route which is shorter, faster and cheaper. On this reoute the number of trains has been increased to six pairs at present. On the Central Railway route there are only two direct train between Bombay VT and Delhi namely 5/6 Punjab Mail and 57/58 Dadar-Amritsar Express for a long time. The traffic which was cleared by these trains was largely for stations short of Mathura Jn. and for stations towards Kanpur, Lucknow and beyond. Apart from dieselising these two trains and augmenting their loads, Railways have introduced 115/116 Bombay-Lucknow Express, 137/138 Bilaspur-Nazamudddin Chhatisgarh Express, 201/202 Bombay-Manmad Panchwati Express and 149/150 Agra-Nizamuddin Qutab Express. By segregating the different types of traffic and clearing them by indenpendent fast services and also by withdrawing sectional through coaches on 5/6 Pujbab Mail and 57/58 Dadar-Amritsar Express, it has been possible to cater to the growth of traffiic on this route over period of years. For instance by introduction of 137/138 Chhatisgarh Express and 115/116 Bombay-Lucknow Express eight through coaches—six between Bombay-Lucknow and two between Delhi-Jabalpur have been withdrawn from Punjab Mail and Dadar-Amritasr Express thereby releasing accommodation for through passengers between Bombay VT and Delhi.

Apart from traffic justification, introduction of an additional direct train between Bombay and Delhi has not been found operationally feasible for want of requisite terminal facilities at Bombay-Delhi/New Delhi and spare line capacity on sections enroute.

Shri Raghavji : Mr. Deputy Speaker, sir, the hon'ble Minister has given three seasons about the trains running between Bombay and Delhi on Central Railway. The first reason has been stated as justification of traffic, secondly required terminal facilities and thirdly inadequate spare line capacity on sections enroute. If the hon'ble Minister aware of the fact that the trains being run from sectional Stations on Central Railway are not catering to the needs of the vast area covered by them ? There only two trains from Agra to Jhansi for Bombay. Secondly in order to inprove to the requisite terminal facilities Dadar in Bombay and Nizamuddin in Delhi have been made terminal stations where most of the trains terminate. This has removed the inconvenience. Only two trains have been running for the last fifty years. What is the difficulty before the Government to increase their number ?

Prof. Madu Dandavate : The traffic between Bombay and Delhi moves via Western Railway route., because it is shorter as well as cheaper and is also most convenient from the point of view of speed. Our experience is that most of the passengers travel by this route. Therefore, six pairs of trains have been increased on this route.

So far as Central Railway is concerned, I would like to inform you that according to the figures available with us, the number of passengers is rather high who travel direct from Bombay to Delhi on Western Railway. But so far as passenger traffic on Central Railway is concerned most of the passengers like to travel upto Kanpur, Lucknow, Agra and some of them upto Mathura Station. So most of the passenger load direct from Delhi to Bombay is cleared by Western Railway. We have, therefore manage to increase traffic capacity in trains running on direct routes. In order to decrease the traffic load on these trains we have introduced Bombay-Lucknow Express, Bilaspur-Nizamuddin Chhattisgarh Express, Bombay-Manmad Panchvati Express and Agra-Nizamuddin Kutab Express. Previously through coaches used to be attached to Punjab Mail and Dadar-Amritsar Express trains for passengers travelling to Lucknow and other places. But these have now been withdrawn for releasing accommodation for through passengers for Bombay.

The other question has been raised about terminal capacitay. We are paying our attention to this aspect also. If terminal capacity of Dadar-Bombay line increases in the near future we would introduce more trains on this route. But so far as the present position is concerned, I cannot say anything.

Shri Raghavji : The hon'ble Minister has just repeated his original reply, he has not said anything new. My contention was that there are only two trains from Agra to Bombay enroute Jhansi and other sectional stations and there is heavy traffic in these trains so that passengers have to travel on the roofs of the coaches.

Thirdly, the hon'ble Minister has mentioned about the additional capacity of sectional Railway lines. I want to know from him in this regard the efforts made for increasing the capacity of the sectional lines during the last fifty years. I want to know the number of such sectional lines where there is no double railway line and when this capacity is likely to be increased so that arrangements may be made to introduce a Janta Express train between Bomaby and Delhi on Central Railway ?

Prof. Madhu Dandavate : As I have said we are trying to increase terminal capacity and line capacity as well. I would like to assure the hon member that efforts will be made to increase the number of trains on Central Railway also.

Shri Chhabiram Argal : Rajghat Bridge on Dhaulpur and Madhya Pradesh boader on Agra-Bombay road and Couting bridge have given way with the result that there is a traffic jam there. Only Railway traffic is in operation. This has caused great difficulty to the passengers. In view of this will the Minister arrange to increase the number of additional passenger as well as goods trains ?

Prof. Madhu Dandavate : I shall difinitely look into this suggestion.

Shri Pramanand Govindjiwala : The hon'ble Minister has said that there is heavy traffic between Bombay and Delhi on Western Railway. I want to know from him whether seats are available in the first and Second Class in both the trains on Central Railway ?

Secondly, is it a fact that the train services between Bhusawal and Itarsi sector were reduced during 1965 war and these services have not been resumed so far ?

Prof. Madhu Dandavate : I have already mentioned that there is heavy passenger traffic on these trains at present. But most of the rush has been cleared with the introduction of additional trains. The capacity of these trains has increased after withdrawing sectional through coaches for Lucknow and other stations. But the rush of traffic still persists there. As has been mentioned there is need to introduce one additional train, for which efforts will be made.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : This problem can be solved to a great extent if double-decker coaches are introduced.

Prof. Madhu Dandavate : Double decker coaches will not be introduced for long distance journeys.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The train being operated between Delhi and Jaipur should be extended upto Ajmer, because there is no train during day time.

Prof. Madhu Dandavate : Some Members have suggested this and we are giving a thought to that. But I cannot give you a definite assurance at this moment.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Please extend it after due consideration.

Prof. Madhu Dandavate : It is under consideration.

Shri N.K. Shejwalkar : I am sorry that even to-day we are getting the same reply regarding running more trains on this line, which we have been hearing since last so many years.

You again talk of line capacity. Since then a number of trains have been introduced towards south, but not a single train has been increased between Delhi and Bombay. Only two trains—Pathankot Express and Punjab Mail— are there since long. I also wrote you about this, and I was informed that the matter will be considerd. I again request that this demand should be met.

Prof. Madhu Dandavate : I have not forgotten the demands I made from the opposition benches. I may as sure you that the matter is under active consideration and concrete steps will be taken.

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए रूस के साथ समझौता

*432. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हाल में अशोधित तेल की सप्लाई के लिए रूस के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ख) क्या उक्त अशोधित तेल के लिए दिया जाने वाला मूल्य अन्य देशों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य की तुलना में अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) से (ग). भारत तथा सोवियत संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत वर्ष 1977 के दौरान एक मिलि० मी० टन कच्चे तेल की सप्लाई के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन और सोवियत संघ की "सौ जुजनेफले एक्पोर्ट" के बीच में 21-2-77 को एक ठेके पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ठेके के और अगले ब्यौरों को प्रकट करना इंडियन आयल कारपोरेशन के वाणिज्यिक हितों में वांछनीय नहीं होगा।

Chowdhry Balbir Singh : This one million tonnes of oil was purchased from USSR on higher rate. Hon. Minister says that it will not be in the public interest to tell the rate. The out going Government concluded this underhand deal during election. This is not something like heavy water, about which nothing could be disclosed. We must know about crude oil. Whether hon. Minister was right in answering like that ?

Shri H. N. Bahuguna : It is not correct that we have purchased crude on higher prices. It is difficult to condemn the right action of the previous Government. For this crude we have not to pay in rupees. they will buy goods in exchange. I would like to make it clear that this rate is not high. I can show the rates in my chamber. I may be punished if my answer is found incorrect.

Chowdhry Balbir Singh : My question is very simple. The rates of other countries were lower or higher than this or not ?

Shri H. N. Bahuguna : No rate was lower than that. The O.P.E.C. countries never disclose the rates. You may realise my difficulty when I am not telling the rates.

बांकुरा के मेजिया तक नई रेलवे लाइन का निर्माण

***433. डा० विजय मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पश्चिम बंगाल में बांकुरा और मेजिया के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है, जिसे मन्त्रालय ने उधर अच्छा कोयला क्षेत्र होने के कारण निर्माण करने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो रेलवे लाइनें बिछाए जाने का वास्तविक कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और यदि हां, तो वह क्या है और किन-किन चरणों में कार्य पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) से (ग). बांकुरा और मेजिया के बीच एक रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरा होने वाला है। सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात् एक आक्लन तैयार किया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा रिपोर्टों की जांच कर लेने के बाद इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय लिया जाएगा।

डा० विजय मण्डल : कोयला खानों का कार्य शुरू करने से पहले यदि रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हो पाता तो क्या मंत्री महोदय कोयले के परिवहन का वैकल्पिक प्रबन्ध करने के बारे में कोयला और खान मंत्रालय से बात करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह लाइन ऐसे क्षेत्र में है जहां 1800 लाख टन कोयले का भण्डार है इतना ही नहीं इस लाइन के बढ़ने से उस भाग के आदिवासी क्षेत्र के विकास में भी सहायता मिलेगी। अतः दोनों बातों के महत्व को समझते हुए हम वहां निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं परन्तु सर्वेक्षण कार्य पूरा होने तक हमें रुकना होगा। सर्वेक्षण की जांच करनी होगी और उसके बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नियम संख्या 54(1) कहा गया हैं :—

"लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अवलम्बनीय प्रकार का है तो वह निदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछताछ की जाये कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां तो किस तिथि को"!

इसी नियम के उपनियम में कहा गया है :-

"अन्य प्रकरणों में अल्प सूचना प्रश्नों के लिए प्रक्रिया वही होगी जो ऐसे रूप भेदों के साथ अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, मौखिक उत्तर के लिए साधारण प्रश्नों के लिए हों ।"

इस प्रश्न का सम्बन्ध 6 महीने पूर्व अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने तथा स्टापों की व्यवस्था करने से है । यह अविलम्बनीय महत्व का मामला नहीं है ।

इसके अतिरिक्त नियम संख्या 41 (xii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है :—

"उसमें ऐसे प्रश्नों की सारतः पुनरुक्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो ।"

दो बातें उत्पन्न होती हैं । पहला मामले की अविलम्बनीयता । यह बात 6 महीने पहले हुई । अब इसमें जल्दी किस बात की है । इसके अतिरिक्त रेलवे बजट पर हुई चर्चा तथा प्रश्न काल के दौरान भी वाराणासी तथा अन्य स्थानों के बीच चलाई गई नई गाड़ियों और स्टापों के बारे में यही प्रश्न पूछे गए और उनका उत्तर भी दिया गया । आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

आपकी अनुमति से मैं एक साधारण प्रश्न पढ़ सकता हूं जिसे अस्वीकार कर दिया गया था ।

"क्या कृषि मंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए हैं ?"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये ।

श्री वयालार रवि : इस तरह का साधारण प्रश्न यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि यह राज्य का विषय है । साथ ही इस तरह का प्रश्न स्वीकार किया गया है । इस तरह दो नियम कैसे हो सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ निवेदन कर सकता हूं ?

श्री वसंत साठे : अविलम्बनीयता के प्रश्न का निर्णय अध्यक्ष ने करना है ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : श्रीमान इस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । समय सारिणी, नए स्टापों को लागू करने तथा पुराने स्टापों को समाप्त करने के लिए पहले ही कई समितियां कार्य कर रही हैं । दोनों ही पक्षों के कई सदस्य हैं, जिन्होंने मुझे लिखा है कि कुछ नए स्टाप चालू किए जायें तथा कुछ पुराने स्टापों को समाप्त किया जाये । सभी को मैंने कह दिया है कि यह बहुत बड़ी समस्या है और एक सप्ताह के अन्दर हम इस समस्या को हल करेंगे तथा इस बारे में हम कई सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करेंगे । कुछ परम्पराएं हैं और क्योंकि समय-सारणी निर्धारित करने तथा नए स्टापों को लागू करने, तथा कुछ पुराने स्टापों को समाप्त करने विशेषकर जो स्टाप चुनाव के दौरान लागू किए गए थे, के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने हैं, अतः यह आवश्यक मामला है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है । हमारा मुख्य आरोप यह है कि कुछ सदस्यों तथा मंत्री जी के बीच कुछ सांठ गांठ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है ? इस बात को हुए 6 महीने हो गए हैं फिर इसे आज यहां पेश करने की क्या आवश्यकता पड़ गई । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न को स्वीकार किया होगा ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अतिरिक्त रेलगाड़ियों को चलाया जाना और नये स्टाप बनाना

अ०सू०प्र० 16. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री ने मार्च, 1977 के लोक सभा चुनावों के ठीक पहले एक विशेष क्षेत्र में रेलगाड़ियों को अनेक नये स्टापों पर रुकवाना शुरू कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने वाराणसी के लिए अनेक अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई थीं और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने मार्च, 1977 में लोक सभा के चुनावों के अवसर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में सवारी गाड़ियों के 30 स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की थी ।

(ख), (ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) मार्च, 1977 में परीक्षण के तौर पर निम्नलिखित गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गयी थी :—

गाड़ियों का विवरण		स्टेशन का नाम जहां जहां ठहराने की व्यवस्था की गयी	तारीख जिससे ठहराने की व्यवस्था की गयी
1	2	3	4
1.	88 पटना-टाटानगर साउथ बिहार एक्सप्रेस	बांढ़	28-2-77
2.	87/88 पटना-टाटानगर साउथ बिहार एक्सप्रेस	जामतारा	16-3-77

1	2	3	4
3.	103/104 हावड़ा-नयी दिल्ली एस० सी० एक्सप्रेस	जस्सीडीह	10–3–77
4.	9/10 हवड़ा देहरादून एक्सप्रेस	कुदरा	11–3–77
5.	9/10 —यथोत—	बाबतपुर	8–3–77
6.	कालका-दिल्ली-हवड़ा मेल	भभुग्रा रोड	14–3–77
7.	1/2 कालका-दिल्ली-हवड़ा मेल	फफुन्द	16–3–77
8.	81/82 हवड़ा-नयी दिल्ली ए०सी० एक्सप्रेस	सासाराम	14–3–77
9.	3/4 हवड़ा-बम्बई मेल	सैयदराजा	18–3–77
10.	135/136 पटना-बरेली पैसेंजर	बहोरा-चांदिल	17–3–77
11.	13/14 सियालदह-दिल्ली ग्रपर इंडिया एक्सप्रेस	सकलडीहा	18–3–77
12.	——यथोक्त——	चौखंडी	14–3–77
13.	39/40 हवड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस	कु चामन	18–3–77
14.	—यथोक्त—	धीना	17–3–77
15.	——यथोक्त——	मन्दरक	15–3–77
16.	351/352 सहारनपुर-इलाहाबाद पैसेंजर	हरचन्दपुर	8–3–77
17.	——यथोक्त——	लाल गोपाल गंज	8–3–77
18.	——यथोक्त——	ग्रतरामपुर	8–3–77
19.	5/6 हवड़ा-ग्रमृतसर मेल	ग्रमेठी	8–3–77
20.	161/162 टाटानगर-ग्रमृतसर एक्सप्रेस	मंडा रोड	15–3–77
21.	——यथोक्त——	फफुन्द	16–3–77
22.	17/18 सिलीगुड़ी-ग्रागरा फोर्ट वैशाली एक्सप्रेस	रुडायन	28–2–77
23.	85/86 नयी दिल्ली-बरौनी ग्रसम मेल	फफुन्द	16–3–77
24.	51/52 सियालदह-जम्मू तवी एक्सप्रेस	कटेहरी	17–3–77
25.	17/18 सिलीगुड़ी-ग्रागरा फोर्ट-वैशाली एक्सप्रेस	बनकटा	7–3–77
26.	——यथोक्त——	ग्रगसौली	14–3–77
27.	47/48 गोरखपुर-लखनऊ शान-ए-ग्रवध	कर्नल गंज	15–3–77
28.	5/6 गोरखपुर-इलाहाबाद सिटी त्रिवेणी एक्सप्रेस	भूलनपुर हाल्ट	17–3–77
29.	55/56 फरुखाबाद-कानपुर एक्सप्रेस	मनीमऊ	17–3–77
30.	49/50 गोरखपुर-इलाहाबाद सिटी पूर्वांचल एक्सप्रेस	सलेमपुर	5–3–77

(ग) और (घ). यातायात के औचित्य को देखते हुए और आवश्यक साधनों के उपलब्ध होने पर वाराणसी आने-जाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त गाड़ियां सवारी चलायी गयी थीं :—

1. 157 158 नयी दिल्ली-वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रैस (दैनिक)	30–3–75 से
2. 165 166 अहमदाबाद-फैजाबाद वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस (5 दिन फैजाबाद तक और 2 दिन वाराणसी तक)	26–1–76 से
3. 139 140 मद्रास-ब्रोच-वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)	16–2–77 से
4. 107 108 झांसी-वाराणसी मुगलसराय बुंदेलखंड एक्सप्रैस (दैनिक)	1–3–77 से
5. 49 50 गोरखपुर-वाराणसी इलाहाबाद सिटी पूर्वाचल एक्सप्रेस (दैनिक)	1–1–1976 से (मोटर लाइन)
6. 83 84 दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस वाराणसी आने जाने के लिए बढ़ाई गयी। (दैनिक)	1–5–1976 से

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि आप विवरण को देखें तो पता चलेगा कि चुनाव के दौरान 18 दिनों में 30 नए स्टाप चालू किए गए। तीर्थस्थान के रूप में अमेठी भी उन में से एक है। अतः तत्कालीन रेल मंत्री ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिकाधिक मत प्राप्त करने के लिए ये स्टाप लागू किए और नई गाड़ियां चलाईं। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण वे इसमें सफल नहीं हुए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नए स्टाप लागू करने तथा नई गाड़ियां चलाने के लिए पहले क्या मापदंड था। क्या उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन किया है और नये स्टाप लागू करने तथा नई गाड़ियां चलाने के लिए इस सरकार ने क्या मापदंड अपनाया है ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य ने पूछा है कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने इन अतिरिक्त स्टापों को चालू करने में क्या मापदंड अपनाया था। मुझे इसका पता नहीं है। किन्तु इतने कम समय के अन्दर उन्होंने इन 30 नए स्टापों को चालू करने के अनुदेश दिए। ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ और न अब ऐसा हो रहा है। नए स्टाप अन्धाधुन्ध रूप से चालू किए गए। सामान्यतः जब कभी नए स्टाप चालू करने का कोई सुझाव आता है तो हमें उस पर पूरी तरह विचार करना होता है। हम उस सुझाव को सम्बन्धित विभाग को भेजते हैं। हमें पता करना होता है कि उस विशेष स्टेशन पर कितना यातायात होगा। अतः इस बात को महसूस करते हुए कि मनमाने ढंग से यह कदम उठाया गया है, सुझाव यह है कि इन सभी 30 स्टापों को परीक्षण के तौर पर परखा जाये।

2006 एल० एस०—2

मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि जब मनमाने ढंग से ये स्टाप लागू किए गए तो बाद में सभी विशेषज्ञों तथा विभागाध्यक्षों ने इन सब स्टापों पर विचार किया और उन्हें बाध्य होकर 13 स्टापों को बंद करना पड़ा। केवल 10 स्टापों को सही समझा गया। 7 स्टापों पर पुनः विचार करना है। इससे स्पष्ट है कि नए स्टाप लागू करने में निश्चित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया।

मैंने विवरण में जो कुछ कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इस समूची समस्या का एक रुचिकर पहलू यह है कि स्टापों को लागू करने का काम एक सप्ताह या दस दिनों के अन्दर किया गया और कोई स्टाप तो चुनावों से दो दिन पूर्व चालू किये गये। कई स्टाप तो टेलीफोन पर ही संदेश देकर चालू किए गए। चुनाव मार्च की 16, 17 तथा 18 तारीख को हुए थे ....(व्यवधान) मैं सभा को सूचित करता हूं कि मैं भी भूतपूर्व रेल मंत्री की क्षमता का अनुमान नहीं लगा पाया हूं। मैं सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जब कभी इस तरह के सुझाव आयेंगे तो सर्वप्रथम उन पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य जनता पार्टी के हैं केवल इसलिए मैं नया स्टाप लागू नहीं करूंगा। मैं सुपरिभाषित सिद्धान्तों के आधार पर ही नए स्टाप लागू करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कुछ स्टापों को बन्द कर दिया है। उन्हें अमेठी को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वह भी एक तीर्थ स्थान है। यह मेरा उनसे अनुरोध है।

Varanasi is a place of pilgrimage and there are many other places of pilgrimage also in the different parts of the country. I would like to know from the Hon. Minister whether any survey could be conducted of those places of pilgrimage and arrangements made for introducing trains to those places. The Minister has not stated as to what is the yardstick for introducing new stops and trains.

Prof. Madhu Dandavate : The hon. member wants to know whether any survey would be conducted about the places of pilgrimage. I assure him that such survey would be conducted. It is necessary because our countrymen are religious minded. Such places of pilgrimage are in different parts of the country and due care will be taken of all of them.

So far as the yardstick for the stoppages is concerned, Members from both the sides of the House have made several suggestions for discontinuing old stops and introducing new stops. These suggestions will be considered in the meetings of different committees i.e. Time Table Committee and Users Committee. These committees comprise M.Ps. and M.L.As. I will convene a meeting of those M.Ps. who have made suggestions. I will place before them the yardstick which we are going to adopt for introducing new stops. We will evolve a rational measure on the basis of which old stops will be discontinued and new stops will be introduced.

श्री एन० श्रीकांतन नायर : श्री कंवर लाल गुप्त के सुझाव के महत्व को मानते हुए तथा इस बात को महत्वपूर्ण मानते हुए कि वह भी आंसुका के शिकार हुए हैं, क्योंकि वह जब पुलिस की हिरासत में थे तो मैं उन्हें दो बार मिला, उन्होंने इस सत्र के दौरान कितने अल्प सूचना प्रश्न भेजे हैं तथा आपने उनमें से कितने स्वीकार किए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे सभा के इस पक्ष से 7 अल्प सूचना प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6 को अस्वीकार किया गया और एक को स्वीकार किया गया है।

श्री एस० सत्यनारायण राव : हर्ष की बात है कि माननीय मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया है कि इन बातों को देखते हुए, कम से कम वह या जनता पार्टी सत्ता का दुरूपयोग नहीं

करेंगे । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री राजनारायण के मंत्री बनने से पहले वह कहा करते थे कि मंत्री लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं किन्तु जब वह वाराणसी से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे तो केवल उन्हीं के लिए गाड़ी आधे घंटे रुकवानी पड़ी ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय सदस्य को पुनः याद दिला दूं कि यह मामला सभा में प्रश्न के रूप में उठाया गया था। (**व्यवधान**)...यह मामला सभा में पहले ही उठाया जा चुका है । और मैं इसका स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं । मैंने कहा कि आंशिक रूप से मशीन में दोष आ जाने तथा मुख्य रूप से .... (**व्यवधान**) कृपया मुझे सुनिए । मैंने कहा है कि गाड़ी को चलाने में जो 15 मिनट का विलम्ब हुआ है, वह कोच में वैक्यूम की खराबी के कारण हुआ हो । किन्तु मैंने कहा है कि यह विलम्ब मुख्यतः श्री राजनारायण के कारण हुआ है क्योंकि उन्हें उस गाड़ी से आना था। मैंने कहा है कि यह गलत बात हुई है । इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और सभा को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में केवल मंत्री ही नहीं वरन् किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति या सदस्य की वजह से इस तरह की बात नहीं होगी । मैं यह स्पष्ट आश्वासन देता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह स्पष्ट है कि इस तरह तदर्थ रूप में नए स्टाप लागू करने से रेलवे को हानि हुई होगी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी रेलवे को हुई हानि का अनुमान लगाकर उससे सभा को अवगत करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : हम तदर्थ वाद का विरोधी करते हैं । चाहे वह तदर्थ नियुक्ति हो या तदर्थ स्टाप ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध हैं, हम इसके फलस्वरूप रेलवे को जो हानि हुई हैं, उसके बारे में सभा को अवगत करेंगे ।

Shri Nirmal Chandra Jain : So many new trains have been introduced, but some important places like Jabalpur have been left. There are a number of defence institutes in Jabalpur. Only two or three trains have been running there for the last fifty years. The Ganga-Cauver train runs twice a week. I want to know whether the Minister is considering to introduce a new train for Jabalpur.

Prof. Madhu Dandavate : This Question is not related to the original question. But I assure him that his suggestion would be accepted only when we examine it. As a suggestion it can not be accepted.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : During the last one year about 300 new trains were introduced and the speed of 700 trains was increased. I don't know how the Minister accepted this question. They should be thankful to us because we introduced new stops and Janata Party got advantage of it. They won elections. So far as the matter of stoppages is cocnerned, Time Table Committee can solve this problem. I would like to know from the hon. Minister the number of stops of Express, Mail and passenger trains out of the 30 stops.

Prof. Madhu Dandavate : These cases of introducing new trains and stops have never been referred to the Time Table Committee. Therefore. I think these are irregular stops.

Required information about the trains he mentioned has been given in the Statement. If you want I can read it again.

Shri Ugrasen : The Minister has stated that 30 stops were introduced by the ex-Railway Minister and some of them have been discontinued. He has also stated that enquiry has not been completed in some cases. There were three stoppages of Poorvanchal Express in my Constituency. I would urge upon the Minister to continue those stops till the enquiry is over.

Prof. Madhu Dandavate : You want that I should repeat the same thing which my predecessor had done. I do not want that anything should go against me. Your suggestion will be examined, and action will be taken accordingly.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भूतपूर्व रेल मंत्री से सियालदाह डिवीजन में टालीगंज ब्रिज के समीप तथा ढकुरिया लेक पर दो नए स्टापों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु चूंकि यह अनुरोध विरोधी पक्ष के सदस्य ने किया था, अतः उसे स्वीकार नहीं किया गया। यदि हां, तो क्या वह इसकी जांच करके इस पर नया निर्णय लेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन दो स्टापों की व्यवस्था करने के अनुरोध को अस्वीकार किया गया क्योंकि यह अनुरोध माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे सदस्य ने किया था। यद्यपि वह विरोधी पक्ष के हैं, फिर भी उनका प्रभाव सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों से अधिक है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और यदि समुचित समझा गया तो हम इस पर उचित निर्णय लेंगे।

श्री वयालार रवि : एरनाकुलम के लिए दो गाड़ियां चलाई गई जो कि यात्रियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों तथा उनके नेताओं को बैठक में सम्मिलित होने के लिए चलाई गई थीं। उन्होंने टिकट के पैसे नहीं दिए किन्तु समूचे रूट को रोककर गाड़ियां चलायी जाती रहीं। अतः जनता पार्टी तथा इसके अर्ध सेना बलों के साथ इस तरह का पक्षपात किया गया। इन 30 स्टापों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक इन 30 स्टापों का सम्बन्ध है, लोगों ने खुले आम अपनी शिकायतें पेश की हैं।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट किया था कि विशेष गाड़ियों के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। चाहे उनका सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या ट्रेड यूनियन कांग्रेस अथवा हिन्दू महा सभा से हो। निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
मियांभाई रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण पंचाट

*426. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के घंटों से सम्बन्धित मियांभाई रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण पंचाट को पुरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप खर्च में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). पहले से जारी किए गए आवश्यक आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनका उल्लेख सभा-पटल पर रखे गये नोट में किया गया है।

(ग) लगभग 19 करोड़ रुपये प्रति वर्ष।

विवरण

पंचाट की सिफारिशों का विषय	कार्यान्वयन के बारे में वर्तमान स्थिति
(1)	(2)
1. काम के घंटे उन्हें माना जाएगा जिस अवधि में एक कर्मचारी अपने मालिक के कहने पर उसके अधीन रहे। 3. सामान्यतया नियमित और आवश्यक रूप से दैनिक कर्मचारियों के प्रतिदिन और साप्ताहिक काम के घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन अथवा 48 घंटे के हिसाब से नियत किये जाने चाहिए। 3. आवश्यक दैनिक कर्मचारियों के दैनिक और साप्ताहिक घंटों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है किन्तु अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक नहीं। 4. प्रारम्भिक और अथवा पूरक कामों के लिए अपेक्षित समय, जिसमें कार्यभार सम्हालना और सम्हलाया जाना शामिल है, सुनिश्चित किया जाए और उसे सूची में सम्मिलित किया जाए।	ये आदेश जारी कर दिए गये हैं कि 1-8-74 से इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया जाये।
5. निम्नलिखित के बारे में औसत निकाली जाये :— (i) रनिंग कर्मचारी, (ii) परिचालन कर्मचारी, (iii) शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी, और (iv) वे श्रमिक जिनका काम ऊपर दी गयी तीनों कोटियों में दिये गये श्रमिकों के काम के साथ बंधे हुए हों। कोटि (V) में आने वाले मामलों पर ध्यान दिया जाये। 6. सूची में दिए गए घंटों के बाद सांविधिक समय सीमा तक किये गये काम के लिए साधारण दर के 1½ गुने समयोपरि का और सांविधिक सीमा से अधिक के लिए दुगने समयोपरि का भुगतान किया जाना चाहिए। 7. ड्यूटी यात्रा के समय खाली बिताए गए समय को ड्यूटी का एक भाग माना जाये केवल निम्नलिखित अवसरों के अलावा :— (i) जबकि कर्मीदल वाहन सुविधा की व्यवस्था की गई हो और (ii) जब किसी भी दिन कर्मचारी 8 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्रा न करता हो।	इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

(1)	(2)
8. 'ग' श्रेणी के फाटक वालों, सैलून परिचरों, विश्रामालयों तथा जलाशयों आदि के केयरटेकरों और बंगलों के चपरासियों का अनिवार्य दैनिक कर्मचारियों के रूप में पुनः वर्गीकरण किया जाना चाहिए (लागू करने की तारीख 1-8-74)	सामान्यतया इन सिफारिशों को रेलों पर कार्यान्वित किया जा चुका है।
9. निरन्तर बेतार आपरेटरों और सेक्शन कण्ट्रोलरों के पदों का कार्य-विश्लेषण किया जाये और जहां औचित्य हो गहन कोटि के कर्मचारियों के रूप में पदोन्नत कर दिया जाये, इस प्रकार ग्रेडों के बढ़ाने को क्रमशः 1-8-73 और 1-8-74 से लागू किया जाये।	

Complaints Regarding Increase in Prices of Petro-Chemicals

431. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the complaints about increase in the price of petro-chemicals and deterioration in their quality ; and

(b) if so, the action taken in this regard and the outcome thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Government have received complaints about the increase in prices of PVC resin and polystyrene. No complaints have, however, been received about any deterioration in quality.

(b) The manufacturers have been addressed to bring down the prices of these commodities. Government have arranged import of 2500 tonnes of PVC, with reduced customs duty in order to meet shortages of PVC in the country. Further imports may be resorted to in case the shortages are likely to develop again. The increased availability in the market is expected to being down the prices.

Out-Agencies for District Headquarters in Western Railway

*434. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the district headquarters in Rajasthan where there are no out-agencies of the Western Railway ;

(b) whether Government are considering to set up out-agencies there soon ; and

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) There are no Out Agencies at the following District headquarters in Rajasthan served by the Western Railway :

1. Ajmer
2. Alwar
3. Bharatpur
4. Bhilwara
5. Chittorgarh

6. Churu

7. Dungarpur

8. Jhun Jhunu

9. Sawai Madhopur

10. Sikar,

11. Sirohi

12. Sujat Road

13. Tonk

14. Udaipur

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Out Agencies are provided at places away from the Rail Head. All the District Headquarters mentioned above (except Tonk) are Railway stations where adequate facilities to cater to the requirements of trade and public exist. At Tonk, the Out Agency was closed in October, 1964 and could not be reopened for want of a suitable contractor.

Conversion of Jabalpur Gondia Line into Broad Gauge Line

†*435. **Shri Laxman Rao Mankar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to convert the Jabalpur-Gondia railway line into a broad gauge railway line because of copper mines in the Balaghat district of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the progress made in this regard ; and

(c) whether there is a proposal to convert the Gondia-Chandrapur metre gauge line into a broad gauge railway line and the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dndavate) : (a) and (b). A Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for conversion of Jabalpur-Gondia narrow gauge section into broad gauge is in progress. A decision regarding the conversion of the Jabalpur-Gondia section will be taken after the survey is completed and the reports examined.

(c) There is no proposal at present to convert Gondia-Chandrapur narrow gauge section into broad gauge.

मथुरा तेल शोधक कारखाने के आधार पर पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की योजना

*436. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के आधार पर एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो इसको अन्तिम रूप कब दिया जायेगा;

(ख) इस समय देश में ऐसे कितने उद्योग समूह हैं और उनके द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की कितनी कमी है और उसको किस प्रकार पूरा किया जा रहा है; और

(ग) क्या राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में नये उद्योग समूह स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मथुरा शोधनशाला से आगे उपलब्ध होने वाले नेपथा के आधार पर इस समय किसी पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना की कोई योजना नहीं है।

(ख) इस समय देश में निम्नलिखित प्रमुख पेट्रो-रसायन परियोजना संचालित की जा रही है :—

I. बड़ौदा में आई० पी० सी० एल० की एरोमैटिक परियोजना।

II. बम्बई में एन० ओ० सी० आई० एल० का नेफथा क्रेकर।

III. बम्बई में यूनियन कार्बाइट का नेफथा क्रेकर।

IV. तिरुनिलवेली में पी० आर० सी० का कुरेहा क्रेकर।

इसके अतिरिक्त, बड़ौदा में आई० पी० सी० एल० का नेफथा क्रेकर और इसके डाऊन स्ट्रीम एककों तथा बोंगाईगांव स्थित बी० आर० पी० एल० का पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स नामक दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की दो प्रमुख पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

तेल संकट के पश्चात् पेट्रो-रसायन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण इनके विभिन्न मदों की मांग को भारी धक्का लगा। निर्माणाधीन पेट्रो-रसायन एककों, विशेषकर आई० पी० सी० एल० के नेफथा क्रेकर और डाऊन स्ट्रीम एककों के चालू होने के निर्णय के अनिर्णीत पड़े होने के कारण, अस्थायी कमियों, जो कि मात्र आंशिक थीं और समय-समय पर भिन्न-भिन्न थीं, आयात करके पूरा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

तिरुपति से हैदराबाद तक रायलसीमा एक्सप्रेस का चलाया जाना

*437. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राडगेज लाइन पर तिरुपति से हैदराबाद तक रायलसीमा एक्सप्रैस चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

विदेशों द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज

*438. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीनों के दौरान तेल की खोज के लिये कुछ तटवर्ती क्षेत्रों का किन्हीं विदेशों को आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश में रामशहर में एक गहरे कुएं की खुदाई के लिए ठेके पर हांगरी की मैसर्स कैमो कम्पलैक्स की सेवाएं उपलब्ध कर ली हैं। संविदाकार को न्यूनतम 100 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए 18000 रुपये की पारिश्रमिक के रूप में अदायगी की जायेगी। इस सेवा ठेके पर लगभग 56 लाख रुपये का कुल खर्च होने की सम्भावना है।

बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं

***439. डा० बापु कालदाते :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा कम्पनी कानून तथा नियमों के अन्तर्गत रिकार्ड न रखे जाने की कुछ अनियमितताओं का सरकार को हाल में पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनी की किसी एकक को भारत में अपना व्यापार बन्द करने के आदेश दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

ओलावक्कोट स्थित क्रिओसोट संयंत्र में संकट

***440. श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलावक्कोट स्थित क्रिओसोट संयंत्र में पर्याप्त स्लीपरों के आयात में संकट पैदा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) बाजार में इमारती लकड़ी की ऊंची कीमतों के कारण केरल राज्य वन विभाग ने, जो कि ओलावक्कोड संयंत्र का मुख्य संभरक है, वन विभाग केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्यों पर रेलों को स्लीपरों की सप्लाई करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह तत्काल मूल्य निर्धारण उप समिति की बैठक का आयोजन करे ताकि इन कीमतों की समीक्षा की जा सके। ओलावक्कोड सन्यन्त्र के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपों से सप्लाई प्राप्त करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल सम्पर्क

***441. श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश और कर्ण प्रयाग के बीच रेल सम्पर्क के लिए पहले कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त परियोजना का नया सर्वेक्षण करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). 1927 में किये गये एक सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ था कि यदि यह लाइन छोटे आमान वाली भी बनायी जाय तो भी 160 किलोमीटर लम्बी इस लाइन की लागत बहुत अधिक होगी इसलिए इस परियोजना को छोड़ दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

उर्वरकों का आयात

*442. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उर्वरकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है; और

(ख) उर्वरकों के उत्पादन में भारत के कब तक आत्म निर्भर होने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) पोटाश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को आयात से पूरा किया जाता है, क्योंकि देश में पोटाश का उत्पादन नहीं होता है ।

उर्वरकों के निर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता स्थापित करन हतु एक बृहद् कायक्रम कायान्वयनाधीन है । इस कार्यक्रम के पूरा होने पर उत्पादन और खपत में 1983.84 तक लगभग 12 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 6 लाख मी० टन पी 2 ओ 5 का अन्तर रहने की आशा है । इस अन्तर को कम करने और आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने के लिये और क्षमता स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा लगभग निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	खर्च
	(मिलियन अमेरिकन डालर में)
1974–75	661.00
1975–76	892.00
1976–77	249.00

संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम में संशोधन

***443. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू बजट सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाने का है जिससे संविधान की उन गंभीर विरुपताओं, त्रुटियों और विकृतियों को दूर किया जा सके जो संविधान के 42 वें संशोधन से हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

1977-78 में अशोधित तेल के आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात

***444. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 के दौरान देश को कुल कितने अशोधित तेल की आवश्यकता है; और

(ख) देश में तेल का कुल उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) वर्ष 1977-78 के दौरान देश में कच्चे तेल की कुल आवश्यकता लगभग 25.5 मिलि० मी० टन तक होने की सम्भावना है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बम्बई हाई से 2.5 मिलि० मी० टन की मात्रा सहित देश में कच्चे तेल का कुल देशीय उत्पादन 11.3 मिलि० मी० टन तक होने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये आयोजना में आवंटित धन राशि

3147. श्री माधव राव सिंधियां : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली मध्य तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये आयोजना में आवंटित धनराशि के संबंध में पुर्नविचार करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) संसद् में चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, 1977-78 के लिए वार्षिक योजना की समीक्षा हाल ही में समाप्त की गयी है। तत्काल ही अन्य समीक्षा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सड़कों, ऊपरी पुलों और उप-मार्गों की निधि

3148. **श्री पी० एच० दानवे** : क्या रेल मंत्री यह ब ाने की कृपा करेंगे कि सड़कों, ऊपरी पुलों और उप-मार्गों की निधि में इस सनय कि .नी धनराशि है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि में इस समय लगभग 11 करोड़ रुप े की राशि शे ा है । चालू वित्तोय वर्ष के अन्त तक इसके 12.80 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की प्रत्याशा है ।

रे ल क ा र्मचारियों के आश्रि त शोध छात्रों को रेल सुविधाएं

3150. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को निःशुल्क टिकटों सहित रेल सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ख) क्या ये सुविधाएं उन शोध छात्रों को नहीं दो जाती जो रेल कर्मचारियों के आश्रित सदस्य हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या रेल कर्मचारियों के आश्रित शोध छात्रों को भी ये सुविधायें देने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) कर्मचारियों को उनकी प्रत्येक श्रेणी पर लागू मान अनुसार, परिवार के सदस्यों तथा आश्रित सम्बन्धियों के लिए जिनकी परिभाषा पास नियमों में दी गयी है, समय समय पर स्वीकार्य सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश जारी किये जाते हैं ।

(ख) रेल कर्मचारियों के पुत्रों पुत्रियों को जो शोध कार्य में नियुक्त हैं, पास जारी किए जाते हैं बशर्ते कि उन्हें कोई वजीफा या छात्रवृत्ति न मिलती हो ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के कार्यकरण के पुनर्विचार का प्रस्ताव

3151. **श्री के० मालन्ना** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उसके कार्यकरण पर पुनर्विचार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण को सम्मिलित करते हुए कम्पनी अधिनियम, और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपपबन्धों के पुनरीक्षण के लिए सरकार द्वारा अभी उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है । कथित समिति को, उक्त अधिनियमों में क्या परिवर्तन आवश्यक है, की रिपोर्ट देने को कहा गया है ।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर

3152. **डा० बी० एन० सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर के प्रबन्धकों द्वारा की गई गम्भीर लेखा सम्बन्धी और वित्तीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233क के उपबन्धों के अनुसरण में कम्पनी खातों की विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख). इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि लेखा बहियों की जांच के आधार पर नोटिस में आई अनियमितताओं पर विचार करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ पूछते हुए कि कम्पनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों को क्यों नहीं नियुक्त किया जाए कम्पनी को नोटिस जारी किया है ।

इलाहाबाद मंडल में रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

3153. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद मंडल के पर्सोनल ब्रांच एवं रेलवे क्वार्टरों पर जिन रेलवे कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था है उनका ब्यौरा क्या ;

(ख) क्या अनधिकृत कब्जा करने वालों को दंडात्मक किराया देना पड़ा था

(ग) यदि हां, तो अनधिकृत कब्जे वालों से वसूल किये गये अथवा किये जाने वाले किराये का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) मंडल यातायात प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद के अनुदेशक श्री पी० एन० रंगनाथ ने कार्मिक शाखा पूल के क्वार्टर नं० 133ए० बी० सी० में एक कमरे पर उस क्वार्टर के पिछले कब्जेदार की सहमति से 1–6–66 से 31–8–76 तक कब्जा किया हुआ था ; जिसके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति नहीं ली थी । 1–9–76 से उन्हें यह कमरा सरकारी तौर पर आवंटित कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कर्मचारी से बकाया रूप में प्रतिमास 71–20 रुपये वसूल किये जा रहे हैं और अब तक 481–70 रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है ।

(घ) जी नहीं 1–9–76 से उनके नाम में इस क्वार्टर के नियमित रूप से आवंटित किये जाने को देखते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

"मिलियन डालर पे-आफ टू कोचीन रिफाइनरीज" का समाचार

3154. डा० रामजी सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 से 1971 तक तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कोचीन रिफाइनरीज लि० ने 4,40,000 डालर का भुगतान किया था और फिलिप्स पेट्रोलियम ने यह धनराशि नम्बर वाले स्विस खातों में रखी थी, जिसे कम्पनी की कुछ विदेशी सहायक कम्पनियों को वितरित करने के लिए फिलिप्स पैट्रोलियम की पनामा स्थित सहायक कम्पनी को अन्तरित कर दिया गया था और इस राशि को कम्पनी के वित्तीय खातों में उचित रूप से दर्ज नहीं किया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि तत्कालीन गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने 17.50 रु० प्रति टन प्राप्त कर रहे थे, जबकि गोहाटी और गुजरात स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखाने 30 रु० प्रति टन के परिष्करण लाभ के आधार पर कार्य कर रहे थे और वह लाभ की इतनी राशि है, जो उस कम्पनी (फिलिप्स) को स्वयं अपने देश में या विश्व में किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं थी और जिससे प्रति वर्ष उसे 12.5 करोड़ रुपये मिले ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोचीन शोधनशाला लि० और मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम के बीच में किये गये तकनीकी सेवा करार के अनुसार कोचीन शोधनशाला लि० ने फिलिप्स पेट्रोलियम इन्टरनेशनल कारपोरेशन, पनामा, को वर्ष 1969, 1970 और 1971 के लिए प्रतिवर्ष 4,40,000 अमरीकी डीलर की राशि प्रस्तुत की थी। फिलिप्स कम्पनी द्वारा धनराशि के उपयोग किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । फिर भी, ओक्लाहोमा स्थित तुलसा में संघीय महान्यायवादी ने, जिसने फिलिप्स द्वारा किये गये कर कानून सम्बन्धी उल्लंघनों के बारे में जांच की थी, अमरीकी जिला न्यायालय में दायर अपने अभियोग पत्र में अन्य बातों के साथ साथ यह भी अभियोग लगाया है कि कम्पनी कोचीन शोधनशाला से तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को अपने कर विवरणों में दिखाने में असफल रही । तथापि कोचीन शोधनशाला लि० द्वारा सरकार को यह सूचित किया गया है कि ओक्लाहोमा स्थित तुलसा के मुख्य जिला न्यायाधीश ने फिलिप्स पैट्रोलियम तथा अन्य सभी मुद्दालेहों के पक्ष में इस सारे अभियोग पत्र को खारिज कर दिया है ।

(ख) कोचीन शोधनशाला के निर्माण सम्बन्धी करार पर जब हस्ताक्षर किये गये थे उस समय भी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी शोधनशाला के लिए कोई प्रक्रम मार्जन निर्धारित नहीं किया था । उत्पादों की कीमत आयात अनुरूपता के आधार पर निर्धारित की जाती है और इस लिए प्रत्येक शोधनशाला का मार्जन उसके कार्यकरण के अनुसार भिन्न भिन्न होता है । 27 अप्रैल, 1963 को भारत सरकार और अमरीका की फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी के बीच के किये गये निर्माण करार में इस बात की व्यवस्था है कि कोचीन शोधनशाला के वाणिज्यिक कार्य-संचालन के प्रथम दस वर्षों में प्रभार के रूप में वसूल किये गये, क्रूड के प्रति बैरल, 1.35 अमरीकी डालर के समतुल्य रुपये का आंशिक लाभ शोधनशाला को मिलेगा, जो कि अपेक्षित उत्पादन पद्धति और करार आदि में निहित खंडों पर आधारित होगा और यह प्रक्रिया आंशिक लाभ कोचीन शोधनशाला लिमिटेड को देय था न कि फिलिप्स को । तथापि इस आंशिक लाभ की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कम्पनी को कोई अदायगी नहीं की गयी थी, और 20 दिसम्बर, 1968 को उक्त करार में संशोधन किया गया था जबकि निर्धारित प्रक्रिया आंशिक लाभ की व्यवस्था को छोड़ दिया गया था ।

Installation of Weigh Bridge at Bachara Coal Mine

3155. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government had approved in 1972 the proposal for installing a weigh bridge with 100 tonne weighing capacity at Bachara coal mine ; and

(b) if so, the reasons why the same has not been installed so far ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b). The proposal to instal a 100 tonne weigh bridge in the Bachara colliery of the National Coal Development Corporation, now the Coal India Ltd., to replace the then existing 40 tonne capacity private weigh bridge was approved by Eastern Railway in the year 1973. The entire construction of the weigh bridge house, procurement of the weigh bridge and its installation had to be carried out by the National Coal Development Corporation Ltd. now Coal India Ltd. The work has since been completed by the Coal India Ltd. and the weigh bridge has been commissioned on 19-3-1977.

कानपुर तथा इलाहाबाद स्टेशनों पर फलों तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री

3156. **श्री बटेश्वर हेमब्रम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर तथा इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर जिन को ताजे फल एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री करने का ठेका मिला हुआ है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक ठेकेदार को कितने विक्रेता आंवटित हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये ठेकेदार स्वीकृत संख्या से अधिक विक्रेताओं को न रखें वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अचानक छापों के दौरान यह पाया गया था कि ठेकेदारों ने स्टेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ स्वीकृत संख्या से अधिक बिक्रेता नियुक्त कर रखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) कानपुर और इलाहाबाद में ताजा फलों और विविध वस्तुओं की बिक्री के लिए निम्नलिखित पार्टियों को ठेके दिए हुए हैं और साथ ही प्रत्येक ठेकेदार को अनुमेय खोमचे वालों की संख्या दी गयी है :—

स्टेशन का नाम	ठेकेदार का नाम		अनुमेय खोमचे वालों की संख्या
कानपुर	1. मैसर्स वाधू मल फतेह चन्द एंड ब्रदर्स	ताजा फल	8. खोमचे वाले
	2. श्री दशरथ लाल	ताजा फल	3 खोमचे वाले
	3. मैसर्स कानपुर लैदर गुड्स	चमड़े का सामान	10 खोमचे वाले
	4. श्री राम प्रसाद	विविध वस्तुएं	10 खोमचे वाले

स्टेशन का नाम	ठेकेदार का नाम		अनुमेय खोमचे वालों की संख्या
इलाहाबाद.	1. श्री रमेश पाल	विविध वस्तुएं	8 खोमचे वाले
	2. श्री राजब अली	ताजा फल	14 खामचे वाले
	3. श्रीमती बिट्टन देवी	ताजा फल	12 खोमचे वाले
	4. श्री हुसैन पहलवान	ताजा फल	2 खोमचे वाले
	5. मैसर्स कालू, महबूब, याकूब खलील	ताजा फल	4 खोमचे वाले

(ख) जी हां ।

(ग) जांच के दौरान केवल इलाहबाद में विविध वस्तुओं के ठेकेदार, श्री रमेश पाल के लिए अनधिकृत खोमचे वाले समान बेचते हुए पाए गये थे। लेकिन, स्टेशन पर अनधिकृत खोमचे वालों को सामान बेचने की आज्ञा देने के लिए स्टेशन कर्मचारियों की कोई साठ-गांठ नहीं पायी गयी ।

(घ) इलाहाबाद स्टेशन पर विविध वस्तुयें बेचने के ठेकेदार श्री रमेश पाल को अगस्त 1976 से जून 1977 तक की अवधि के दौरान 1800 रु० जुर्माना किया गया था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी सहयोग से तेल की खोज

3157. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों के सहयोग से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेशों में तेल-खोज कार्य कर रहा है;

(ख) प्रत्येक देश के साथ हुए करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस कार्य के लिए कितने भारतीय तकनीकी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी लगाये गए हैं; और

(घ) इस दिशा में प्रत्येक देश में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारत से बाहर—ईरान, ईराक और तंजानिया—नामक केवल तीन देशों में कार्य-संचालन कर रहा है ।

2. ईराक के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1965 में एक करार किया जिसके अन्तर्गत उसने इटली की ए० जी० आई० पी०, अमरीका की फिलिप्स पैट्रोलियम कंपनी

तथा नेशनल ईरानियन आयल कंपनी सहित ईरानी तटदूर के जल वाले क्षेत्र में 1:6 भाग अर्जित किया, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दो क्षेत्रों से तेल का उत्पादन कर रहा है। इस ठेके को अधिशासी करने वाले संयुक्त संरचना करार के अन्तर्गत, एन० आई० ओ० सी० का इस उद्यम में 50% भाग है और दूसरे दल, जिसमें फिलिप्स पैट्रोलियम, एजी० आई० पी० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्मिलित है, प्रत्येक का $16\frac{2}{3}$% भाग होने के साथ साथ बकाया 50% भाग है। इसके अतिरिक्त दूसरे दल ने नकद बोनस की अदायगी की और 48 मिलियन डालर की न्यूनतम अन्वेषण वचनबद्धता सहित अन्वेषण सम्बन्धी पूरी लागत वहन करने के लिए सहमत हुआ। दूसरे दल को विकास खर्चे का 50% और यदि जरूरी हुआ तो विकास खर्चे का एन० आई० ओ० सी० के हिस्से के लिए वित्त की व्यवस्था भी करेगा। दूसरे दल को अपने तेल के हिस्से की विपणन व्यवस्था और यदि एन आई० ओ० सी० अपने तेल के हिस्से को नहीं उठाता है तो उस दिशा में एन० आई० ओ० सी० के हिस्से के तेल की विपणन व्यवस्था भी करनी होगी। इस करार के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जून 1977 तक लगभग 5 मिलियन मी० टन तेल उठाया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईरान में इस उद्यम में अपने हितों की देखभाल करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की है।

3. ईराक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भूकंपनीय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक ठेका किया है और इस ठेके के अन्तर्गत कार्य 1 जून 1976 को आरम्भ हुआ। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 2000 कि० मीटर से भी उपर के क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण करने हैं और जून 1977 के समाप्ति तक लगभग 1820 कि० मीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। आशा है कि सर्वेक्षण कार्य अगस्त, 1977 के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इस ठेके के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईराक में लगभग 34 व्यक्ति नियुक्त किए हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दो क्षेत्रों में पांच विकास कुंओं की खुदाई के लिए ईराक नेशनल आयल कारपोरेशन के साथ हाल ही में एक व्यधन ठेका किया है। इस नये व्यधन ठेके के अन्तर्गत विकसित व्यधन कार्य को करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार उसी रिग को प्रयोग में लाने का है जिसका उसने ईराक में अपने अन्वेषण क्षेत्र में व्यधन कार्य करने के लिए उपयोग किया था।

4. तंजानिया में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सोंगो सोंगो द्वीप समूह में अन्वेषी व्यधन के लिए तंजानिया पैट्रोलियम डिवलैपमेंट कारपोरेशन के साथ एक ठेका किया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जिस पहले कुएं की खुदाई की गई थी उसका परिणाम यह हुआ कि गैस धामाके के साथ उड़ गई। अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक दूसरे कुंए की खुदाई का कार्य आरम्भ किया है, जो कि लगभग पूरा होने वाला है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तंजानिया में इस कार्य के लिए लगभग 80 व्यक्ति प्रतिनियुक्त किये हैं।

दिल्ली से देश के दक्षिण भागों में जाने वाली रेलगाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन

3158. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से देश के दक्षिण भागों को जाने वाली रेलगाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन घटिया किस्म का होता है और वह खाने के लिए अच्छा नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) यद्यपि देश में दिल्ली में दक्षिण के भागों में चलने वाली गाड़ियों में दिए जाने वाले भोजन के स्तर में और अधिक सुधार किए जाने की गुंजाइस है, किन्तु इसे "अवमानक" या 'उपभोग के लिए' ठीक नहीं की संज्ञा दी जा सकती । यदि किन्हीं विशेष शिकायतों या सुझावों की और सरकार का ध्यान दिलाया गया तो इस पर उपर्युक्त कार्यवाई की जायेगी ।

(ख) गाड़ियों में सेवा और भोजन की किस्म में और अधिक सुधार करने के लिए रेल प्रशासन ने आधुनिक पाक तकनीक को अपनाने, रसोई घर की आधुनिक जुगतों और उपस्करों, का उपयोग करने, "परोसने के लिए तैयार" भोजन की व्यवस्था के लिए आधार रसोई घरों की स्थापना और मानक साधनों से कच्चे सामान और मसालों की खरीद आदि जैसे बहुत से उपाय किए हैं ।

Appointment of Class IV employees in Chakradharpur Division in 1974-77

3159. **Shri R.P. Sarangi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to sate the number of Class IV employees appointed in Chakradharpur railway division during 1974-77 ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

गुजरात स्थित ऐसेमेटिक परियोजना

3160. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ऐरोमेटिक्स लिमिटेड गुजरात राज्य में 9.5 करोड़ रुपए की प्रथम ऐरोमेटिक परियोजना की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या किसी के साथ सहयोग मांगा गया है और यह सहयोग किसके साथ मांगा गया है; और

(घ) इसमें उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित मदों के उत्पादन के लिए मैसर्स गुजरात ऐरोमेटिक लिमिटेड के पास एक औद्योगिक लाइसेंस है :—

क्रीसोल्स	. . . .	3,000 मी० टन प्रति वर्ष
सोडियम सल्फाइट (उपउत्पाद)	. . .	5,800 " " "

उनके पास निम्नलिखित मौलिक विस्तार के अनुसार एक आशय-पत्र भी है :—

उत्पादन की मद	वार्षिक अतिरिक्त क्षमता	विस्तार के बाद वार्षिक क्षमता
1. संश्लिष्ट क्रीसोल .	2,000 (दो हजार मी० टन)	5,000 (पांच हजार) मी० टन
उप-उत्पाद		
1. सोडियम सल्फाइट	1,550 (एक हजार पांच सौ पचास) मी० टन	7,350 (सात हजार तीन सौ पचास) मी० टन
2. जिपसम (ड्राई बेसिस)	5,900 (पांच हजार नौ सौ) मी० टन	5,900 (पांच हजार नौ सौ) मी० टन
3. सोडा एश	1,310 (एक हजार तीन सौ दस) मी० टन	1,310 (एक हजार तीन सौ दस) मी० टन
4. सोडयिम सल्फेट	1,160 (एज हजार एक सौ साठ) मी० टन	1,160 (एक हजार एक सौ साठ) मी० टन

नए औद्योगिक उपक्रम को गुजरात राज्य के जिला भरोच, तहसील अंकलेश्वर में स्थापित किया जायेगा। इस परियोजना में तकनीकी जानकारी और पूंजीगत माल का आयात शामिल है।

इस परियोजना को गुजरात औद्योगिक निगम द्वारा जो कि गुजरात सरकार का एक उपक्रम है तथा जिसके 26% के साम्यपूंजी के शेयर होंगे, प्रोत्साहित किया गया है। शेयरधारी करार रायपुर उत्पादन कंपनी लि० के साथ निष्पादित किया गया है जिसकी 25% की साम्य पूंजी होगी।

(ग) इस कंम्पनी ने तकनीकी जानकारी के लिए होंशु कैमीकल इंडस्ट्री कंपनी लि०, मूल इंजीनियरिंग के लिए मित्सुई शिप बिल्डिंग कंपनी लि० और जबकि मित्सुई एण्ड कंपनी लि० नामक तीन जापानी व्यवसायिक उद्यमों के साथ इन दोनों फर्मों की सेवाओं को समन्वित करने के लिए एक विदेशी सहयोग करार किया है।

(घ) 1979 में उत्पादन के आरम्भ होने की सम्भावना है।

वकीलों द्वारा काली पोशाक पहनना बन्द करने का प्रस्ताव

3161. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों द्वारा न्यायालयों में काली पोशाक पहनना बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों को भी न्यायालयों में अपनी निजी पोशाक पहनने की अनुमति दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यायिक अधिकारियों की पोशाक उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित की जाती है।

राष्ट्रीय रेयन निगम की वित्तीय स्थिति

3162. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या राष्ट्रीय रेयन निगम की वित्तीय स्थिति कुप्रबन्ध, अनियमितताओं गैर-कानूनी हेर-फेर के कारण बहुत खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय रेयन निगम को बैंकों के सार्थ-संघ और अन्य वित्तीय निकायों को ऋणों और अग्रिम राशियों की कुल कितनी राशि अदा करनी है ; और

(ग) सरकार ने शेयर होल्डरों और लोक वित्त संस्थाओं को और अधिक हानि होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंध के कार्यों को सामने रखते हुए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के सम्मुख याचिका प्रस्तुत की थी।

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया कालिक ऋण निम्न प्रकार है :—

संस्थान का नाम	ऋण की प्रकृति	शेष (लाख रुपयों में)
1. जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया और उसकी सहायक	$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत रहन ऋणपत्र 1972—77	19.00
2. इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	(क) यथोपरि	7.00
	(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	225.00
	(ग) संस्वीकृति विदेशी मुद्रा ऋण किन्तु 108 लाख रु० की राशि वितरण की प्रतीक्षा में,	

बैंक करों और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के साथ ऐक्यता में भी प्रथा एवं व्यवहार के अनुसरण में, जहां तक बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति का सम्बन्ध है, राष्ट्रीकृत बैंकों के व्यक्तिगत सगठनों के कार्यों के विषय में सूचना प्रगट नहीं की जाती है ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी के बोड में आठ निदेशकों की नियुक्ति करते हुए 11-7-1977 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(I) के अन्तर्गत एक आदेश पारित किया है !

राज्य रसायन और फार्मास्यूटिकल निगमों के माध्यम से आयातित औषधियों का वितरण

3163. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई सभी औषधियों को राज्य रसायन तथा फार्मास्यूटिकल निगमों के माध्यम से वितरित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). सभी सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मद स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (सी पी सी) द्वारा आयात किए जाते है । ऐसे सारणीबद्ध औषधों का वितरण इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) के उत्पादन की श्रेणी के अन्तर्गत है । अतः इनका वितरण आई डी पी एल द्वारा किया जाता है । शेष सारे मदों का सी पी सी द्वारा वितरण किया जाता हैं ।

Petroleum produced and imported

3164. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total quantity of petroleum produced in the country and the quantity thereof imported and the total expenditure incurred on the production during the period 1972—76 and

(b) the rates at which it is imported ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). The total quantity of petroleum produced in the country and the quantity thereof imported together with the average CIF cost, for each of the years during 1972 to 1976 is given below :

Crude Petroleum

Year	Production Million Tonnes	Imports Million Tonnes	Average CIF cost Rs/Tonne
(1)	(2)	(3)	(4)
1972 . . .	7.37	12.31	117.18
1973	7.20	13.44	181.96

(1)	(2)	(3)	(4)
1974	7.49	13.97	643.78
1975	8.28	13.67	716.31
1976	8.66	14.03	815.17 (Provisional)

Information about expenditure incurred on production of crude oil is being collected and will be laid on the Table of the House.

कृषि उत्पादों के लिये कच्चे तेल की खपत

3165. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात 1974, 1975 और 1976 में सम्पूर्ण देश में कृषि कार्यों के लिए कुल कितने कच्चे तेल की खपत हुई ;

(ख) इस अवधि में गुजरात राज्य में इसकी इन कार्यों पर कुल कितनी खपत हुई ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के बारे में लागत का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). कच्चे तेल को इसी रूप में कृषि कार्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता। कृषि के कार्य में प्रयोग में आने वाले प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद लाइट डीजल आयल (एल०डी०ओ०) तथा हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) है। कृषि कार्य में प्रयोग में लाये गये पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की मात्रा के सम्बन्ध में पृथक रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते है। तथापि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा किए गए अस्थाई मूल्यांकन के अनुसार एच०एस० डी० तथा एल० डी० ओ० का कृषि कार्य के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तथा गुजरात के लिए 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान खपत नीचे दी गई है :—

1000 किलोलिटर में

	1973-74	1974-75	1975-76
(1) सम्पूर्ण भारत में			
एच० एस० डी०	1560	1725	1895
एल० डी० ओ०	475	523	572
(2) गुजरात में			
एच० एस० डी०	52	58	62
एल० डी० ओ०	292	320	349

एच० एस० डी० तथा एल० डी० ओ० के वर्तमान मूल्यों के अनुसार, 1975–76 के दौरान बेचे गये उत्पादों की लागत (लगभग) नीचे दी गई है :—

करोड़ रुपयों में आंकड़े

	अखिल भारतीय	गुजरात
एच० एस० डी०	207.48	6.79
एल० डी० ओ०	50.32	30.70

तथापि, उपरोक्त लागत में स्थान-स्थान पर विभिन्न परिवहन भाडों को शामिल नहीं किया गया है ।

भारत में तेल की उपलब्धता की सम्भावनाएं

3166. श्री के० लकप्पा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल की उपलब्धता की सम्भावनाओं में गत दो वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बम्बई हाई से तेल की खोज ने तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में तेल में प्रख्यात भंडारों में और विशिष्टता जोड़ दी है ।

Railway halt at Silampur

†3167. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there was a railway halt at old Silampur near Delhi; and if so, when and why the same was closed ;

(b) whether a representation has been received by him demanding a railway station or halt at old Silampur keeping in view the increasing population of trans-Yamuna area running into lakhs; and if so, the contents thereof; and

(c) whether a railway station or halt will be set up now at old Silampur in view of the difficulties of poor dwellers of trans-Yamuna; and if so, when ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) and (c) Representations were received in the past from Public, Members of Parliament, Members of Metropolitan Council, Delhi, etc. for opening of a halt station at Silampur and not old Silampur, between Delhi and Delhi-Shahdara stations. This proposal for opening a halt at Silampur was examined in depth but was not found feasible for the present due to saturated line capacity of Delhi-Shahdara section.

फ्रांसिस रोड क्रासिंग पर ऊपरी पुलों का निर्माण

3168. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि कालीकट में फ्रांसिस रोड क्रासिंग, III गेट और V गेट पर यातायात की भारी भीड़ और इसके परिणामस्वरूप जनता को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कालीकट और वेल्लयिल स्टेशनों के बीच कि० मी० 665/13–14 (III फाटक) पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण शीघ्र किये जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

V फाटक पर ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) कालीकट और वेल्लयिल स्टेशनों के बीच कि०मी० 665/13–14 (III फाटक) पर वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का नि णि कार्य रेलों के निर्माण कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है । सड़क प्राधिकारियों द्वारा पहुंच मार्गों के लिए ड्राइंग और प्राक्कलन को अन्तिम रूप दिये जाने और उन्हें रेल प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

V–फाटक पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकार से पक्का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि धन उपलब्ध हो तो, ड्राइंग, अभिकल्प, प्राक्कलन तैयार करना आदि जैसी आवश्यक औपचारिकताएं/प्रारम्भिक बातें पूरी होने पर और उन्हें राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार कर लिए जाने पर, इस कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने के बारे में विचार किया जाएगा ।

Stoppage of howrah Express at Gaya

†3169. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to provide a stoppage of Howrah Express at Gaya keeping in view its importance as an international tourist place so that it may be linked with Delhi directly ?

The Minister of Railways Prof. Madhu Dandavate) : Gaya is already connected with Delhi/New Delhi directly by two pairs of fast trains viz., 1 up/2 Dn.Howrah-Kalka Mail and 81/82 Ac Express. It is not proposed to stop 101/102 Rajdhani Express at Gaya as it will slow down this important super fast long distance intercity train.

कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार

3170. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में ठोस सुधार करने की कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन वेतन आयोगों की सिफारिशों तथा अधिकरणों आदि की सिफारिशों के आधार पर या अन्यथा सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के कार्यान्वियन के जरिए रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समय-समय पर भारी सुधार किया गया है । तीसरे वेतन आयोग और रेल श्रम अधिकरण (मियाभाय) की सिफारिशों तथा अन्य निर्णयों के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित प्रमुख सुधार किये गये :—

(1) नये वेतनमान लागू हो जाने के परिणामस्वरूप 1-1-1973 से प्रायः सभी कोटियों के वेतनमान बढ़ा दिये गये हैं । इससे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष लाभ हुआ है क्योंकि उनके वेतनमान सरकार ने वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों से भी अधिक निर्धारित किये है ।

(2) छुट्टी, सेवा निवृत्ति तथा पेंशनीय लाभों को उदार बनाया गया है ।

(3) समय समय पर मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है ।

(4) कई कोटियों के मामले में तीसरे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमानों को विसंगति-समिति की सिफारिशों के आधार पर और बढ़ा दिया गया है जिससे लगभग 60,000 कर्मचारियों को लाभ पहुचा है ।

(5) पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के उद्देश्य से तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी -में कारीगरों से भिन्न कोटियों के सवर्गों की पुनः रचना की गई है और 41,000 पदों का ग्रड बढ़ा दिया गया है ।

(6) कर्मचारियों के लाभ के लिए चयन ग्रेड के पदों का सृजन किया गया है । इससे अकेले चतुर्थ श्रेणी के ही लगभग 50,000 कर्मचारियोंको लाभ होगा।

(7) नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन की शर्तों को उदार बनाया गया है । अब चालू लाइनों पर उन्हें 120 दिन की सेवा के बाद अस्थायी स्तर और मासिक वेतनमान दे दिया जाता है । परियोजनाओं में उन्हें छः माह के बाद वतनमान की दरें दी जाती हैं ।

(8) रात्रि ड्यूटी तथा समयोपरि भत्तों को उदार बनाया गया है ।

जम्मू के सरुनसर क्षेत्र में तेल की खुदाई

3171. डा० कर्ण सिंह : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के सरुनसर क्षेत्र में तेल की खुदाई पुनः आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : सरूनसर में खोदे गये कुएं में नीचे की ओर छिद्र में गम्भीर बाधाएं, ऊंचे दबाब तथा तापमान की पाई गई तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इन परिस्थितियों में क्षेत्र में पुनः खुदाई आरम्भ करने हेतु गहरे कुओं को खोदने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं ।

बम्बई हाई में तटदूर तेल क्षेत्रों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली पाइपलाइन

3172. **श्री डी० डी० देसाईः** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में तटदूर तेल तथा गैस क्षेत्रों को मुख्य भूमि के साथ जोड़ने वाली पाइपलाइन परियोजना पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइन का मार्ग किधर है, वह कहां समाप्त होगा ;

(ग) क्या इस मामले पर निर्णय अधिकतम कार्यकुशलता तथा किफायत को ध्यान में रखकर किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तेल निकलने वाले क्षेत्र का दिशान्तर और अक्षांग क्या है तथा पाइपलाइन की लम्बाई को देखते हुए निकटतम समुद्र तट से उसकी दूरी कितनी है ?

पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां ।

(ख) दोनों तेल तथा गैस पाइपलाइनों का पंक्ति बंधन बम्बई हाईक्षेत्र से बरास्ता उत्तरी बसीन क्षेत्र से उरान तक होगा ।

(ग) जी, हां । तकनीकी आर्थिक विचारधारा पर निर्णय लिया गया है ।

(घ) अन्वेषी कुएं के समकक्ष लगभग 19^{0}32 मिनट उत्तर और 71^{0}17 मिनट पूर्व हैं । इस अन्वेषी कुएं से समीपस्थ समुद्र तटीय प्वाइंट से, जो कि दिव है, लगभग 144 किलोमीटर की दूरी है । पाइपलाइन की लम्बाई लगभग 210 किलो० मी० होगी ।

Railway Employees Retired during Emergency

†3173. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees retired after the proclamation of emergency for being associated with the banned organisations and under which rules they were retired ;

(b) the number of such railway employees reinstated upto 10-6-1977 and in case some employees have not been reinstated, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have laid down any time limit to reinstate the employees so retired during the emergency ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी

3174. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे भारत के रेलवे प्लेटफार्म पर बुकस्टाल बनाने सम्बन्धी लाइसेंसों का एकाधिकार मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी को प्राप्त है ;

(ख) ये लाइसेंस किन शर्तों पर जारी किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा फेरी वालों के बीच हाथ में झगड़े की ओर गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और झगड़े को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को सम्पूर्ण रेलवे पर उसके किसी भाग पर बुकस्टाल चलाने का जो पहले एकमात्र अधिकार दिया गया था उसमें 1–8–1960 से निम्नलिखित आशोधन कर दिए गये हैं :—

(i) जिन स्टशनों पर कोई बुकस्टाल न हो वहां दूसरे व्यक्तियों को बुकस्टाल आवंटित किये जा सकते हैं ; और

(ii) यहां तक कि जिन स्टेशनों पर बुकस्टाल मोजूद हों वहां भी रामकृष्ण मिशन, सर्वसेवा प्रकाशन, गीता प्रैस आदि जैसी लोकोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं को किताबें, पत्रिकाएं आदि बेचने का लाइसेंस दिया जा सकता है।

जिन स्टशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के अपने बुकस्टाल हैं वहां पर उन्हें ही किताबें, पत्रिकाएं आदि बेचने का एकमात्र अधिकार है। इसमें नवम्बर, 1975 में आशोधन किया गया और अब ऐसे स्टेशनों पर जहां मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के अपने बुकस्टाल हैं वहां पर 1–1–1976 के बाद नये बनाये/जोड़े जाने वाले प्लेटफार्मों पर दूसरों को बुकस्टाल आवंटित किये जा सकते हैं। भारतीय रेलों के 7056 स्टशनों में से 650 स्टेशनों पर बुकस्टालों की व्यवस्था है। मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के 288 स्टशनों पर बुकस्टाल हैं। बाकी 382 स्टेशनों पर बुकस्टाल के ठेके लगभग 230 अन्य ठेकेदारों को दिये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली मेन स्टेशन पर उत्तर रेलवे वैल्डर्स कोआपरेटिव इंडस्ट्रीयल (सर्विस) सोसाइटी लि० दिल्ली और मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के बीच झगड़े के सम्बन्ध में सरकार को एक रिपोर्ट मिली थी।

(घ) मुख्य मांगे छंटनी किये गये फेरीवालों/वेल्डरों की बहाली और उन्हें उचित वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में थी। इस झगड़े का मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा चुका है। दिल्ली मेन स्टेशन पर 28–6–1977 से बुकस्टाल पुनः सामान्य रूप से चालू हो गए थे।

"विवरण"

(ख) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० (लाइसेंसधारी) और क्षेत्रीय रेल प्रशासनों (लाइसेंस दाताओं) के बीच हुए करार की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

(1) मैसस ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के ठेके का 1-1-1976 से 9 वर्ष के लिए नवीकरण किया गया है।

(2) लाइसेंसधारी कुल बिक्री से प्राप्त धन पर प्रतिवर्ष $2\frac{1}{2}\%$ रायल्टी का भुगतान करेंगे।

(3) लाइसेंसधारी उन स्टेशनों पर जहां उन्होंने रेलों के साथ ठेका किया है, सभी भारतीय भाषाओं और अन्य यूरोपीय भाषाओं की किताबों, समाचार-पत्रों, मैगजीनों, पत्रिकाओं का पर्याप्त स्टाक रखेंगे।

(4) लाइसेंसदाता को अधिकार है कि वह रामकृष्ण मिशन, सर्वसेवा संघ आदि जैसे बिना लाभ के काम करने वाले संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, किताबें आदि लाइसेंसधारी के बुकस्टाल के अलावा अन्य जरिए से बेचने की अनुमति दे सकता है। अन्य किताबों की बिक्री के लिए लाइसेंसधारी को ऐसे स्टेशनों पर बिक्री का एकमात्र अधिकार होगा जहां उनका ठेका हो। लाइसेंस-दाताओं को यह भी अधिकार होगा कि वे 1-1-1976 के बाद बनने वाले नये प्लेटफार्मों पर, चाहे वे ऐसे स्टेशनों पर क्यों न हों, जहां मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के बुकस्टाल हैं, बुकस्टालों को व्यक्तिगत बेरोजगार स्नातकों और उनकी सहकारी समितियों, सोझेदारी इकाइयों/एसोसिएशनों को आवंटित कर दें।

(5) लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी के बुकस्टाल या उसके अन्य समान को होने वाले किसी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे ऐसा नुकसान या क्षति किसी कारण से भी क्यों न हुई हो।

(6) पुस्तकों तथा अन्य साहित्य का विक्रय मूल्य बाहर के बुकसेलरों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रशासन को लाइसेन्सधारी द्वारा लिये जाने वाले मूल्य की जांच करने का अधिकार होगा।

(7) लाइसेन्सदाता अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह लाइसेन्सधारी को विनिर्दिष्ट पुस्तकें या पत्रिकाएं बेचने के लिए बाध्य करे।

(8) लाइसेन्सधारी भारत सरकार के प्रकाशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित प्रचार साहित्य का पर्याप्त स्टाक रखेगा।

(9) लाइसेन्सधारी द्वारा किसी भी स्टाल को लाइसेन्सदाता की अनुमति के बिना बन्द या हटाया नहीं जायेगा।

(10) लाइसेन्सदाता को किसी गंदे या अश्लील प्रकाशन की बिक्री या प्रदर्शन बंद करने का अधिकार है और इस संबंध में लाइसेन्सदाता का निर्णय अंतिम होगा।

(11) लाइसैन्सधारी को अपना व्यापार चलाने के लिए कुछ खास पास दिये जायेंगे।

(12) लाइसेन्सधारी बुकस्टाल चलाने के संबंध में प्रशासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

(13) लाइसेन्सधारी लाइसेन्सदाता की सहमति के बिना करार द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार या विशेषाधिकार को अभ्यर्पित, अन्तरित, प्रभारित अथवा समाप्त नहीं करेगा। वह उसे आवंटित ठेके को शिकमी पर नहीं देगा।

(14) लाइसेन्सधारी समय-समय पर यथा निर्धारित बिजली, म्युनिसिपल-कर आदि का भुगतान करेगा। लाइसेन्सधारी देश के वेतन भुगतान अधिनियम, काम के घंटे विनियम अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि जैसे देश के सभी कानूनों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है।

(15) लाइसेन्सधारी कर्मचारियों को उचित वेतन का भुगतान करेगा। उचित वेतन का अर्थ ऐसे वेतन से होगा जो उसी कार्य के लिए पड़ोस में दिया जाता है।

(16) लाइसेन्सधारी अच्छे व्यवहार एवं चरित्र वाले सेल्समैनों तथा फेरीवालों को काम पर रखेगा और सन्तोषजनक सेवा सुनिश्चित करेगा।

(17) यदि लाइसेन्सधारी ठेके के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे अथवा यदि लाइसेन्सधारी करार के अन्तर्गत अपने किसी कर्तव्य का लाइसेन्सदाता के सन्तोष के अनुसार अनुपालन करने में असमर्थ रहे तो लाइसेन्सदाता को तीन महीने की लिखित सूचना देकर करार को समाप्त कर सकता है और इससे लाइसेन्सदाता को देय किसी प्रकार की बकाया राशि को वसूल करने के उसके अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खड़गपुर और खुर्दा मंडल (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के कर्मचारियों को फिर से लाभ देना

3175. **श्री समरेन्द्र कुन्डु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत आपातस्थिति में रेलवे के विभिन्न मंडलों में "स्वामीभक्त" कर्मचारियों को दिये गये विभिन्न प्रकार के लाभों का पता लगा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने उक्त कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया और वह पक्षपात किस प्रकार का था ;

(ग) क्या सरकार ने "स्वामीभक्त" कर्मचारियों के साथ किये गये पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को लाभ देने के लिये कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण पूर्व रेलवे के कितने कर्मचारियों को उक्त पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्राप्त हुआ और इन 'स्वामिभक्त' कर्मचारियों को दिये गये लाभों से कुप्रभावित होने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जिन रेल कर्मचारियों ने मई, 1974 की हड़ताल में भाग नहीं लिया था, उन्हें पुरस्कार देने की योजना 1974 में आरम्भ की गयी थी। इसका कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया थी। आपातकाल के दौरान ऐसे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने अथवा उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की कोई विशेष योजना लागू नहीं की गयी थी।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Delhi-Ahmedabad Metre Gauge Line via Kota-Ajmer

3176. Shri S.K. Sarda : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a scheme for laying Delhi-Ahmedabad metre gauge railway line *via* Kota-Ajmer ; and

(b) if so, the details of the scheme ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Does not arise.

गुजरात तेल क्षेत्र

3177. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तेल क्षेत्रों की मुख्य बातें क्या हैं, उनकी वर्तमान क्षमता और उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या कोई नया खोज-कार्य चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात में तेल क्षेत्रों में तेल रेतीले पत्थर के भंडारों द्वारा उत्पादन किया जाता है। हल्के तेल (लाइट आयल) और अधिक वसूली की दृष्टि से अंकलेश्वर तेल क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। पतली पर्त वाले रेतीले भंडारों और विसकोस तेल वाले उत्तरी गुजरात तेल क्षेत्र छोटे हैं। इस समय समग्र गुजरात क्षेत्रों से लगभग 4.2 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन होता है।

(ख) तथा (ग). वर्तमान क्षेत्रों में कुछ द्वितीय स्तर के तेल उत्पादन के कार्यों के अतिरिक्त दवका, रूपवती, सनंद, जोटाना, नंदासन तथा मेहसाना क्षेत्रों में इस समय तेल के लिए अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा रहा है।

Expenditure on Conversion of Viramgam-Okha-Porbandar Line into Broad Gauge

†3178. **Shri Dharamsingh bhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the estimates of total expenditure to be incurred on conversion of the entire Viramgam-Okha-Porbandar metre gauge line into broad gauge line;

(b) the extent to which work has so far been completed indicating the details of the work completed and the expenditure incurred thereon as also the details of the work remaining to be completed; and

(c) the time by which the work of conversion into broad gauge line would be completed ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The project was sanctioned at a cost of Rs. 42·93 crores in 1971. The costs have gone up since then and a revised estimate is under preparation.

(b) Overall progress on conversion of Viramgam-Okha-Porbandar into broad gauge is 42 per cent upto May 1976. The expenditure incurred on the project till March 1977 is about Rs. 17 crores. 305 hectares of land out of 400 hectares have been acquired. 28 lakh cubic metres of earthwork, out of 40 lakh cubic metres, 47 major bridges out of 85 and 482 minor bridges out of 585 have been completed.

(c) No target date for the completion of the project can be given at this stage.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे लाइनों का विस्तार

3179. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय, मिजोरम, मनीपुर, कोहिमा, अगरतल्ला, इटानगर तक रेलवे लाइन का विस्तार करन के लिये क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जहां-कहीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक है, राज्यों की राजधानियों और देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के प्रश्न पर निरन्तर विचार किया जा रहा है।

(ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्र के जिन राज्यों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है, उन तक रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण संबंधी काम या तो कर लिया गया है, या किया जा रहा है :—

1. मेघालय

(i) जोगीघोपा पंचरत्न—दारंगगिरी।

(ii) गुवाहाटी—वर्नीहाट।

(2) मिजोरम

लालाघाट—सैरंग।

(3) **मणिपुर**

सिलचर–जिरिबाम।

(4) **नागालैंड** (कोहिमा)

अमगुरी–तुली।

(5) **त्रिपुरा** (अगरतल्ला)

धर्मनगर–कुमारघाट–अगरतल्ला–सापरूप।

(6) **अरुणाचल प्रदेश** (इटानगर)

(i) टिपलिंग–इटानगर।

(ii) वालीपाड़ा–भालुकपोंग।

(iii) मुकोंग सेलेक–पस्सीघाट।

सिनेमा घरों में विज्ञापन देने के बारे एक कम्पनी का एकाधिकार

3180. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के सभी सिनमाघरों में विज्ञापन देने पर एक कम्पनी का लगभग एकाधिकार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी का नाम क्या है और निदेशकों के नाम और पतों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने लोक सभा चुनावों के दौरान कांग्रस पार्टी का बड़े पैमाने पर प्रचार किया और जनता पार्टी के लिए विज्ञापन देना अस्वीकार कर दिया ; और

(ङ) सिनेमाघरों के लिए इस विज्ञापन कम्पनी का एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) मैसर्स ब्लैज एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध सभी सिनेमाघरों में विज्ञापनों पर एकाधिकार रखने के आरोपों पर जो उसके विरुद्ध लगाए गये हैं, सरकार को उनकी जानकारी है। इस कम्पनी के निदेशकों के नाम और पते संलग्न विवरण पत्र के अनुसार है ।

(ग) शिकायत है कि मैसर्स ब्लैज एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जिसमें वह वाणिज्य स्लाइडों और लघु फिल्मों की एकाधिकारिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए सारे देश के सिनेमाघरों में एकमात्र अभिकरण अनुबन्धों के कार्यकरण द्वारा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त था, आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ) यह पाया गया है कि इस कम्पनी की अनुज्ञा सार्थ मैसर्स ब्लैज एडवरटाइजिंग (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली नाम की संस्था ने सम्पूर्ण देश के विभिन्न सिनेमाघरों में स्लाइडों और लघु फिल्मों की प्रदर्शनी और उसको सम्पन्न करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ एक करारनामा किया था। कम्पनी कार्य विभाग के पास कोई सूचना नहीं है कि कम्पनी जनता पार्टी के विज्ञापनों को नट गई। मैसर्स ब्लैज एडवरटाइजिंग (दिल्ली) प्रा० लि० के अनुसार, उसने जनता पार्टी के लिए पांच सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया है।

(ङ) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने पहिले ही जांच गठित कर दी है और उनकी कार्यवाहियां अनिर्णीत हैं।

(विवरण)

नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार निदेशकों के नाम और पते निम्न प्रकार है :–

नाम	पता
1. कुमारी प्रेनी एम० वारियावा	71, एम्बेसी अपार्टमैंट्स, निपन सी रोड, बम्बई–6 ।
2. श्रीमती सिल्लो एफ० वारियावा	71, एम्बेसी अपार्टमैंट्स, निपन सी रोड, बम्बई–6 ।
3. श्री ललित एम० बिजलानी	आदि बाबा 16 वी रोड, शान्ताक्रुज (पश्चिम) बम्बई–54 ।
4. श्रीमती माया एल० बिजलानी	आदि बाबा 16 वी रोड, शान्ता क्रुज (पश्चिम) बम्बई–54 ।

टिप्पणी :—

1. श्री मोहन जे० बिजलानी 31–7–76 से मृत्यु हो जाने के कारण निदेशक होने से हट गये।

2. श्री पली एम० वारियावा 10–4–77 से मृत्यु हो जाने के कारण निदेशक होने से हट गये।

3. श्री जगदीश चेतनदास भाटिया को 25–10–1976 से कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया था किन्तु उन्होंने 1–3–1977 को निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और कोयाली तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण पैट्रोलियम का संकट

3181. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा कोयअली तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर हड़तालों के कारण इस वर्ष देश में पैट्रोलियम का गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इन हड़तालों का देश में पैट्रोलियम उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इन संगठनों में हड़तालों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है ; और

(घ) क्या इन सभी संगठनों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है और क्या कोई सहकारी समिति स्थापित की गई है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयाली शोधनशाला के कामगरों द्वारा 11 मई, 1977 को हड़ताल आरम्भ की गयी और 20 मई, 1977 को यह हड़ताल समाप्त हो गयी। असम में ओ० एन० जी० सी० में 15-6-1977 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई थी। बड़ौदा स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की केन्द्रीय कर्मशाला में 2-7-1977 से 4-7-1977 तक एक अन्य हड़ताल हुई थी। इन हड़तालों से कच्चे तेल और गैस के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कोयाली शोधनशाला की लगभग 70 प्रतिशत क्षमता को हड़ताल की अवधि के दौरान चालू रखा गया। इन हड़तालों से किसी प्रकार के गम्भीर संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

(ग) प्रबन्धक इन मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत के जरिये इन औद्योगिक झगड़ों को निपटाने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार की बातचीत सफल नहीं होती, तो प्रबन्धक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के झगड़ों को *निपटाने* के लिए निर्धारित मशीनरी को काम में लाते है।

गोआ, दमण और दीव में उच्च न्यायालय की स्थापना

3182. **श्री एडुवार्डो फैलीरो :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा, दमण और दीव के लोगों ने उक्त क्षेत्र में पूर्ण स्तरीय उच्च न्यायालय की स्थापना की जोरदार मांग की है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शन्ति भूषण) : (क) पिछले दिनों गोवा, दमण और दीव में एक पूर्ण स्तरीय उच्च न्यायालय स्थापित करने की कुछ मांगे की गई थीं। किन्तु अगस्त 1975 में गोवा प्रशासन ने भारत सरकार को सूचित किया कि

वह (गोवा प्रशासन) उस राज्यक्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय या किसी पड़ोसी उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच स्थापित किए जाने के पक्ष में नहीं है। जून, 1976 में गोवा, दमण और दीव के मुख्य मंत्री से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि उस राज्यक्षेत्र में किसी पड़ोसी राज्य के और च्चछा हो कि महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की एक बैंच स्थापित कर दी जाए।

(ख) चूंकि गोवा प्रशासन ने सघ के उस राज्यक्षेत्र के लिए पूर्ण स्तरीय उच्च न्यायालय की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है

डायमण्ड हार्बर में तेल की खोज के लिये ड्रिलिंग

3183. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायमण्ड हार्बर से पांच किलोमीटर दूर सीसा में कुओं संख्या एक, डायमण्ड हार्बर (जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल) की खुदाई करते समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल की खोज के लिये गहनतम तट दूर ड्रिलिंग आरम्भ करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोज के लिए डिलिंग कार्य आरम्भ किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डायमण्ड हार्बर कुआं न० एक 5500 मीटर की प्रायोजित गहराई वाला एक तटीय कुआं है। तथापि यह कुआं अधिकतम गहराई तक खोदा गया कुआं नहीं होगा, क्योंकि उत्तर-प्रदेश के पूर्णपुर में एक कुए को 6000 मीटर की गहराई तक खोदने का पहले से एक प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). इस स्थान पर एक नया अमेरिकी रिंग आरमको 1329–एम का निर्माण किया गया है और सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चूका है। व्यधन कार्य के अगस्त/सितम्बर, 1977 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

Appointment of Member for Hindi in Railway Board

3184. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether, a 'Member for Hindi' is proposed to be appointed on the Railway Board for ensuring progressive use of Hindi ;

(b) whether the senior officers of the Railway Board who are in charge of Hi-di work are on deputation from some other department or they have been appointed through USPC ;

(c) the normal procedure followed in appointment to senior posts in the Railway Board and the names of such high posts in respect of which a deviation from this procedure was made ; and;

(d) the reasons for making departure from normal rules and the action being taken by the Government in regard to illegal appointments made by former Ministers ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) There are only two posts in the Administrative Grade, which are exclusively concerned with Hindi work. One is designated Nideshak, Rajbhasha (Director, Official Language) and the other Joint Director, Official Language. There are specific recruitment rules for filling up these two posts, which have been finalised in consultation with the UPSC. In accordance with the normal procedure,pending filling up of these posts in a regular manner *ad hoc* appointments are permissible under the powers vested in the Government. Accordingly, the post of Nideshak, Rajbhasha is at present filled by drafting an officer with the required qualifications from All India Radio. Another officer has also been drafted from a State Government to fill the post of Joint Director, Official Language, until regular appointments are made.

(c) The senior posts in the Railway Board which consist of both technical and other Secretariat posts are filled by drafting officers of appropriate seniority and suitability from the different Railway Service cadres and by appointment of Railway Board Secretariat Service officers. In respect of a number of ex-cadre posts, the filling up of which is done in accordance with the appropriate recruitment rules specified for the purpose, *at hoc* appointments wherever necessary are made with the approval of the Government. All such *at hoc* appointments are reporled to the U.P.S.C.

(d) No departure from the accepted procedure has been made. The selection for the post of Nideshak Rajbhasha is in the process of being finalised by the U.P.S.C. The post of Joint Director (Official Language) was temporarily filled on an *ad hoc* basis by secondment of an officer from the State Government. The Recruitment Rules for this post are now under revision and as soon as they are finalised in consultation with the U.P.S.C., the post will be filled up on a regular basis.

Proposal to make Exercise of Franchise compulsory

*3185. **Shri Ograsen** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make the exercise of franchise by citizens compulsory for elections to Lok Sabha, Legislative Assemblies of the States and local bodies ;

(b) whether Government propose to impose any penalties on persons who do not exercise franchise ; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) No such proposal is under considertion.

(b) and (c). Do not arise.

Production of Fertilizers

3186. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the fertilizer factories are not producing according to their installed capacity ;

(b) if so, the number of such factories and whether Government have tried to ascertain the reasons therefor ;

(c) whether the prices of fertilizers have gone up considerably during the last two years and the production of fertilizers is very low as compared to its demand ; and

(d) the remedial measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N Bahuguna): (a) and (b). The total production as well as capacity utilisation for both Nitrogen and Phosphate in 1976-77 has improved as compared to the previous year.

Fertilizer plants in the country can be broadly categorised into three categories as under :

(i) Old plants and those with built-in construints.

(ii) Stabilised plants.

(iii) New plants.

Plants in category (i) are not capable of operating anywhere near their rated capacity because of ageing condition of plant and equipment or because of certain other built-in technical constraints, such as, want of feed stock of the right quality, defective designs and equipments and obsolescence of technology in certain sections of some of the plants.

Plants in category (ii) are capable of operating near their rated capacity, subject to the availability of necessary inputs. Capacity utilisation of plants in this category has been quite high.

Category (iii) consists of the newly commissioned plants which are faced with teething troubles in the first year of their operation and which take at least two years for stabilising their operations.

It is the constant endeavour of the Government to maximise capacity utilisation by identifying constraints and taking necessary remedial measures by way of replacement/renewals and debottlenecking schemes, to overcome these constraints.

(c) and (d). Prices of fertilizers have not gone up during the last two years ; on the contrary it has been revised downwards on a number of occasions during this period.

The requirements of potash are being met entirely from imports as there is no indigenous production of potash in the country.

The figures of estimated consumption and production of fertilizers in 1975-76 and 1976-77 are as under :

(*In lakh tonnes*)

Year	Production		Consumption	
	N	P	N	P
1975-76 . .	15.35	3.20	20.32	4.45
1976-77 —	19.0	4.80	24.77	6.7

In respect of Nitrogenous and Phosphatic fertilizers, substantial portion of the demand is being met from out of indigenous production and imports as necessary are organised to bridge the gap between indigenous availability and demand.

A large programme of setting up new fertilizer plants is also under implementation to narrow the gap between indigenous availability and demand for fertilizers.

Allotment of Petrol Pumps and Gas Agencies to Educated Unemployed

3187. Shri Mahi Lal : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the city-wise number of educated unemployed persons who were given agencies for petrol, diesel pumps and cooking gas, separately by Indian Oil Corporation throughout the country during the years 1975-76 and 1976-77.

(b) the number of petrol pumps, diesel pumps and gas agencies out of them given to educated unemployed youths belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the number of applications still under consideration ; and

(c) whether Government would ensure that the aforesaid agencies are given only to Scheduled Caste and Scheduled Tribe youths until the reserved quota is completed ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c). Till Octobtr, 1969, Indian Oil Corporation (IOC) was awarding its agencies on

commercial considerations. In November, 1969, the policy was changed, and IOC's dealerships/agencies were awarded to unemployed graduates/engineers etc. coming from the low income group families. This policy continued till November, 1971. After the war in December, 1971, this policy was superseded and a scheme was evolved by which all IOC's dealerships/agencies were awarded to disabled defence personnel, war-widows, dependents of th se killed or missing in war and ex-servicemen, on the recommendations of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. This scheme has been kept in abeyance from 1-2-1975. During the years 1975-76 and 1976-77, IOC did not have the policy for awarding agencies to educated unemployed. Effective from 1-1-1974, IOC are reserving 25 per cent of the agncies (excluding 'B' site outlets) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates. As on 31-3-1977, IOC has awarded 9 'A' site retail outlets (Petrol and Diesel pumps) to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates out of the 49 outlets newly opened since 1-1-1974 Similary, 18 out of 71 new Cooking Gas agencies (excluding agencies converted from sub-distributorships to distributorships and those allotted to the Directorate General of Resettlement Nominees) were awarded to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates during this period. Thus IOC has so far been able to ensure the allocation of agewcies to Scheduled Castes/Tribes in accordance with the reservation prescribed.

तमिलनाडु में सथान्कुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देना

3188. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में विधान सभा निर्वाचनों में तिरुनेलवेल्ली जिले में सथान्कुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले कुछ उम्मीदवारों ने भारी सख्या में मतदाताओं को रिश्वत दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ लोगों को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था लेकिन बाद में उन्हें इस दलील के आधार पर छोड़ दिया गया कि यह दंड सहिता के अन्तर्गत असंज्ञेय अपराध है यद्यपि अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दंड संहिता में संशोधन करके उक्त अपराध को संज्ञेय बनाने का है जिससे कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के ऐसे कदाचार को समाप्त किया जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांन्ति भूषण) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग को एक शिकायत मिली है कि निर्वाचन लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने मतदाताओं को रुपये बांटे थे। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन आफिसर से इस अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सियालदह-बोनगांव और बांदल कट्वा के लिये दोहरी लाइन

3189. **श्री सौगतराय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सियालदह-बोनव गांव और बादल कटवा के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख) बण्डेल-कटवा खण्ड पर तो दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है; लेकिन जहां तक सियालदह–बोंगांव खण्ड के एक भाग पर दोहरी लाइन बिछाने का प्रश्न है, वित्तीय प्रबन्धों के सम्बन्ध में इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

इटारसी में लेविल क्रासिंग पर ऊपरी पुलों का निर्माण

3190. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र इटारसी में बार-बार सड़क यातायात रुक जाने को ध्यान में रखते हुए, उक्त कस्बे में दो लेविल क्रासिंगों पर ऊपरी पुलों के निर्माण कार्य को सरकार ने दस वर्ष से पहले मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई प्रगति हुई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) इटारसी–भोपाल खंड पर किलोमीटर 745/14–15 पर समपार सं० 1 के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का केवल एक प्रस्ताव 1965–66 में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ख) काम शुरू नहीं किया गया था।

(ग) काम शुरू होने से पहले राज्य सरकार को सड़क के विशाखन का काम करना था। उन्होंने काफी लम्बे समय तक यह काम नहीं किया। इस बीच, 1970 में राज्य सरकार ने इटारसी–जबलपुर खंड पर किलोमीटर 746/1–2 पर एक दूसरा ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तावित दोनों ऊपरी सड़क पुल पास-पास होने के कारण यह विनिश्चय किया गया कि होशंगाबाद छोर पर एक ही पहुंच मार्ग बनाया जाये। अतः ऊपरी सड़क पुल के लिए बनायी गयी पहली योजना त्याग दी गयी तथा दोनों ऊपरी सड़क पुलों के लिए एक ही नयी योजना बनाना जरूरी हो गया। इन परिस्थितियों में इटारसी–भोपाल खंड पर किलोमीटर 745/14–15 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का पहला प्रस्ताव रेलवे के निर्माण कार्यक्रम से हटा दिया गया।

उपर्युक्त दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए एक नयी योजना बनायी गयी है और उसकी अभी जांच की जा रही है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में इंडेन गैस की सप्लाई

3191. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में इंडेन कुकिंग गैस सप्लाई करने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस निकालने का है; यदि हां, तो कब ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तरल पैट्रोलियम गैस की सीमित उपलब्धता के कारण, इंडियन आयल कारपोरेशन की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस समय इंडेन गैस वितरण करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) भू-भौगोलिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त अंडमान निकोबार मग्नतट क्षेत्र में तटीय भूकम्पीय और चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये है। द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं अथवा नहीं, इस बात का पता कुछ चुने हुए स्थानों में अन्वेषी व्यधन कार्य करने के पश्चात् ही चलेगा।

Punjab Mail running from Bombay to Ferozepur

†3192. **Shri Dhanna Singh Gulshan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the 37 Up Punjab Mail running from Bombay to Ferozepur arrives as much late as three hours twice or thrice a week ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken to ensure that the train arrives on time ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No. Bombay V.T.-Firozepur Punjab Mail (37 Up) arrived Firozepur right time on 29 occasions in May and 28 occasions in June, 1977.

(b) and (c) Do not arise.

राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन

3193. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं के हाल के निर्वाचनों के दौरान, राज्यवार, दुर्घटनाओं एवं जाली वोट डालने की कितनी घटनायें हुई और राज्यवार, निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों तथा अभ्याक्षेपित मतों की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ख) वर्ष 1971 के निर्वाचनों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Per Quintal Production Cost of Fertilizer

3194. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the per quintal production cost as on 31st March, 1977 of Urea and other fertilizers produced by different public sector factories and the price at which the same is supplied to farmers at present ; and

(b) the annual production of fertilizers in India and to what extent it meets country's requirement ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The per ton cost of manufacture of Urea and phosphatic fertilizers in the public sector factories varies from plant to plant depending upon such factors as feedstock used, process adopted, age of the plant, location, cost of utilities etc.

The retail prices of the three main nitrogenous fertilizers viz. Urea, Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate are statutorily controlled. Presently their prices are :—

	Rs.	
Urea .	1650	per tonne
Calcium Ammonium Nitrate	1015	per tonne
Ammonium Sulphate .	935 925	per tonne (50 kg) per tonne (100 kg)

The prices of phosphatic fertilizers are not under statutory control. However, in terms of the price support scheme in vogue from March, 1976, the maximum selling prices of complex phosphatic fertilizers have been fixed by Government. The prices now prevailing are as in Annexure I. The prices of single superphosphate manufactured by the different units are fixed by the Fertilizer Association of India in accordance with the formula which has the approval of Government.

(b) The requirements of Potash are met entirely through imports as potash is not produced in the country.

The figures of production and consumption of Nitrogenous and phosphatic fertilizers during 1975-76 and 1976-77 is given below :—

(In lakh tonnes)

Year	Production		Consumption	
	Nitrogen	Phosphate	Nitrogen	Phosphate
1975-76 . . .	15·35	3.20	20.32	4.45
1976-77 .	19.00	4·80	24.77	6.70

The target of production of Nitrogenous and Phosphatic fertilizers during 1977-78 is 22 lakh tonnes of Nitrogen and 7.2 lakh tonnes of Phosphates respectively. During 1977-78 the agronomic requirement is estimated at 31.30 lakh tonnes of Nitrogen, 8.71 lakh tonnes of phosphate and 4.10 lakh tonnes of Potash.

Necessary imports are being arranged to bridge the gap between indigenous availability and requirements of Nitrogenous and Phosphatic fertilizers.

STATEMENT

Statement showing reduction in prices of complex phosphatic fertilizers w.e.f. 8-2-1977

Name of the Company	Product	Ceiling price fixed by Government w.e.f. 8-2-1977	Prices actually notified by manufacturers
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited	16 : 20 : 0	1860	1700
	20 : 20 : 0	2080	1845
Indian Farmers Fertilizers Co-operative Limited	10 : 21 : 26	2020	1990
	12 : 32 : 16	2220	2220
	22 : 22 : 11	2100	2100
	24 : 24 : 0	2080	2080
Madras Fertilizers Limited	17 : 17 : 17	1810	1810
	14 : 28 : 14	2660	1950
	24 : 24 : 0	2100	2045
Zuari Agro Chemicals Limited	28 : 28 : 0	2340	2340
	19 : 19 : 19	2020	2020
Coromandal Fertilizers Limited	28 : 28 : 0	2500	2340
	24 : 35 : 14	2230	2230
EID Parry	16 : 20 : 0	1700	1700
	18 : 9 : 0	1320	1320
Gujarat State Fertilizer Company Limited	19.5 : 19.5 : 0	1820	1820
	18 : 46 : 0	2120*	2120*
Fertilizer Corporation of India	15 : 15 : 15	1520	1520
	20 : 20 : 0	1880	1760

(*2210 outside Gujarat State)

Gas Agencies in Delhi

3195. **Shri Surendra Ram** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of gas agencies in Delhi and the salary given to the employees working in these agencies ; and ;

(b) the new gas agencies allotted after January, 1975 ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N Bahuguna) : (a) There are 58 cooking gas distributors of different oil companies in Delhi. The employees working with these distributors are not the employees of any oil company. Such employees are employed by the distributors on their own and, according to the information available, most of these employees are paid salaries ranging between Rs. 175/- and Rs. 350/- per month.

(b) 21 new distributors were appointed by oil companies in this area since 1975.

अमरीकी क्यन्सटिया को तट-दूर ड्रिलिंग के ठेके

3196. श्री मुखतियार सिंह मलिक : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन दो अमरीकी कम्पनियों को 1974 में तट दूर ड्रिलिंग के लिए ठेके दिये गये थे वे 1977 के अन्त तक तेल के लिए खोज का काम बन्द कर देंगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की उस क्षेत्र में तेल की खोज के लिए कोई वैकल्पिक योजना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अमरीका की नाटोमस कार्ल्सवर्ग समूह तथा रीडिंग और बेट्स समूह नामक दो कन्सोर्टिया को 1 अगस्त 1977 से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा कच्छ के अपतटीय क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिए दिए गए उनके ठेकों को समाप्त करने का नोटिस दिया गया है।

(ख) बंगाल-उड़ीसा तथा कच्छ अपतटीय क्षेत्रों में इन दोनों अमरीकन ग्रुप की कंपनियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण और व्यधन कार्यों का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है जिनके परिणामों पर इन क्षेत्रों में और तेल अन्वेषण कार्य को आरम्भ किया जाना निर्भर करेगा।

S.A. Savings and Financing Company Limited, Patna

3197. Shri R.L.P. Verma : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether only those persons are holding shares in the S.A. Savings and Financing Company Limited (Registration No. 1128/1974-75) Patna (Bihar) who were having shares in its erstwhile private limited company ;

(b) whether the company has 110 branches spread all over the country with 2200 employees working therein ;

(c) whether Government are aware that all these employees have been made shareholders of the company but none of them has been issued share certificates ; and

(d) if the answer to parts (a), (b) and (c) are in the affirmative, whether Government would conduct an enquiry into the affairs of the clmpany being run in an illegal manner ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House

(c) and (d) Complaints alleging that share money received had not been accounted for and share certificates to its emoloyee-shareholders had not been issued, have been received, which are being enquired into.

मालगाड़ी और अणुप्पुर-चिरिमिरी यात्री गाड़ी के बीच टक्कर

3198. श्री युवराज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के विलासपुर-कामजी सैक्शन में 26 जून, 1977 को एक माल गाड़ी अणुप्पुर-चिरीमिरी यात्री गाड़ी के साथ टकरा गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(घ) हताहतों को कितनी क्षतिपूर्ति अदा की गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां। यह दुर्घटना अनुप्पुर स्टेशन पर हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन 7 व्यक्तियों को चोटें आईं।

(ग) रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

(घ) चूंकि इस रेल दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों की ओर से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। पदेन दावा आयुक्त के न्यायालय के फैसले के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

आगरा फोर्ट स्टेशन में लाठी चार्ज

3199. **श्री शम्भू नाथ चर्तुवेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप अहमदाबाद एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के गैर-आरक्षित डिब्बे में बैठे हुए यात्रियों पर आगरा फोर्ट स्टेशन पर 21 जून, 1977 को लाठी चार्ज किया गया था और डिब्बा खाली कराने के लिए गाड़ी छूटने से 10 मिनट पहले उनका सामान निकाल कर बाहर फैंक दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए और उन्हें किस प्रकार की चोटें पहुंचीं; और

(ग) इस सख्ती के लिए उत्तरदायी रेल कर्मचारियों और सिपाहियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस के 3 कर्मचारियों सहित 6 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

(ग) किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि इस दुर्घटना में किसी भी कर्मचारी की गलती नहीं पाई गयी। लेकिन, यह बताया गया है कि सरकारी रेलवे पुलिस का अनुभाग अधिकारी, एक हैड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को उसी तारीख से निलम्बित कर दिया गया था।

पश्चिम रेलवे मुख्यालय को दाहौद ले जाया जाना

3200. **श्री सोमजीभाई डायोर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे मुख्यालय को बम्बई से दाहोद, जोकि पश्चिम रेलवे के केन्द्र में स्थित है, ले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार धीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यरूप कब दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु बण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Overbridges at Morena District Headquarters

†3201. **Shri Chhabiram Argal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in 1965-66 construction of an over-bridge was sanctioned at the railway crossing at Morena District headquarters ;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon by the railways and the Government of Madhya Pradesh separately ;

(c) the reasons for not commencing so far the construction of the o. rbridge at the railway crossing ; and

(d) whether Government propose to construct the bridge now keeping in view the crossing facility of the people ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A proposal for the construction of road over-bridge in replacement of existing level crossing No. 450 near Mor na station of Central Railway on Morena-Mahagaon road was included in the Railways' Works Programme for the year 1965-66.

(b) The Railway's share of the cost as per the estimate then prepared and the rules of apportionment then in force was Rs. 1.38 lakhs. State Governments share of cost is not known.

(c) After the inclusion of the proposal in the Railway's Works Programme for 1965-66, the State Government in April 1967, desired, that after the completion of the road overbridge the level crossing should be retained, which was against the exteat practice. In view of this development, the entire cost of the proposed road overbridge was required to be borne by the State Government. The estimate was accordingly revised in April 1968 by the Railway and sent for accep ance to the State Government who advised in July 1969 that the proposal for the construction of road overbridge at Morena might be dropped for the tim bei g. The proposal was therefore deleted from the Railway's Works Programme. No request has since been received from the State Government for reviving the proposal.

(d) The Railway can take further action in this regard only after a firm proposal is received from the State Government together with an undertaking to bear their share of cost as per extant rules.

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर सड़क और रेल यातायात की गणना

3202. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलव के बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर सड़क और रेल यातायात की गणना पिछली बार कब की थी ;

(ख) बिना चौकीदार वाले कितने रेलवे फाटकों पर गणना के अनुसार चौकीदार रखने की आवश्यकता का पता लगा ;

(ग) बिना चौकीदार वाले ऐसे कितन रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की उचित व्यवस्था कर दी गई ; और

(घ) अन्य रेलवे फाटकों के मामले में क्या स्थिति है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) यह एक सतत प्रक्रिया है और पांच वर्ष में एक बार प्रत्येक बिना चौकीदार वाले समपार की गणना, अलग-अलग तारीखों में एक समपार से दूसरे समपार तक की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1971–72 से 1975–76 तक के विगत पांच वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले 234 समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदल दिया गया था।

(घ) गणना के परिणामस्वरूप, जहां समपारों पर चौकीदार तैनात किया जाना आवश्यक पाया गया, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से उन पर चौकीदार तनात करन के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा एक कार्यक्रम के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

खमगांव-चिखली से जालना (बुलडाना जिला) के बीच रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

3203. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1929 में महाराष्ट्र में खमगांव-चिखली से जालना (जिला बुलडाना) तक रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था और उस पर कार्य आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या 30–40 मील तक मिट्टी डाली गई थी और रेल लाइन के निर्माण हेतु धातु भी लाई गई थी ; और यदि हां, तो उसकी लागत कितनी थी ; और

(ग) रेल लाइन के कार्य को स्थगित करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु बदण्डवते): (क) से (ख) खमगांव-चिखली-जलगांव लाइन के लिए वर्ष 1900 में एक सर्वेक्षण किया गया था और अकाल राहत उपाय के रूप में इस पर मिट्टी डालने का काम भी आरम्भ किया गया था। बाद में इस निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था। उसके बाद से इस लाइन के लिए अनेक सर्वेक्षण किये गये हैं और इस लाइन के सबसे अन्तिम खमगांव-चिखली खण्ड के लिए सर्वेक्षण 1933–34 में किया गया था। इस परियोजना की स्वीकृति मिल गयी थी लेकिन अलाभप्रद होने के कारण इसे 1935 में पुनः परित्याग कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी खान पर खुदाई

3204. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी स्थान पर खुदाई-कार्य चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये कार्य के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) जी हां । ज्वाला मुखो में 1000 मी० तक की प्रायोजित गहराई तक कुएं की खुदाई की जा चुकी है। उत्पादन-निरीक्षण के लिए कदम उठाये गये हैं और इसके परिणाम तो इन उत्पादन निरीक्षण के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही प्राप्त होने की आशा है।

स्टेशन अधीक्षक इलाहाबाद द्वारा न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करना

3205. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि इलाहाबाद स्थित वर्तमान स्टेशन अधीक्षक की तैनाती तत्कालीन रेल मंत्री के प्रभाव में आकर की गई थी यद्यपि पैनल में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पहले से ही दर्ज थे ;

(ख) क्या अन्य वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए, स्टेशन अधीक्षक का उस पद से स्थानान्तरण करने के लिए, आदेश जारी किये गये थे ;

(ग) क्या स्टेशन अधीक्षक ने न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इलाहाबाद में न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा रद्द किये जाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) से (घ) स्टेशन अधीक्षक, इलाहाबाद के पद के मौजूदा पदधारी की पदोन्नति नवम्बर 1974 में तदर्थ आधार पर तब तक के लिए की गयी थी जब तक कि उचित रूप से चुना हुआ व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाता। चयन के पश्चात् पेनल पर रखे गये व्यक्ति को मार्च 1976 में इस पद पर तैनात कर दिया गया था लेकिन वह व्यक्ति छुट्टी पर चला गया। इसी बीच, तत्कालीन रेल मंत्री की ओर से, उनके विशेष सहायक ने रेल प्रशासन को ये हिदायतें भेज दीं कि तदर्थ पदधारी को वहां से हटाया न जाये। अप्रैल 1977 में स्टेशन अधीक्षकों का एक अन्य पेनल बन जाने के बाद, 1974 से तदर्थ आधार पर काम कर रहे व्यक्ति के बदले पेनल पर रखे गये एक और व्यक्ति को तैनात किया गया लेकिन इस आदेश को कार्यान्वित न किया जा सका क्योंकि तदर्थ आधार पर काम कर रहे व्यक्ति ने इलाहाबाद स्थित मुनसिफ की कचहरी से स्थगन आदेश ले लिया। प्रशासन ने स्थगनादेश का विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने उस पद पर कार्यरत व्यक्ति विशेष का ओहदा, ग्रेड और वेतनमान तब तक घटाने से प्रशासन को मना कर दिया जब तक कि मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता । उसके द्वारा दायर किया गया मुकदमा लड़ा जा रहा है और निषेध आज्ञा को रद्द कराने के लिए रेल प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है।

रेलवे स्टेशन पोर्टर सहकारी श्रम ठेका समिति लिमिटेड, इलाहाबाद

3206. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशन पोर्टर सहकारी श्रम ठेका समिति लिमिटेड, इलाहाबाद की कुल सदस्य संख्या तथा शेयर पूंजी कितनी है ;

(ख) क्या पूर्व तथा उत्तर रेलों के पार्सलों तथा अन्य सामान को उतारने-चढ़ाने का कार्य करने के लिए नियुक्त वास्तविक श्रमिक ही समिति के सदस्य हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में समिति को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या समिति को हुए लाभ को सदस्यों के बीच बांट दिया गया था ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क)

कुल सदस्य संख्या	354
हिस्सा पूंजी	1708 रु०

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) चूंकि यह सोसाइटी एक स्वायत संस्था है जिसका नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए रेल प्रशासन के पास इस सहकारी सोसाइटी द्वारा अर्जित लाभ और उसके बंटवारे का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर रेलवे में श्रम सहकारी समितियों को दिये गये माल पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी ठेके

3207. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में श्रम सहकारी समितियों को दिये गये माल पार्सल उतारने-चढ़ाने संबंधी ठेकों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पृथक पृथक ठेके के लिए प्रत्येक समिति को औसतन कितना मासिक भुगतान किया गया ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में लाइसेंस-शुदा कुलियों के ठेके सहकारी समितियों को अथवा ठेकेदारों को दिये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या यह सच है कि लाइसेंस-शुद्धा कुलियों के ठेके आवंटन और/अथवा विस्तार करने संबंधी उत्तर रेलवे की यह कार्यवाही नैमित्तिक श्रमिकों को बन्द करने संबंधी योजना के विरुद्ध थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—669 77] ।

(ख) जी नहीं, सिवाय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ।

(ग) यह ठेका मैसर्स रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लि० इलाहाबाद के पास है ।

(घ) चूंकि मैसर्स रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद, उक्त स्टेशन पर काम करने वाले पोर्टरों की कोआपरेटिव सोसाइटी है । अतः स्थायीकरण योजना इस स्टेशन पर लागू नहीं की गयी थी ।

(ङ) स्थायीकरण योजना इस स्टेशन पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उज्जैन-गुना यात्री गाड़ी को आगे तक बढ़ाया जाना

3208. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उज्जैन-गुना यात्री गाड़ी को बीना तक और नागदा तक तेज गाड़ी के रूप में बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक की जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से इन्दौर तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

3209. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से इन्दौर तक बरास्ता–बीना–गुना और माकसी तक एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रेलगाड़ी कब तक चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के तीस हजारी न्यायालयों में तलाक या न्यायिक पृथक्करण के मामले

3210. **डा० रामजी सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्ष पूर्व जुलाई, 1972 से पहले दायर किये गये तलाक या न्यायिक पृथक्करण के कितने मामले दिल्ली के तीस हजारी न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या न्यायालय में इन मामलों के दायर किये जाने की तारीख से छः माह की अवधि के अन्दर इनका निपटारा किया जाना अनिवार्य है ; और

(ग) क्या न्यायालय में पुराने मामले पड़े हैं और यदि हां, तो इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 14 मामले।

(ख) जी नहीं। तथापि, विवाह विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विवाह विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में न्यायालय

2006 L.S.—5.

से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील की तारीख से छह मास के भीतर विचारण समाप्त करने का प्रयास करे।

(ग) कुछ पुराने मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। यह काम मुख्य रूप से उच्च न्यायालय का है कि वह इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही करे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अपर जिला न्यायाधीश को पूर्णतया इन्हीं मामलों के लिए रखा है। इसके अलावा 11 अपर जिला न्यायाधीश भी अन्य कार्य के अतिरिक्त ऐसे मामलों में कार्यवाही करते हैं।

रक्षित बिजली घरों की स्थापना

3211. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की भारी कमी से उत्पन्न बिजली उत्पादन की गम्भीर रूप से कमी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रत्येक उर्वरक कारखाने में रक्षित बिजली घरों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : पिछले कुछ वर्षों से कई उर्वरक एकक, बिजली में कटौती / बिजली में उतार-चढ़ाव, वोल्टेज की कमी पुनरावर्ती के आधार पर अन्य बाधाएं अनुभव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन पर कुप्रभाव बिजली के उतार-चढ़ाव व बाधाएं एकक व उपस्कर को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इन विचारों को मद्देनजर रखते हुए कुछेक उर्वरक एककों ने पहले ही केप्टिव पावर यूनिट का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और अन्य कई एककों में ऐसे केप्टिव पावर यूनिट को लगाने का प्रस्ताव है, ताकि संकटग्रस्त एककों एवं उपस्करों को बचाया जा सके। ये प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन हैं।

नई पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पाइपों का आयात

3212. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में पाइपों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ख) सलाया-वीरमगाम-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन परियोजना के लिए आयात किये जा रहे पाइपों की लागत कितनी है; और

(ग) पाइप स्वदेशी स्त्रोतों से प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों का क्या ब्यौरा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नयी पाइप-लाइन परियोजनाओं के लिए केवल उन्हीं विशिष्ट किस्म और आकार के पाइपों को आयात किया जा रहा है, जिनका देश में निर्माण नहीं होता।

(ख) और (ग) सलाया-वीरमगाम-कोयाली खंड की कच्चे तेल की पाइपलाइन परियोजना के लिए आयातित की जा रही पाइपों की लागत लगभग 14.17 करोड़ रुपये है।

पाइपलाइन परियोजना के लिए अपेक्षित ए० पी० आई० किस्म की पाइपों का निर्माण-कर्त्ता केवल राउरकेला इस्पात संयंत्र ही है। वीरमगाम-कोयाली-खंड के लिए सप्लाई की जाने वाली 18" व्यास की लगभग 13200 मी० टन के वजन की पाइपों को हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र (एच० एस० एल०) द्वारा तैयार किया गया है। वीरमगाम-मथुरा खंड के लिए 24" व्यास की 57,000 मी० टन के वज़न की पाइपों की सप्लाई के लिए एच० एस० एल० को आर्डर दिये गये हैं। इसकी डिलीवरी मार्च, 1979 तक पूरी की जानी है। यदि एच० एस० एल० इस सप्लाई को पूरा न कर सका तो इस खंड के लिए पाइपों की कुछ मात्रा आयात करना भी जरूरी होगा। इसका निर्णय एच० एस० एल० के परामर्श से किया जायेगा।

जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज

3213. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक किये गये कार्य के क्या परिणाम निकले और वाणिज्यिक उपयोग हो सकने के लिए उक्त क्षेत्र में तेल का पता लगाने की क्या सम्भावनायें हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मनहेरा टिब्बा में लघु मात्रा में जो गैस मिली है, वह भी वाणिज्यिक विशिष्टता के अनुरूप नहीं थी, को छोड़कर राजस्थान में अब तक किसी प्रकार के हाईड्रोकार्बन्स का पता नहीं चला है। अस्थायी तौर पर जो व्यधन कार्य चल रहा था, उसे उपलब्ध आंकड़ों का पुनः प्रतिपादन करने हेतु स्थगित कर दिया गया जिस पर भावी कार्यवाही आधारित होगी।

मंगलौर-त्रिवेन्द्रम सैक्शन पर चलने वाली गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाया जाना

3214. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे के मंगलौर त्रिवेन्द्रम सैक्शन पर यात्रियों की बहुत भीड़ होती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों को डीजल के इंजनों से चलाने तथा इनके साथ और अधिक डिब्बे लगाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वहां यात्रियों की सुविधा में वृद्धि करने हेतु सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफ़ेसर मधु दंडवते) : (क) 29/30 मंगलूर—तिरुवनन्तपुरम मालाबार एक्सप्रेस और 47/48 कन्नानूर-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस में उपलब्ध स्थान के इस्तेमाल का विश्लेषण करने से पता चला है कि इन गाडियों में कुछ खण्डों पर बहुत भीड़ रहती है .

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 29/30 मालाबार एक्सप्रेस तथा 47/48 कन्नानूर-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के क्रमश: दो और एक अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर इनके डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने की व्यवस्था की जा रही है ।

Surveys/Construction of Railway lines in Madhya Pradesh

3215. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of railway lines in Madhya Pradesh in respect of which surveys were conducted during the last three years ;

(b) the railway lines among them proposed to be constructed by Government ; and

(c) the names of new railway lines in respect of which survey Work is in progress ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Surveys for the following new lines/conversion projects were carried out during the last three years :

(1) Conversion of Raipur-Dhamtari narrow gauge section into broad gauge.

(2) New Broad Gauge line from Dhalli Rajhara to Jagdalpur.

(3) New line from Mahoba to Khajuraho.

(4) New line from Hirdagarh to Ghoradongri.

(5) New line from Ratlam to Banswara.

(6) New line from Korba to Ranchi.

(b) Construction of Hirdagarh-Damua portion of Hirdagarh-Ghoradongri line has been approved. The question of taking up the construction of the other railway lines is under consideration.

(c) Survey for gauge conversion of Jabalpur-Gondia line to broad gauge is in progress at present.

नैमित्तिक श्रमिकों की व्यवस्था समाप्त करने की योजना को लागू करने का निर्णय

3216. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के लिए नैमित्तिक आधार की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना उत्तर रेलवे तथा अन्य ज़ोनल रेलों के सभी स्टेशनों पर लागू कर दी गई है ; और

(ग) उत्तर रेलवे तथा अन्य जोनल रेलों के जिन स्टेशनों पर यह योजना लागू नहीं की गई है उनका ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां, उत्तर रेलवे के इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन को छोड़ कर जहां भारिकों की सहकारी समिति, मैसर्स रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोपरेटिव लेबर कंट्रक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद काम कर रही है । इस स्टेशन पर श्रमिकों को नियमित करने की योजना को चालू करने के प्रश्न पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए कांग्रेस के विधान सभा सदस्य

3218. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जो इस पद पर अपनी नियुक्ति से पूर्व कभी कांग्रेस के विधान सभा सदस्य थे ;

(ख) इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश किस राज्य में और किस वर्ष में विधान सभा का सदस्य था ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस तारीख को और उसे किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). सरकार के पास इस सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो स्थिति है उसको और उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार की जो नीति है उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार है कि ऐसी जानकारी इकट्ठी करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

Absorption of Casual Labourers on Regular Basis

3219. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the total number of casual labourers in the railways and the details of the schemes under consideration for absorbing these casual labourers on regular basis ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : About 2·5 lakhs of casual labourers are at present working on the Indian Railways. All vacancies in Class IV posts on the Indian Railways are at present generally being filled from amongst casual labourers after due screening.

Search of Train Passengers in Hadoti Area

3220. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passengers boarding trains from Hadoti area (Kotah, Bundi and Jhalawar of Rajasthan are searched frequently under the suspicion of possessing opium ;

(b) whether sometimes the police conduct searches in plain clothes or without wearing badges ;

(c) whether during the searches, the police scatter the luggage and abuse the passengers before their families ; and

(d) what are the rules governing the conduct of searches ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Officers and men of Excise Department carry on occasional checks of passengers on suspicion of carrying opium.

(b) No.

(c) No such reports have been received.

(d) Searches are conducted according to law under the provision of section 15 of Opium Act read with different provisions of Criminal Procedure Code.

आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में जांच करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ की मांग

3221. **श्री रामानंद तिवारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) और (ख). आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में जांच करने के लिए अधिकारियों की एसोसियेशन द्वारा एक तार मिला था । तथापि तथाकथित ज्यादतियों के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं । एसोसियेशनों के प्रतिनिधि मुझ से 22 जून, 1977 को मिले थे, जबकि मैंने उनको सलाह दी थी कि वह विशिष्ट मामले, यदि कोई हों, तो उचित कार्यवाही के लिए मेरे ध्यान में लायें ।

रेल गड़ियों में खोमचे वालों द्वारा बेची गई वस्तुयें

3222. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में प्राय: सभी मार्गों पर बहुत से खोमचे वाले चलती रेलगाड़ियों में वस्तुयें बेचते हैं ;

(ख) क्या उन्हें इन वस्तुओं को बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अचानक जांच-पड़ताल की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गन्दी वस्तुयें न बेची जाएं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गन्दी वस्तुयें बेचने के लिए कितने व्यक्तियों का चलान किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां, । कुछ मार्गों पर ।

(ख) जी नहीं । गाड़ियों में चीजें बेचने की अनुमति नहीं है ।

(ग) जी हां । गाड़ियों में अनधिकृत रूप से चीजें बेचने को रोकने के लिए आकस्मिक जांच की जाती है ।

(घ) वर्ष 1976–77 के दौरान, अनधिकृत रूप से विभिन्न चीजें बेचने के लिए 11,457 फेरीवालों पर मुकदमा चलाया गया।

Railway Stations Without Drinking Water facilities

3223. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of railway stations in the country and the number of those where drinking water facilities have not been provided so far ;

(b) whether additional temporary watermen are employed for serving drinking water to the passengers in the trains in the summer season ; and

(c) if so, the number of railway stations where such arrangements are made?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) the total number of railway stations in the country excluding halts as on 1-4-76 is 7056. At all these stations drinking water facilities are available.

(b) During summer season, the existing drinking water supply arrangements to the passengers are augmented by employing additional temporary watermen wherever necessary.

(c) At 3737 stations additional watermen have been employed during this summer season

आदरा-खड़गपुर रेलवे लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण

3224. **डा० विजय मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में आदरा और खड़गपुर के बीच रेल मार्ग के विद्युतीकरण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अथवा परियोजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) जहां तक रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इस मार्ग को अब तक छोड़े रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आद्रा–खड़गपुर खण्ड पर विद्युतीकरण, जिस पर भारी पूंजी लगानी पड़ेगी, की उपयुक्तता के लिए यातायात का घनत्व बहुत ही कम है। अतएव, इस परियोजना में और पूंजी लगाना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है।

बांकुरा और रायनगर रेलवे लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना

3225. **डा० विजय मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में बांकुरा और रायनगर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कोई निर्णय किया गया है अथवा किये जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के समय पूर्व रेलवे में रायनगर से तारकेश्वर तक इस लाइन का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). संसाधनों की कमी के कारण इस समय इन परियोजनाओं को आरम्भ करना संभव नहीं है ।

नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज को कच्चे माल की कम सप्लाई

3226. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज ने बताया है कि 1977 के पहले पांच महीनों में कम्पनी का कुल उत्पादन लगभग 23.25 करोड़ रुपए का हुआ जब कि गत वर्ष इसी अवधि में यह 24.53 करोड़ रुपए का था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल उन्पादन में इस कमी का कारण कच्चे माल की कम सप्लाई तथा हड़तालें हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या कम्पनी की स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने की योजनायें हैं और उसने औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाइसेंस देने के लिए उनके आवेदन-पत्र पर विचार किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) मई, 1977 के उत्तरार्द्ध में भारी टैंक लारी संचालकों की हड़ताल के कारण कुल उत्पादन में कमी आई और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में अन्तिम रूप से कमी आई ।

(ग) कम्पनी द्वारा उत्पादन को स्थिरता, प्रदान करने हेतु पूंजीगत माल को आयात करने के लिए दिये गये आवेदन-पत्र को कैपिटल गुड्स कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

(घ) तथा (ङ) . कीटनाशी औषधियों के उत्पादन के लिए देशीय प्रौद्योगिकी का विकास करने के सम्बन्ध में कम्पनी ने योजनाएं बनाई हैं ।

पंजाब में पीठासीन आफिसर की गिरफ्तारी

3227. **श्री के० लकप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पंजाब विधान सभा के हाल के निर्वाचनों में एक पीठासीन आफिसर को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि उसके पास 50 मतपत्र बरामद हुए ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितने अन्य व्यक्तियों का हाथ है ; और

(घ) उन सबके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यह मामला पंजाब के मुख्य निर्वाचन आफिसर को जांच के लिए भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

हाथी समिति के प्रतिवेदन के बारे में निर्णय

3228. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औषध सम्बन्ध हाथी समिति के प्रतिवेदन पर कोई अन्तिम निर्णय किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने कुल कितनी सिफारिशें मंजूर नहीं की हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग). हाथी समिति की समस्त सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया है और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार हैं:—

(1) सरकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका सौंपना ।

(2) भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ।

(3) गैर सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को प्रपुंज औषधों की सप्लाई । विदेशी फर्मों को प्रपुंज औषधों के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वे अपने प्रपुंज औषधों का 50 प्रतिशत गैर सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को सप्लाई करें जबकि भारतीय फर्में 30% और सरकारी फर्में 40% का सप्लाई करती हैं ।

(4) भारतीय फर्मों को सूत्रयोगों की नई क्षमता की अनुमति दी जा रही है बशर्ते कि उनके प्रपुंज औषध और सूत्रयोग में 1 : 10 का अनुपात हो । विदेशी फर्मों के सम्बन्ध में सूत्रयोगों को नई क्षमताओं की अनुमति तभी दी जा रही है जब उसको सम्बन्धित प्रपुंज औषधों के उत्पादन से जोड़ा जाता है ।

(5) समिति की सिफारिश के अनुसार इस उद्योग पर पहले लगाई गई रोक को हटा दिया गया है, जिसमें उनको अपने सूत्रयोग लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ प्रपुंज औषधों के उत्पादन को, जहां उनकी बिक्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये से अधिक हो, उसके साथ जोड़ना अपेक्षित था ।

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

3229. **श्री के० लकप्पा :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1977 को उच्च न्यायालयों में राज्यवार कुल कितने मामले लम्बित थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : 1–6–1977 को जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। 31–12–1976 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

उच्च न्यायालय का नाम	31–12–1976 को लम्बित मामलों की संख्या
1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1,20,022
2. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	14,390
3. मुम्बई उच्च न्यायालय	50,099
4. कलकत्ता उच्च न्यायालय	76,866
5. दिल्ली उच्च न्यायालय	22,908
6. गोहाटी उच्च न्यायालय	6,190
7. गुजरात उच्च न्यायालय	12,289
8. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	4,415
9. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	3,846
10. कर्नाटक उच्च न्यायालय	24,427
11. केरल उच्च न्यायालय	43,130
12. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	42,723
13. मद्रास उच्च न्यायालय	42,078
14. उड़ीसा उच्च न्यायालय	5,964
15. पटना उच्च न्यायालय	30,832
16. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	43,542
17. राजस्थान उच्च न्यायालय	20,254
18. सिक्किम उच्च न्यायालय	32

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ठ और प्रमुख सिगनलरों के वेतन निर्धारण की बढ़ाया बकाया राशि का भुगतान

3230. **श्री चतुर्भुज :** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के तार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सिगनलरों तथा प्रमुख सिगनलरों के वेतन निर्धारण के भुगतान की बकाया राशि कर्मचारियों को नहीं दी गई है हालांकि उनका वेतन-निर्धारण काफी अर्से पहले हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) :(क) से (ग). विसंगति समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप 1–1–1973 से वरिष्ठ सिगनलरों/मुख्य सिगनलरों को दिये जाने वाले 330––480 रुपये के वेतनमान में सुधार करके अगस्त, 1976 में उसे 330––560 रुपये कर दिया गया। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को नये सिरे से अपना विकल्प देना था, उनके तन का फिर से निर्धारण किया जाना था और चार वर्षों की पिछली अवधि के लिए उन्हें देय बकाया राशि का हिसाब लगाया जाना था। इस काम में समय लगना अनिवार्य था। फिर भी 172 में से 130 कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है और आशा है कि शेष 42 कर्मचारियों को भी इस महीने के अन्त तक भुगतान कर दिया जायेगा।

रायचूर में कोयले की चोरी

3231. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायचूर में कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). लोको शेड से ना तो कोयले की चोरी की कोई रिपोर्ट मिली है और ना ही थल स्टाप से किसी प्रकार की चोरी अथवा कमी होने की कोई रिपोर्ट की गई है। गन्तव्य स्टेशनों ने भी उन्हें सुपुर्द किये गए कोयले में किसी प्रकार की कमी की रिपोर्ट नहीं की है। लेकिन रेल-पथ पर गिराई गयी राख और पड़े हुए कच्चे कोयले में से कोयले की चोरी के छुट-पुट मामले हुए हैं। रेलवे सुरक्षा दल ने इसकी रोकथाम के लिए भी प्रभावी उपाय किये हैं।

आंध्र प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

3232. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यह पुनरीक्षण कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) पुनरीक्षण कार्य 30–9–1977 तक पूरा हो जाएगा।

सिन्दरी कारखाने को युक्तिसंगत बनानें का प्राक्कलन

3233. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी कारखाने को युक्तिसंगत बनाने का मूल प्राकक्लन क्या है;

(ख) क्या इस प्राकक्लन में इस बीच वृद्धि की गई है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो कितने की ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)से (ग) वर्ष 1967 में 22.96 करोड़ रुपये की ग्रनुमानित लागत पर मूल रूप में ग्रनुमोदित सिन्दरी सुव्यवस्थित-करण परियोजना की ग्रब ग्रनुमानित लागत 45.03 करोड़ रुपये है ।

गुजरात में इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ग्रौर तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के एककों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

3234. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में तेल शोधक कारखाना इंडियन पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के एककों में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए रोजगार के ग्रवसर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में उपरोक्त सरकारी क्षेत्र के एककों में विशेषकर गैर-तकनीकी तथा निम्न प्रशासनिक, लिपिक तथा ग्रन्य स्तर के पदों के लिए रोजगार हेतु स्थानीय लोगों को उचित मांगों की उपेक्षा करके ऐसे सभी पदों के लिए गुजरात से बाहर के प्रत्याशियों की भर्ती की जाती है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात के इन सरकारी उपक्रमों द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह से कम के वेतनमान वाले पदों की भरती स्थानीय रोज़गार केन्द्रों द्वारा की जाने के सम्बन्ध में, वर्तमान ग्रनुदेशों का पालन किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

साबरमती एक्सप्रेस की रफ्तार को बढ़ाने का प्रस्ताव

3235. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रहमदाबाद से वाराणसी को जाने वाली साबरमती एक्सप्रैस गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का सरकार का विचार है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो कैसे ग्रौर कब ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख) इस समय 165/166 अहमदाबाद-फैजाबाद वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3236. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष कितने रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित खण्डों पर विद्युतीकरण का काम, जिसका कुल जोड़ 947 मार्ग किलोमीटर है, प्रगति पर है और आशा है यह काम 1979–80 तक विभिन्न चरणों में पूरा हो जायेगा, बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो :—

खण्ड	मार्ग किलोमीटर
1. वाल्तेरु-किरंदल	471
2. मद्रास-विजयवाड़ा	434
3. मद्रास-तिरुवेल्लूर	42

लेकिन, चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रेलों के किसी भी खण्ड पर बिजलीकरण की कोई सम्भावना नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दवारा तेल के कुओं की खुदाई का असफल प्रयास

3237. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट दूर अनेक तेल के कुओं की खुदाई का प्रयास असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुओं को खुदाई में कुल कितना व्यय हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) 1976–77 के दौरान तथा तेल प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये कुल 24कुओं में से 13 कुएं हाइड्रोकार्बन का होना पाया गया है । 7 कुएं सूखे मिले हैं और 4 कुओं को व्यधन कार्य के दौरान तकनीकी कठिनाइयों तथा चक्रवाती मौसम के परिणामस्वरूप बीच में ही छोड़ देना पड़ा ।

नल्ली और कोविलपट्टी के बीच रेल दुर्घटना

3238. **डा० हेनरी आस्टिन :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में नल्लो और कोविलपट्टी स्टेशनों के बीच 12 जून, 1977 को मालगाड़ी की कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यक्ति के मरने की रिपोर्ट मिली है ;

(ग) इस दुर्घटना में कुल कितने माल की क्षति हुई ; और

(घ) क्या गत तीन महीनों के दौरान रेलवे के दक्षिण डिवीजन में यह 15वीं रेल दुर्घटना थी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग 5,000–रुपए मूल्य के माल की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी नहीं।

स्वदेशी काटन कम्पनी लिमिटेड का कार्य

3239. **श्री बी० एन० सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड को यह पता चला है कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड कानपुर, जिसकी कानपुर, नैनी, रायबरेली, मनाथाभजन, पांडिचेरी और उदयपुर में मिलें चल रही है, न तो उचित व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार चल रही है न उचित वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार और न ही वह शेयरधारियों अथवा कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के ध्यान में आई अनियमितताओं, का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसरण में इस व्यवस्था को दूर करने, कम्पनी के सदस्यों के हित की रक्षा करने इसे अपने नियंत्रण में लेने और अथवा कम्पनी में बोर्ड में सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने जैसी कार्यवाही सहित कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) स्थिति यह है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों आदि के निरीक्षण से विभिन्न अनियमितताएं और कुप्रबन्ध की चेष्टाएं प्रकट हुई थीं।

(ख) अनियमितताओं के ब्यौरे जो कम्पनी विधि बोर्ड की सूचना में आए हैं वे संलग्न विवरण-पत्र में दिए जाते हैं। ग्रन्थालय में रखा गया। (**देखिए** संख्या एल० टी०-670/77)

(ग) कम्पनी विभिन्न बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए मामले पर विचार किया और कम्पनी को कारण बताओ के लिए पूछते हुए नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं कम्पनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक नियुक्त किए जाने चाहिएं। कम्पनी के उत्तर को प्राप्त करने पर आगे कार्यवाही कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत अधिग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है।

जम्मू से ऊधमपुर तक रेल लाइन का बढ़ाया जाना

3240. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजनाविधि के दौरान जम्मू से उधमपुर तक रेल लाइन बढ़ाने का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाएगा; और

(ख) क्या उत्तरी सेना कमांड के मुख्यालय के रूप में उधमपुर की महत्ता को देखते हुए छटी योजनावधि में वहां तक रेल लाइन बन जाएगी?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण सम्बन्धी काम 1977—78 के बजट में शामिल कर लिया गया है और आशा है कि यह काम लगभग दो वर्ष में पूरा हो जाएगा।

(ख) इस परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

जोनल रेलों में घाटा

3241. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जोनल रेलें घाटे पर चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों का जोन-वार उनकी आय और बचत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन में किए जाने वाले पूंजी निवेश का उस जोन की बचत से कोई सम्बन्ध है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी हां।

(ख) अधिशेषों के ब्यौरे का हिसाब महीने-वार नहीं लगाया जाता, बल्कि वर्ष के लेखे की समाप्ति पर लगाया जाता है।

वर्ष 1976-77 के लेखों को अभी अन्तिम रूप से बन्द किया जाना है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 1976–77 के अन्त में क्षेत्रीय रेलों की आमदनी और अधिशेष/हानि के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

"विवरण"

1976–77 के दौरान क्षेत्रीय रेलों की अनुमानित आमदनी और अधिशेष/हानि का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

यूनिट	आमदनी	अधिशेष (+) हानि (—)
(1) मध्य . .	319.59	+68.19
(2) पूर्व .	246.84	—29.22
(3) उत्तर .	313.03	—14.98
(4) पूर्वोत्तर	82.75	—27.30
(5) पूर्वोत्तर सीमा .	62.64	—19.82
(6) दक्षिण . .	165.07	—38.76
(7) दक्षिण मध्य	179.32	+19.19
(8) दक्षिण पूर्व	365.51	+73.75
(9) पश्चिम	294.77	+36.57
जोड़—भारतीय रेलें	2029.52	+97.58
10. उत्पादन कारखानों द्वारा देय लाभांश और रेलवे बोर्ड आदि का खर्च	कुछ नहीं	—21.15
11. भारतीय रेलों उत्पादन कारखानों, आदि के लिए कुल अधिशेष		+76.43

औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व भूमिका प्रदान करना।

3242. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने 14 जून, 1977 को लोक सभा में आश्वासन दिया था कि, सरकार औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व भूमिका

प्रदान करेगी सरकार के सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग के विस्तार कार्यक्रम तथा, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स तथा अन्य के विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार ने हाथी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या अन्य कदम उठाए हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रम अर्थात् इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की विभिन्न विस्तार योजनाओं की भी स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) 21.79 करोड़ रुपए के निवेश से सिलेटिक ड्रग्स प्लांट हैदराबाद के विस्तार से 1988 मी० टन से 3886 मी० टन तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी;

(2) 8.58 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी परिव्यय से बिहार में निकोटीनामाइड संयंत्र की स्थापना;

(3) 6.93 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी परिव्यय से गुड़गांव, हरियाणा में एक नए सूत्रयोग संयंत्र की स्थापना;

(4) 15.31 करोड़ रुपए के निवेश से एन्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश का विस्तार;

(5) औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक औद्योगिक निवेश निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली एक कम्पनी में 32.64 लाख रुपए तक का निवेश।

(6) डेक्सट्रोज, स्टार्च, ग्लूकोस आदि के निर्माण के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली एक कम्पनी में 89.17 लाख रुपए का निवेश।

(7) पसिलिन, स्ट्रैप्टोमाइसिन के उत्पादन में तथा टेट्रामाइसिन और डीफमतीसिन के उत्पादन में विस्तार के लिए 10.14 करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय से हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का विस्तार।

(ख) औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति (हाथी समिति) की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, यद्यपि कुछ प्रमुख सिफारिशों पहले ही कार्यान्वित की गई हैं। इस समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

औषधियों के मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि के समाचार

3243. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री हर गोविन्द वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि औषध मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण के बावजूद गत छः वर्षों में औषध मूल्यों के सूचकांक में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

2006 LS—6.

(ख) यदि हां, तो मुल्यों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण है ; और

(ग) औषधियों के मूल्यों को उचित सीमा पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य, औषध मूल्य (नियत्रंण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते है। इस आदेश में औषधों के मूल्यों में संशोधन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1976–77 के दौरान औषधों और दवाइयों के थोक मूल्यों का सूचकांक 133.9 था जब कि वर्ष 1975–76 के दौरान सूचकांक 118.7 था (1970–71 के लिये 100 आधार मानकर)।

वर्ष 1976–77 के दौरान पेटेन्ट और स्वामित्व वाली दवाइयों पर उत्पाद शुल्क में सरकार द्वारा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक वृद्धि की गयी थी। इसी प्रकार दवायुक्त उत्पादों, जिन्हें अल्कोहल, नारकोटिक औषध और नारकोटिक्स शामिल है, पर थी 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गयी थी। मध्यवर्ती पदार्थों और तैयार प्रपुंज औषधों के आयात पर भी सीमा शुल्क में 27.5 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक मूल्य के अनुसार वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरों द्वारा की गई लागत जांच के आधार पर कतिपय प्रपुंज औषधों के मूल्य बढ़ाये गये थे तथापि मुल्यों में वृद्धि का मूख्य कारण टैरिफ में वृद्धि था, जैसा कि उपर बताया गया है।

(ग) 1976–77 के दौरान स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा आयातित कुछ प्रपुंज औषधों तथा देश में उत्पादित औषधों के मूल्य भी कम किये गये थे। मूल्यों में कटौती को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सूत्रयोगों के मूल्यों में कटौती के लाभ को उपभोक्ताओं को दिया जाता है। सरकार ने भी पेटेंट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों, जिनमें निम्नलिखित प्रपुंज औषध शामिल है, पर उत्पाद शुल्क में 10 मई, 1977 से से $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $2\frac{1}{2}$ तक कटौती कर दी है :—

1. क्लोरोक्विन फोस्फेट
2. अमोडियाक्विन
3. क्लोरोफाजिमाइन
4. टोलबुटामाइड
5. मट्रोनिडाजोल
6. डिएथाइल कार्बयिजाइन
7. पाइप्राजाइन और उसके लवण
8. रिफाम्प्रिसिन
9. टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लाराइड

उत्पाद शुल्क में कटौती के प्रभाव से सूत्रयोगों के मूल्यों में कटौती होगी और ज्योंहि उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत नये बैचों पर संशोधित उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा,

इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। वित्त मंत्रालय ने भी अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति गठित की है जो दवाइयों सहित समस्त वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों की जांच कर रही है।

औषध और भेषज उद्योग समिति (हाथी समिति) ने औषधों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की है। इन सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा रहा है।

"विवरण"

प्र पुंज औषधों के मूल्य में कमी

क्रमांक	औषध का नाम	पहले मूल्य	वर्तमान मूल्य
1.	एम्पिसिलीन एनहाइड्रोउस	1952.76	1540.00 (1–8–76 से)
2.	एम्पिसिलीन सोडियम	2121.55	1300.00 (1–8–76 से)
3.	एम्पिसिलीन ट्रिहाइड्रेट	1427.65	1213.05 (1–8–76 से)
4.	क्लोरेमोनीकोल पाउडर	562.42 (पुल्ड मूल्य)	524.60 (1–8–76 से)
5.	इरीयोमाइसीन स्टीरेट	1481.50	1300.00 (1–8–77) से
6.	अनलजीन (पूल्ड मूल्य)	175.02	155.30 (31–7–76 से)
7.	फेनोबारविटोन प्लेन (पूल्ड मूल्य)	276.11	172.81 (1–7–76 से)
8.	नरकोटिन	410.00	244.02 (24–7–76 से)
9.	जायलोकेन/लिजलोकेन	296.00	281.00 (4–9–76 से)
10.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	950/1000	(i) 729.00 (अपने प्रयोजन के लिए) (ii) 749.00 (दूसरों को बेचने के लिए) (8–9–76 से)
11.	डिलोक्सनाइड फरकेट	666.67	450.00 (5–10–76 से)
12.	टार्ट्रिक एसिड	29.00	20.89 (10–1–76 से)
13.	टैट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	850.00	650.00 (10–9–76 से)

औषध निर्माता बहुराष्ट्रीय निगम और सहायक कम्पनियां

3244. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगम और उनकी सहायक कम्पनियां कौन कौन सी हैं और गत तीन वर्षों में इन्होंने कुल कितनी पूंजी निवेश किया है और कितना लाभ कमाया है;

(ख) क्या सरकार ने उनके औषध-उत्पादन व्यापार तथा मूल्यों के बारे में उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाये है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी औषध निर्माता फर्मों/सहायक फर्मों, जिनकी विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है, के नाम उनकी कुल निवेश पूंजी और उनके द्वारा अर्जित लाभ दिखाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-671/77]

(ख) और (ग) इस देश में कार्य कर रही विदेशी औषध फर्मों के बारे में औषधों के निर्माण के लिए लाइसेंसिंग से सम्बन्धित एक निश्चित नीति अपनाई जा रही है । इसके अलावा वे विभिन्न अधिनियमों जैसे, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, पूंजी जारी (नियत्रण) अधिनियम, 1949, उद्योग (डी एण्ड आर) अधिनियम, 1951, मोनाप्लीज एण्ड स्ट्रिकटिव ट्रेड प्रेक्टिसस अधिनियम, 1969, कम्पनी अधिनियम, 1956 और अन्य लागू कानून के उपबन्धों के द्वारा अभिशासित है । ये अधिनियम सुनिश्चित करते हैं कि विदेशी कम्पनियां राष्ट्रीय स्वामित्व की सीमा में कार्य कर रही है ।

मूल्यों के बारे में डी पी सी ओ 1970 की व्यवस्थाएं भी विदेशी औषध निर्माता फर्मों पर लागू है ।

उड़ीसा तट पर तेल की खोज

3245. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट पर तेल की उपलब्धि के कोई संकेत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोज के लिये कोई कार्य शुरू किया गया था ; और

(ग) क्या उड़ीसा तट पर भूमिका भण्डार को निकालने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) उड़ीसा तट पर भूमि पर तेल के अन्वेषण के लिए किए गए भूकम्पीय सर्वेक्षणों ने अन्वेषी व्यधन कार्य के लिए उपयुक्त किसी बड़ी संरचना पाये जाने के कोई सकेत नहीं दिये है ।

उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों के समीप के क्षेत्रों में विस्तृत अप तटीय भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त, दो अन्वेषी कुओं की खुदाई की गई है, जिनमें वाणिज्यिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन नहीं मिले है । महानदी अपतटीय बेसिन में और भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव दिये गये है ।

बाल्लासोर तथा कटक स्टेशनों के निकट ऊपरि पुलों का निर्माण

3246. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में बालासोर तथा कटक रेलवे स्टेशन के निकट फाटकों पर यातायात की भीड़ की समस्या को हल करने के लिये वहां पर उपरि पुलों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गये है ; और

(ख) वहां पर वास्तविक निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफ़ेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). रेमुना रोड पर कि०मी० 230/6–7 पर स्थित वर्तमान समपार के बदले, बालासोर के निकट एक ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही रेलवे के चालू वित्त वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । इस निर्माण-कार्य का अनुमान स्वीकृति के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को भेज दिया गया है । अनुमान को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद उस ऊपरि सड़क पुल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जहां तक कि०मी० 408/2–3 पर स्थित वर्तमान समपार के बदले कटक में प्रस्तावित ऊपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रश्न है, इस निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार के हिस्से के लिये विस्तृत नक्शे, अभिकल्प और अनुमान की राज्य सरकार से अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है । आवश्यक प्रारम्भिक कार्य (नक्शे, अभिकल्प, अनुमान तैयार करना और राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा आपस में उन्हें स्वीकार कर लेना) पूरे हो जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव को रेलवे के आगामी निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हुआ ।

उर्वरकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

3247. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगा है;

(ख) क्या उत्पादकों के पास नाइट्रोजनी उर्वरक भारी मात्रा में पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार उर्वरकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर लगे प्रतिबन्ध हटाने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक वर्ष मार्च से जून तक के मध्य तक की अवधि के दौरान निर्माताओं के पास स्टाक जमा हो जाना एक मौसमी घटना है । 15 मई, 1977 को निर्माताओं के पास 2.95 लाख मी० टन नाइट्रोजन का स्टाक जमा था जब कि 15 मई, 1976 को उन के पास 3.22 लाख मी० टन नाइट्रोजन का स्टाक जमा था । यह स्टाक मान्य निश्चित स्तर (अर्थात् 30 दिन का उत्पादन) से आंशिक रूप में अधिक है । मानसून और बुआई आरम्भ होने से निर्माताओं के पास जमा स्टाक की निकासी होने और योजनाबद्ध स्तर तक घट जाने की आशा है ।

(ग) जी, नहीं । उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत उर्वरकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लानेले-जाने पर लगाई गई रोक से राज्य सरकारों को देशीय और आयातित दोनों उर्वरकों का आवंटन करने के लिये एक समन्वित योजना बनाने का विचार किया गया है । रेलवे और निर्माताओं के परामर्श से बनाई गई सप्लाई योजना राज्य सरकारों को उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की इस ढंग से सप्लाई करना सुनिश्चित करती है जिसमें अधिक समय तक रुकना और दुतरफा संचलन की आवश्यकता नहीं होगी । अतः इस समन्वित योजना बनाने से रेलवे द्वारा प्राथमिकता

के आधार पर उर्वरकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-लेजाने में सुविधा होती है और भाड़ा भी कम पड़ता है ।

Construction of Over-bridges and Under-bridges on Western Railway

3248. Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) The number of over-bridges and under-bridges on the Eastern Railway for construction of which a programme has been chalked out or is proposed to be chalked out for 1977-78 ;

(b) the places where these bridges are proposed to be constructed and the expenditure to be incurred thereon ; and

(c) when will the work on those bridges commence and when this work will be completed ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Proposals for the construction of 9 road over bridges have been included in the Western Railway's Works Programme for the current financial year. This includes 5 new works proposed during 1977-78.

(b) and (c). A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 672/77]

Closure of Railway Lines in Bhavnagar Division

3249. Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of railway lines in Bhavnagar division in Western Railway which were closed during the last four years, the dates on which each of them were closed and the reasons therefor ;

(b) when are these closed railway lines likely to be reopened ; and

(c) whether some representations have been received demanding re-opening of those lines and if so, who sent them and when and action taken or proposed to be taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No Railway line as such had been closed on Bhavnagar division during the last four years. However, the only pair of mixed trains running on Kunkavav-Derdi section was cancelled with effect from 3-5-74 owing to accute shortage of coal prevailing at that time and has not been reintroduced so far.

(b) Does not arise.

(c) Against the suspension of services on Kunkavav-Derdi section a representation was received from the Secretary, Derdi Merchant Association and Derdi Gram Panchayat on 8-9-75 and the position was explained to them on 8-10-75. A representation dated 30-5-77 addressed to the Chief Minister, Gujarat State, and copy endorsed to Divisional Superintendent (Commercial), Bhavnagar, has been received from Shri Ramnik Bhai Bhami, President, Zila Panchayat, Rajkot. A reference from the Gujarat State Government to whom the reresentation has been addressed in the matter is awaited.

Dieselisation of Somnath Mail

3250. Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the action proposed to be taken by the Ministry to dieselise Somnath Mail ;

(b) the time by which Somnath Mail will be dieselised ; and

(c) whether any demand has been made for dieselising Somnath Mail and if so, who made the demand and when the demand was made ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b). There is no proposal at present to dieselise 23/24 Ahmedabad-Veraval Somnath Mail.

(c) In December, 1976, Shri Gulab-khan Faranwala, Member, Zonal Railway Users' Consultative Committee, requested for dieselisation of this train. Prior to this Shri S. K. Madhev Rao, Under Secretary, Govt. of Gujarat, had asked for the dieselisation of this train in February, 1974.

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशतता

3251. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल के मूल्य में की गई वृद्धि की प्रतिशतता तेल उत्पादक देशों को किये जाने वाले बढ़े हुए मूल्य की प्रतिशतता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल का मूल्य कम करने का है ; और

(ग) भारत तेल के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) पेट्रोल के मूल्य को कम करने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत कब तक अशोधित तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेगा। इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

औषध उद्योग द्वारा औषधियों के मूल्यों में 20 प्रतिशत कटौती की पेशकश

3252. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग ने यह पेशकश की है कि यदि सरकार उनकी कुछ मांगों को मान ले तो वे औषधियों के मूल्यों में 20 प्रतिशत कटौती कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेवमती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा औषध एकक की स्थापना का प्रस्ताव

3253. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पश्चिम बंगाल में एक एकक स्थापित करने की प्रस्तावित योजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस एकक को किन्हीं अन्य राज्यों में स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०, पश्चिमी बंगाल में एक उत्पादन यूनिट की स्थापना से सम्बन्धित स्कीम की सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार कर रही है। सम्भाव्य रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार प्रस्ताव के गुणों और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धि पर निर्णय लेगी।

थिरुमलाइ कैमीकल्स कम्पनी को कच्चे माल की कम मात्रा में सप्लाई

3254. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थिरुमलाइ कैमीकल्स कम्पनी ने बताया है कि चालू वर्ष 1977 के प्रथम पांच महीनों के दौरान तमिलनाडु में बिजली के संकट से और सरकार द्वारा कम मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई के कारण कम्पनी को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कच्चे माल की सप्लाई कम मात्रा में किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1977 के शेष महीनों में उक्त कम्पनी को कच्चे माल का पूरा कोटा देने के बारे में आश्वासन दिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत नहीं मिली है कि थिरुमलाई कैमीकल्स कम्पनी लि० को चालू वर्ष 1977 के पहले पांच महीनों में तमिलनाडू में बिजली संकट और सरकार द्वारा कम मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा था।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति

3255. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्तमान चेयरमैन का सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश में चीनी उद्योग से था;

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे महान तकनीकी संगठन के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिये विशेष अर्हताएं क्या हैं;

(ग) जब से उन्होंने इस पद का कार्यभार सम्भाला है वह कितनी बार विदेश गये और इन औपचारिक दौरों के कारण क्या थे तथा उन पर कितना व्यय किया गया;

(घ) वह कितनी बार हैदराबाद गये जो उनका पहले चीनी उद्योग का केन्द्र था;

(ङ) क्या हैदराबाद के दौरे 'औपचारिक दौरे' करार दिये गये थे या कि वह अवधि 'छुट्टी' गिनी गई; और

(च) चेयरमैन ने जब से इस पद का कार्यभार सम्भाला है तब से विदेशों में तथा देश के भीतर अपने औपचारिक दौरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल की खोज के लिये इराक के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का करार

3256. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1977 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि 8 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इराक के साथ तेल के खोज सम्बन्धी एक करार को समाप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी धनराशि के अपव्यय के क्या कारण हैं;

(ग) इराक के साथ क्या करार किया गया था तथा इस करार के लिये उत्तरदायी भारतीय एजेंसी का नाम क्या है; और

(घ) क्या इस करार की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिये तेल की खोज के लिये भारत-इराक करार की पृष्ठ भूमि की जांच कराई जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी स्थान पर तेल की खोज का कार्य एक जोखिम का उद्यम है तथा व्यधन सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों के किये बिना वाणिज्यिक रूप से उचित तेल के होने अथवा न होने का पता नहीं चल सकता; इस सन्दर्भ में यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि तेल की खोज के लिए खर्च की गई धन राशि व्यर्थ में गई।

(ग) 22-8-1973 को हस्ताक्षर किये गये सेवा करार के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इराक के 4175 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र में पेट्रोलियम के अन्वेषण तथा समुपयोजन, इसके साथ ही वहां पर उत्पादित पेट्रोलियम के विपणन के सम्बन्ध में विशिष्ट तकनीकी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक सेवाएं इराक नेशनल आयल कम्पनी (आई०एन०ओ०सी०) को प्रदान करनी थी। वाणिज्यिक रूप से खोज तथा उत्पादन होने पर, समस्त लागत आई०एन०ओ०सी० से वसूल की जानी थी तथा ओ०एन०जी०सी० को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पारिश्रमिक की अदायगी उस क्षेत्र में उत्पादित अशोधित तेल को कुछ निर्धारित शुदा बिक्री कीमत पर खरीदने के अधिकार के रूप में की जायेगी।

घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

3257. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 30 मार्च, 1977 तक कितने मामले गत पांच वर्षों से लम्बित थे;

(ख) ऐसे लम्बित मामलों का निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त न्यायालयों के सामने जो मामले हैं उनको शीघ्र निपटाने की वांछनीयता के बारे में जनता सरकार की क्या नीति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उच्च न्यायालयों में तारीख 30-3-1977 को लम्बित मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय में 1-4-1977 को और उच्च न्यायालयों में 31-12-1976 को 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या बताने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) यद्यपि उच्च न्यायालयों में मामलों के बकाया होने के अनेक कारण हैं तथापि एक बड़ा कारण यह है कि गत कुछ वर्षों से उच्च न्यायालयों में अनेक रिक्त स्थानों को भरा नहीं गया है और अनेक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियत संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है---विशेष रूप से मुकदमों की संख्या बढ़ जाने के कारण।

(ग) उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्त स्थानों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जहां भी आवश्यक होगा, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या में वृद्धि की जाएगी।

विवरण

न्यायालय का नाम	31-12-1976 को पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या
भारत का उच्चतम न्यायालय .	2,518*
उच्च न्यायालय	
1. इलाहाबाद	23,074
2. आन्ध्र प्रदेश	10
3. मुम्बई	7,985
4. कलकत्ता	19,084
5. दिल्ली	5,135
6. गोहाटी	364
7. गुजरात .	352
8. हिमाचल प्रदेश	416

1	2
9. जम्मू-कश्मीर	108
10. कर्नाटक	62
11. केरल	14
12. मध्य प्रदेश	3,728
13. मद्रास	1,033
14. उड़ीसा	378
15. पटना	5,735
16. पंजाब और हरियाणा	7,560
17. राजस्थान	1,974
18. सिक्किम	शून्य

हाथी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन

3258. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सौगत राय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन पुनः समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो आमतौर पर समूचे उद्योग तथा विशेषरूप से विदेशी नियंत्रित औषध फर्मों के राष्ट्रीयकरण के मामले के बारे में उनकी क्या नीति है; और

(ग) जीवन बचाने वाली औषधियों के जिनके मूल्य पिछली केन्द्रीय सरकार के शासन में बहुत बढ़ गये थे, मूल्यों को कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख): हाथी समिति की सिफारिशें, जिसमें औषध उद्योग में विदेशी क्षेत्र कम्पनियों के कार्यकलापों को नियमित करने के बारे में उनकी सिफारिशें शामिल हैं, सरकार के विचाराधीन हैं और अन्तिम निर्णय यथा संभव ले लिया जायेगा ।

(ग) 10 मई, 1977 से सरकार ने निम्नलिखित प्रपुंज औषधों वाली स्वामित्व प्राप्त दवाइयों और पटेंट पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क कम किया है :—

(i) क्लोरीक्यून फास्फेट
(ii) एमोडियाक्यून
(iii) ग्लोफाजीमाइन
(iv) टोलबुटामाइड
(v) मेट्रोनिडाजोल
(vi) डीथियल कारवामेंजाइन सीट्रेट
(vii) पाइप्राजाइन और उसके लवण

(viii) रिफयपसिन

(ix) टेट्रासाइक्लीन हैड्रोक्लोराइड

इससे सूत्रयोगों के मूल्यों को क्रय करने के बारे में प्रभाव पड़ेगा और ज्योहि उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमति मिलने पर नये सूत्रयोगों पर संशोधित उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा त्योंहि लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

पश्चिम बंगाल में पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में नयी रेल लाइनें

3259. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों विशेषरूप से पहाड़ी क्षेत्रों में नयी रेल लाइनें बिछाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में जहां वास्तव में कोई रेल सुविधा नहीं है, नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) लोक लेखा समिति ने 1975-76 की अपनी 191वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए योजनाबद्ध आधार पर लम्बी अवधि वाली व्यापक तथा स्पष्ट नीति संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर रेल मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से जब इस नीति को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, इसे संसद के समक्ष विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) : एकलाखी से बालुरघाट तक बड़े आमान वाली लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है। मैनागुड़ी से सीतई तक एक नई बड़े आमान वाली लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन लाइनों के निर्माण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिमी बंगाल में निर्वाचनों में हेरा-फेरी करने का षडयंत्र

3260. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल में दो वरिष्ठतम अधिकारियों ने निर्वाचनों में हेरा-फेरी करने का षड़यंत्र रचा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों अधिकारियों की पहचान की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

गैस एजन्सियों का आवंटन

3261. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस एजेंसियों का आवंटन करने सम्बन्धी नियम क्या हैं और प्राथमिकता के आधार पर किन श्रेणी के लोगों को गैस एजेंसियों का आवंटन किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गैस एजेंसियों का आवंटन सहकारी समितियों को करने का है ;

(ग) उत्तर प्रदेश के किन जिलों में गैस एजेंसियों का आवंटन अब तक किया जा चुका है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन जिलों में लोगों को गैस सिलेंडर तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : जबकि अन्य तेल कम्पनियां जो कि अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र में थीं घरेलू गैस की एजेंसियां वाणिज्यिक विचार धारा के आधार पर देतीं आ रही हैं वहां पर 1–1–1974 से इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की गई एजेंसियों में 25% एजेंसियां अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित की जाती हैं। अन्य बातों के समान होने पर शेष एजेंसियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जा रही है :—

(क) वास्तविक उपभोक्ता सहकारी समितियों को जो कि भली प्रकार से स्थपित हो चुकी हैं तथा कुशलता पूर्वक कार्य कर रही तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं।

(ख) अपंग रक्षा कार्मिक तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं ;

(ग) बेरोजगार इंजीनियर स्नातक आदि।

(घ) भूतपूर्व सैनिक।

(ङ) जिले हैं :—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, फरूखाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, नैनीताल रायबरेली, सहारनपुर तथा वाराणसी।

(घ) तथा (ङ) :—वर्तमान ग्राहकों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। नये गैस कनैक्शनों की इस उत्पाद की उपलब्धता पर, प्रत्येक वितरक के यहां ग्राहकों को पंजीकृत तिथि के अनुसार जारी किया जाता है।

Judges of Allahabad High Court Transferred during Emergency

3262 Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during emergency Judges were transferred from Andhra Pradesh High Court to Allahabad High Court ;

(b) if so, whether this has affected the seniority of the Judges of the Allahabad High Court and chances of Judge becoming a Chief Justice have been marred ;

(c) whether some judges have tendered their resignation from Allahabad High Court and if so, their names ; and

(d) whether Government propose to transfer again all the transferred judges to their original High Courts ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) and (b): No Judge was transferred from Andhra Pradesh High Court to Allahabad High Court during the emergency. However, Shri D.M. Chandrasekhar, a puisne Judge of the Karnataka Hige Court and Shri Justice Mufti Baha-ud-din Forooqi, a Puisne Judge of the Jammu & Kashmir High Court were transferred to the Allahabad High Court, during the emergency.

On his transfer to the Allahabad High Court, Shri Justice D.M. Chandraskhar took rank at No. 3, above Shri Justice Satish Chandra and below Shri Justice G.C. Mathur whereas Shri Justice Mufti-Baha-ud-din Farooqi took rank at No. 16, above Shri Justice T.S. Misra and below Shri Justice Gopinath. Shri Justice G.C. Mathur retired on 13-1-77 and on the retirement of Chief Justice K.B. Asthana on the 8th May, 1977, Shri Justice Chandrasekhar has been appointed Chief Justice of Allahabad High Court. If Justice Chandrasekhar had not been transferred to Allahabad, Justice Satish Chandra would, on the retirement of Chief Justice Mathur, have been the senior most Judge in that Court eligible for appointment as Chief Justice.

(c) One Judge of Allahabad High Court viz. Shri Justice Satish Chandra, has sent a communication stating that he resigns his office as Judge, Allahabad High Court and that his resignation shall be effective on 1st August, 1977.

(d) The Government have already, in the public interest, retransferred some Judges and will, in consultation with the authorities concerned, consider the re-transfer of others.

स्टेशनों पर चाय-स्टाल लगाने तथा अन्य सामान बेचने और रेलगाड़ियों में खान-पान व्यवस्था के लिये ठेका देना

3263. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेशनों पर चाय-स्टाल लगाने और अन्य माल बेचने तथा यात्री गाड़ियों में खाने और नाश्ते के बन्द डिब्बे सप्लाई करने और उनके ठेके देने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की नीति क्या है ;

(ख) भूतपूर्व रेल मंत्री स्व० श्री ललित नारायण मिश्र ने और बाद में श्री कमलापति त्रिपाठी ने उनमें क्या परिवर्तन किए ;

(ग) क्या श्री कमलापति जी ने अपने निजी सचिवों और सहायकों के परिवारों को ये ठेके प्रदान किए थे और क्या ये ठेके अधिकतर एक जाति विशेष के लोगों को दिए गए ; और

(घ) ठेके देने से फैले भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद से निपटने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार ठेके देने के इस कार्य को पक्षपात रहित बनाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दन्डवते) : (क) स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में खान-पान सेवाओं की व्यवस्था स्वयं रेलों द्वारा विभागीय तौर पर तथा उन ठेकेदारों द्वारा जिन्हें रेलें लाइसेंस देती हैं, की जाती है । खान-पान के ठेके देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा रेलवे स्टेशनों के स्पष्ट दर्शनीय स्थानों पर नोटिस लगा कर आवेदन मांगें जाते हैं । इन आवेदनों की

छान-बीन एक जांच समिति द्वारा की जाती है, जिसमें दो या अधिक अधिकारी होते हैं, जो आवेदक की उपयुक्तता, अनुभव, वित्तीय स्थिति आदि की दृष्टि से विचार करते हैं। जांच समिति योग्यता के आधार पर अपनी सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के पास भेजती है जो जांच समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रख कर सबसे उपयुक्त व्यक्ति को ठेका देता है

(ख) पहले खान-पान और खोमचों के ठेके भोजनालय और खोमचों के मामले में तीन वर्ष के लिए तथा रेस्तरां और भोजन/यान/पैन्ट्री यान/बफिट यान के मामलों में पांच वर्ष के लिये दिये जाते थे। यदि ठेकेदारों का काम संतोषजनक होता था तो ठेके उन्हीं को समय-समय पर पुनः दे दिये जाते थे। वर्ष 1973 में, जब स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री थे, यह विनिश्चय किया गया कि यदि कोई ठेकेदार दो अवधियां पूरी कर ले, अर्थात् भोजनालय और खोमचों के मामलों में 6 वर्ष तथा रेस्तरां और भोजन यान/पैन्ट्री यान/बफिट यान के मामलों में 10 वर्ष तक काम कर ले, तो उसके बाद उसे पुनः ठेका स्वतः नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उसके काम को ध्यान में रखे बिना नये आवेदन मांगे जाने चाहिए तथा ठेका देने की सामान्य प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए तत्कालीन ठेकेदार भी आवेदन कर सकते थे। वर्ष 1975 में, जब श्री कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, समूची नीति की समीक्षा की गयी जिसमें अभ्यावेदनों की बाढ़ तथा भारी संख्या में मुकदमों, जिनमें ठेकेदारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कारण रेलें उलझन में थीं, को दृष्टि में रखा गया। तत्कालीन रेल मंत्री के अनुमोदन से यह नियम मार्च, 1975 में रद्द कर दिया गया और 1973 में प्रचलित प्रक्रिया पुनः लागू की गयी।

(ग) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है उनके निजी सचिवों और सहायकों के परिवार वालों अथवा किसी विशेष समुदाय के व्यक्तियों को ठेके दिये गये थे।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, उपयुक्त व्यक्ति को ठेके की एक निश्चित प्रक्रिया है तथा आवेदनों की छान-बीन एक जांच समिति द्वारा की जाती है जिसमें दो या इससे अधिक अधिकारी होते हैं। ठेका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच-समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है।

कुछ देशों द्वारा अपने यहां तेल शोधक कारखानों की स्थापना हेतु भारतीय इंजीनियरों की सहायता मांगा जाना

3264. **श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने अपने यहां तेल शोधक कारखानों की स्थापना हेतु भारत सरकार से कुछ इंजीनियरों की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन इंजीनियरों की अन्य देशों में रुकने की अवधि के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा उनकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) ऐसे देशों के क्या नाम हैं जहां इस समय भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) किसी भी देश ने अपने यहां तेल शोधनशालाओं की स्थापना हेतु भारत सरकार से भारतीय इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की सेवाओं को प्रदान करने के लिये अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rules for Allotment of Gas Connections

3265. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there are any rules governing the allotment of gas connections on priority basis ;

(b) for how much time one has normally to wait for getting the gas connection and the measures taken to stop bungling in allotment of new gas connections; and

(c) whether any quota of gas has been fixed for State and steps being taken to ensure that gas stock is supplied to consumers early and according to rules?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) to (c) There is a great demand for Liquified Petroleum Gas (Cooking Gas) in view of its convenience. The supply is, however, limited and not sufficient to meet the demand. It is, therefore, not possible to give a gas connection, as soon as it is asked for, in all places. New connections are issued according to registration of customers subject to availability of the product. Connections on priority are issued in a few cases on the merits of such cases. The waiting period for getting LPG connection varies from place to place and gas connections are released, subject to availability, according to dates of registration of customers with each distributor.

No quota of cooking gas is fixed for any State.

Use of Hindi in Railways

3266. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether several Hindi Committees in the Hindi Directorate of Railway Board are helping in laying stress on the proper use of Hindi in the Ministry at present ; and

(b) if so, the details of the progress achieved by them ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) The Books Selection Committee recommended during last two years about 2300 Hindi Books for various libraries on the Railways. The Hindi Shabdavali Committee had finalised about 400 terms pertaining to statistical department during these two years. The Hindi Advisory Committee held quarterly meetings and discussed policy matters regarding Official Language. The Implementation Committee reviewed the progress achieved by various Railways, as well as in the Railway Board's office with regard to the use of Hindi as per the provisions of the Official Languages Act/Rules.

उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

3267. **श्री सौगत राय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों में और अधिक महिला न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कोई बाधाएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उच्च न्यायालयों में चार महिला न्यायाधीश हैं।

(ख) और (ग) महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में संविधान और विहित प्रक्रियाओं में कोई अड़चन नहीं है। संविधान में दी गई उपयुक्तता, योग्यता और अर्हताओं अनुसार अन्य लोगों के साथ महिलाओं के नामों पर भी विचार किया जाता है।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा संकटग्रस्त औषध एककों को अपने नियंत्रण लेना

3268. **श्री सौगत राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल के कुछ संकटग्रस्त एककों को अपने अधिकार में ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में तट दूर छिद्रण कार्य

3269. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में तटदूर छिद्रण कार्य आरम्भ करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या किसी विदेशी कम्पनी को छिद्रण कार्य का काम सौंपा गया था; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और ठेके की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) जनवरी-मई, 1977 के दौरान समस्त अण्डमान-निकोबार मग्नतट क्षेत्र में भूकम्पीय तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये हैं। यह सर्वेक्षण अमेरिका की मैसर्स ड्रैसर आलम्पिक द्वारा 5,72,272 अमेरिकी डालर की लागत के ठेके के अन्तर्गत किये गये हैं। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये आंकड़ों को देहरादून में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कम्प्यूटर केन्द्र पर तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद व्यधन कार्य के लिये संरचनाओं का पता लगाने की दृष्टि से कारवाई की जायेगी।

हाथी समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही

3270. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने औषध तथा भेषज के बारे में नियुक्त हाथी समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है, क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : हाथी समिति की सारी की सारी सिफारिशें विचाराधीन हैं। तथापि सरकार ने स्वीकृति दे दी है और समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। ये सिफारिशें नीचे दर्शायी गई हैं :—

(i) सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करना।

(ii) भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

(iii) गैर-संगठित सूत्रयोग निर्माताओं को प्रपुंज औषधों की सप्लाई करना। विदेशी फर्मों को, नियम के अनुसार प्रपुंज औषधों की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि उन्हें प्रपुंज औषध का 50 प्रतिशत गैर-संगठित सूत्रयोग निर्माताओं को देना चाहिए जबकि भारतीय फर्मों के लिए 30 प्रतिशत और सरकारी क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत है।

(iv) भारतीय फर्मों को नई सूत्रयोगों की क्षमताओं की मंजूरी दी जाती है बशर्ते कि सूत्रयोगों के लिए उनका प्रपुंज औषध का अनुपात 1:10 का है। विदेशी फर्मों के बारे में नई सूत्रयोगों की क्षमता की स्वीकृति तब दी जाती है जब वह सम्बन्धित प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है।

(v) समिति की सिफारिश के अनुसार उद्योग पर पहले लगाया गया नियन्त्रण, कि उन्हें जहां उनकी बिक्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अपने सूत्रयोग लाइसेंस आवेदन पत्र को प्रपुंज उत्पादन के साथ जोड़ना चाहिए, हटा दिया गया है।

Auction of Sand Scrap, Iron by Railway Workshop at Jamalpur

3271. Dr. Ramji Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quantity in tonnes, of the sand, scrap iron and other goods auctioned to the contractors by the railway workshop at Jamalpur every month and the per tonne average value thereof ;

(b) whether Government are aware that sand and scrap thus auctioned contain pieces of brass, copper, glass and other things and the contractors are earning huge amounts out of such sale ;

(c) whether numerous pieces of brass, copper and glass are also auctioned away as scrap causing heavy loss to the Railways ; and

(d) whether Government propose to take action to check the loss thus caused to the Railways by abolishing the contract system prevalent there ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Sand, scrap iron and other goods declared as not required for use of the Railway are disposed of through tenders or public auction at the highest rates obtained at Jamalpur by the Stores Depot. The approximate value of scrap disposed of during 1976-77 was Rs. 75 lakhs. Disposal through tenders/public auction is arranged after sorting out the scrap into identifiable categories with a view to obtain better prices and after following the procedure prescribed for this purpose. Before such disposal, all scrap is examined by a committee of officers and only such scrap not required for railway use is dirposed of.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

राजस्थान के रेगिस्तान में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

3272. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में किये गये खोज कार्य के समय तेल अथवा प्राकृतिक गैस पाई गई थी और यदि हां, तो कहां पर और प्रायोगिक छिद्रण कार्य को कितनी गहराई पर सफलता मिली;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिये सरकार का विचार निरन्तर छिद्रण कार्य जारी रखने का है;

(ग) क्या सरकार को उक्त परियोजना में तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा किये गये धन के दुरुपयोग और दुर्विनियोग की जानकारी है; और

(घ) उक्त कार्य के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये और खोज कार्य आरम्भ होने के बाद इन अभियानों पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वकर मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मनहेरा टिब्बा में 287.5 से 464 मीटर की दूरी के मध्य में लघु मात्रा में जो गैस मिली है, जो कि वाणिज्यिक महत्व के अनुरूप नहीं थी, को छोड़कर राजस्थान में अभी तक किसी प्रकार के हाईड्रोकार्बन्स का पता नहीं चला है ।

(ख) राजस्थान में अस्थायी तौर पर जो व्यधन कार्य चल रहा था, उसे उपलब्ध आंकड़ों का पुनः प्रतिपादन करने के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस पर वहां अन्वेषी व्यधन की भावी कारवाई आधारित होगी ।

(ग) आयोग के धन का तथा कथित कुप्रयोग करने के मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने इस मामले को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भेजा था । यह मामला आयोग के विचाराधीन है ।

(घ) जून, 1977 के अन्त तक प्रायोजना के लिए 339 व्यक्तियों और अन्वेषण कार्य के लिए 51 व्यक्तियों का कुल स्टाफ काम कर रहा था । 31-3-1977 तक लगभग 12.42 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया गया ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

3273. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऐसे अधिवक्ताओं में से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो उन राज्यों के बाहर वकालत कर रहे है जिनमें उन्हें नियुक्त किया जाना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार तैयार की गई प्रक्रियाओं के जरिए की जाती हैं जिनसे उन अधिवक्ताओं में से न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती है जो उन राज्यों के बाहर वकालत कर रहे है जिनमें उन्हें नियुक्त किया जाना है ।

इलाहाबाद डिवीजन में प्राइवेट पार्टियों के लिये स्थान शुल्क बढ़ाया जाना

3274. **श्री बटेश्वर हेमरम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, माल के भण्डारण के उद्देश्य से रेलवे गोदामों का उपयोग करने के लिये इलाहाबाद डिवीजन में प्राइवेट पार्टियों के लिये कितना स्थान शुल्क बढ़ाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में स्थान शुल्क की कितनी धनराशि छोड़ी गई और अन्त में वसूल की गई;

(ग) क्या स्थान शुल्क वसूल न करने के पार्टियों के अनुरोध पर विचार करते हुए वाणिज्यिक अधिकारियों ने विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कुछ वाणिज्यिक अधिकारियों ने पार्टियों और दलालों के साथ सांठगांठ करके अनुचित ढंग से स्थान शुल्क छोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को राजस्व कम मिला; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ङ) सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Appointment on Ad hoc basis in Railway Board

3275. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether some sensitive posts in the Railway Board, such as Special Assistants to the Chairman and Secretary of the Railway Board were filled on ad hoc basis for years together by ignoring the senior officers and even the Intelligence Department protested against this ;

(b) If so, the details of pay scales and the salary paid to these during the last ten years ;

(c) whether he is aware of such ad hoc appointments and mismanagement in regard to the Gazetted Cadre in Railways ; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The two posts were filled on an ad hoc basis during limited periods only as indicated below :

Special Assistant to the Chairman, Railway Board—from 23-1-1974 to 5-2-1975 and from 5-5-1977 onwards.

Special Assistant to the Secretary, Railway Board—From 31-3-1973 to 22-1-1974 (in Class II), and from 23-1-1974 to 23-3-1977 (in Class I).

There is nothing on record about any protest having been received from the Intelligence Department about the ad hoc appointments.

(b) Presently, both these posts are in scale Rs. 1100—1600 plus Rs. 150/- special pay. The amount of salary paid to these officers for the period these posts were held on ad hoc basis is **Rs. 1,09,778·00.**

(c) and (d) : These ad hoc appointments, as already stated, were made in accordance with the normal procedure and with the approval of the competent authority.

Employees Suspended/Dismissed from 26th June, 1975 to 28th February, 1977

3276. Shri Hukmdeo Narain Yadav Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees suspended and dismissed from service during the period from 26th June, 1975 to 28th February, 1977 ;

(b) the number of railway employees who have been reinstated so far as per the Government announcement ; and

(c) when the rest of the employees are likely to be reinstated ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) 15,718, including those who were prematurely retired on review of service.

(b) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दाहोद-बांसवाड़ा रेल परियोजना के लिए सर्वेक्षण

3277. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दाहोद-बांसवाड़ा रेल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(ग) क्या परियोजना प्रारम्भ करने में सरकार के समक्ष कोई कठिनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) : दाहोद से बांसवाड़ा तक रेलवे लाइन के निर्मान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

Extension of Futwah-Islampur Railway upto Gaya

3278. Shri R.P. Sarangi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Futwah-Islampur light Railway (Bihar) was under Martin and Company since 1926 ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid railway has now been taken over by Government ; and

(c) if reply to above be in the affiirmative, whether Government would extend the said railway upto Gaya from Futwah-Islampur ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Since inception, the Futwah-Islampur Light Railway was under the managing agency of Martin and Company and later its successor Martin Burn upto March, 1970. Thereafter, the railway is run by its Board of Directors. ;

(b) No.

(c) Does not arise.

Allotment of Taxi Stand Contract

3279. Shri R.P. Sarangi Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a taxi stand on railway land near Tatanagar railway station (Bihar).

(b) whether it is also a fact that this year this stand has been allotted for the first time through auction ; and

(c) the name of the other stations in Bihar at which contracts for taxi stands have been allotted by auction ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A common stand for parking of private cars, vehicles, taxis etc. has been provided at Tatanagar railway station.

(b) The contract has been allotted to the highest tenderer with effect from 19th April, 1977, for the first time.

(c) No contract for taxi stand has been allotted at any other railway station in Bihar State.

Repairs to Futsah-Islampur Light Railway

*3230. **Shri R.P. Sarangi** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Futwah-Islampur Light Railway lines were completely damaged by floods in Bihar particularly by the flood occurred in Patna district in 1975 ; and

(b) if so, when Government propose to repair this railway line ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate)

(a) It is presumed that the reference is to the floods which occurred in Bihar in 1976.

It is a fact that due to severe floods in Bihar, particularly in Patna District, the Futwah-Islampur Railway line was severely damaged in September, 1976.

(b) The railway line is owned and operated by a private company, viz. the Futwah-Islampur Light Railway Company, who have to repair the line and restore the services. The Central Government sanctioned an advance of Rs.5 lakhs against subsidy due to the company to enable it to restore the services. A part of the line has since been repaired and opened to traffic.

सियालदह डिवीजन में विकास परियोजनाएं

3281. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह डिवीजन साउथ सेक्शन के यात्री भाड़ों (अर्थात सियालदह/बजबज, सियालदह/डायमण्ड हार्बर, सियालदह/लक्ष्मीकान्तपुर और सियालदह/कैनिंग का पृथक-पृथक भाड़ा) का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस विशेष सेक्शन के लिए रेल का क्या-क्या विकास परियोजनाएं चालू करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों को बहुधा बिजली से चलने वाली गाड़ियों की छत पर यात्रा करनी पड़ती है जिससे मृत्यू और दुर्घटनाएं होती हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) वर्ष 1976-77 में सियालदह मण्डल के दक्षिणी खण्ड में यात्री यातायात से खण्डवार जो आय हुई है वह इस प्रकार है :—

(1) सियालदह-बजबज	1,16,07,581 रुपये
(2) सियालदह-डामंड हार्बर .	97,89,770 रुपए
(3) सियालदह-लक्ष्मीकान्तपुर . .	36,41,393 रुपए
(4) सियालदह-केनिंग . .	31,82,323 रुपए

(ख) इन खण्डों के विकास के लिए कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है । किन्तु सियालदह मंडल दक्षिणी खंड में निम्नलिखित नए रेल सम्पर्कों के लिए टोह यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण किए गए हैं और वह विचाराधीन हैं ।

खंड	लम्बाई
केनिंग-गोलाबाड़ी .	20 कि०मी०
लक्ष्मीकान्तपुर-काकद्वीप	30 कि०मी०
केनिंग-हृतगच्छा	30 कि०मी०
सोनारपुर-घमखाली	50 कि०मी०
बज-बज-नमखाना . . .	82 कि०मी०
हसनाबाद-सतगच्छा	29 कि०मी०

(ग) जी नहीं ।

कडालुंडी स्टेशन के पास वाले दो पुलों के एक-एक ओर पैदल-पथों का बनाया जाना

3282. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडालुंडी रेलवे स्टेशन के पास वाले पुल संख्या 924 और 925 की एक एक ओर पैदल-पथ की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में दक्षिण रेलवे, मद्रास के महाप्रबन्धक तथा ओलावाकोट डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टटेंट को अभ्यावेदन भेजे गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कडालुंडि स्टेशन के निकट स्थित कडालुंडि नदी पर पुल संख्या 924 और 925 के एक ओर पटरी की व्यवस्था करने के लिए तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया था, लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया, क्योंकि वर्तमान पुल का ढ़ांचा न तो इतना सुदृढ़ है और न ही इसके लिए उपयुक्त है कि उस पर प्रस्तावित पटरी बनायी जाए ।

Reduction of Market Rent of Bunglow Occupied by Member Railway Board

*3283. **Shri Ramanand Tiwari** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a member of Railway Board, who owns a house in Delhi ,has been allowed to retain railway bunglow in contravention of Government orders ;

(b) whether a part of the bunglow has been converted into office by spending thousands of rupees on furniture etc. and whether market rent of the bunglow has also been reduced by violating all the rules and regulations in regard to property ;

(c) whether such facility has not been provided to similar other officers ; and

(d) if so, the action taken to realise full market rent ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes. Retention of Railway bunglow by a Member of the Railway Board who owns a house in Delhi was allowed with the specific approval of the then Govesnment on recovery of market rent in accordance with Government's orders.

(b) and (d) Yes. One room with the adjoining verandah was earmarked for official use, since the Member concerned, in view of his pre-occupation with meetings during the day, had to handle most of the file work after office hours at his residence.No expenditure was incurred in any alterations. An amount of Rs. 2486/- was, however, incurred on a few items of furniture. The market rent of Rs. 1432.30 was reduced proportionately for the area so apportioned for use as office to Rs. 1051·60 per month w.e.f. 1-9-76. The officer retired on 30-6-77 and full market rent will be recovered from 1-7-77 uptc the date of vacation.

(c) Such a facility of converting a portion of the residence into office has not been requested for by any other officer of the Railway Board and so the question of extending this facility did not arise in any other case.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा राजनीतिक दलों के सम्मेलनों में भाग लिया जाना

3284. **श्री बापू साहेब परुलेकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर रहते हुए राजनीतिक दलों के सम्मेलनों और अधिवेशनों में भाग ले सकते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के एक या कुछ न्यायाधीशों ने दिसम्बर, 1975 में हुए कांग्रेस दल के वार्षिक सत्र में भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) : न्यायाधीशों के लिए आचरण संहिता निर्धारित करना सरकार का काम नहीं है।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है । संविधान के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्थिति है उसको और उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार की जो नीति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि एसी जानकारी इकटठी करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। निदेश (2) के अनुसार विशेषाधिकार के मामलों के सभा-पटल पर रख जाने वाले पत्रों से प्राथमिकता मिलती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम देखा है वह पत्र रखने के बाद आएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये प्रश्नकाल के बाद आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम फिर देखें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखबारी कागज नियतन सम्बन्धी नीति (हकदारी का आधार)

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० आडवानी) : मैं दिनांक 12 जुलाई, 1977 की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–पी आर– एन पी/77 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसमें वर्ष 1977-78 के लिये अखबारी कागज नियतन सम्बन्धी नीति (हकदारी का आधार) दी हुई है, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 653/77]

वर्ष 1977-78 के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): मैं वर्ष 1977-78 के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 654/77]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां और प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनियां (विज्ञापन) नियम, 1977 जो दिनांक 20 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 385(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 20 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 386(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 655/77]

वित्त मंत्रालय, ससद, संसदीय कार्य विभाग की वर्ष 1977-78 की विस्तृत मांगें

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वष 1977–78 के लिये वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 656/77]

(2) वर्ष 1977–78 के लिये संसद् संसदीय-कार्य विभाग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 657/77)

संचार मंत्रालय तथा भारतीय डाक तथा तार विभाग के वर्ष 1977-78 के लिये अनुदानों की विस्तृत मांगें

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1977—78 के लिये संचार मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 658/77]

(2) वर्ष 1977-78 के लिये भारतीय डाक तथा तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिये अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 659/77]

मैसर्स जमनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे० तन्ना के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI KISORE J. TANNA OF M/S JAMNADAS MADHAVJI AND CO., BOMBAY

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कल मैसर्ज जमनादास माधवजी एंड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे० तन्ना के विरुद्ध, जिन्होंने 'टाइम्ज़ आफ इंडिया' में सम्पादक को सम्बोधित एक पत्र में वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा 27 जून, 1977 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में कुछ आरोप लगाये हैं, के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। मैं यह मामला जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आपका आभारी हूं।

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I am rising on a point of order. The Janta Government should formulate some programme for saving Bharatpur and Mathura from the flood havoc.

Mr. Deputy Speaker : You have already given a notice under rule 377, which is pending.

सभा के कार्य के बारें में

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : ऊर्जा मंत्रालय की मांगों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के बाद चर्चा के लिये लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर भी बाद में कुछ घंटों के लिये चर्चा हो।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि ऐसा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अनुदानों की मांगें, 1977—78

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

श्रम मंत्रालय

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रम मंत्रालय की मांगों पर ठोस

वाद-विवाद हुआ है और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने ठोस सुझाव दिये हैं तथा मंत्रालय की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की है।

जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है, इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता है। औद्योगिक सम्बन्धों को गतिशील बनाना होगा क्योंकि ये हमारे समाज, समाज की परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहियें। औद्योगिक सम्बन्धों का निर्धारण करने के लिये अनेक कारण हैं जैसे स्वामित्व का स्वरूप, उत्पादन की तकनीकें और सम्बन्ध करना आदि आदि। इन सभी से हमारे देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। अतः हमारे लिये औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो गया है।

रोज़गार के अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये हैं। कहा गया है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है और इससे निपटने के लिये यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर योजना नहीं बनायी गयी तो सफल रोज़गार योजना तैयार नहीं होगी।

इस बारे में सदन में चर्चा हुई है। जब तक हम स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा नहीं करेंगे हम बेरोज़गारी की समस्या का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिये जनता पार्टी और इसकी सरकार, आवश्यकता पड़ने पर 10 वर्ष में बेरोज़गारी और गरीबी की समस्या को समाप्त करने के लिये शहरों के बजाये ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देगी।

लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने का प्रश्न उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है। हमें अपनी पुरानी परम्पराओं के साथ ही नहीं जुड़ना है बल्कि हमें अपने पूंजीगत संसाधनों के अनुरूप प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास की प्रगति कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों की खोज करें तथा जीवन स्तर में सुधार करें और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकें।

रोज़गार कार्यालयों का उल्लेख भी किया गया है और कहा गया है कि उनमें सुचारु रूप से कार्य नहीं हो रहा है और उनसे भ्रष्टाचार एवं कदाचार के मामले देखने में आये हैं। यह सम्भव है। रोज़गार कार्यालय के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्यों की है। फिर भी हम इस प्रश्न की जांच करेंगे और उनके कार्य-संचालन का सर्वेक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यमान कदाचार दूर हो जाये।

श्रमिकों की मांगों तथा विभिन्न-वर्ग के लोगों में रुचि या हित का जहां तक प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को अधिक लाभ होता है क्योंकि उनके संघ की एकता और शक्ति बहुत होती है। फिर भी हमें याद रखना चाहिये कि अर्थ-व्यवस्था का समुचित उपयोग किया जाये ताकि असंगठित क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को और अधिक हानि हो।

हम रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये कार्य के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

आपातकालीन स्थिति की चर्चा भी की गयी है और कहा गया है कि श्रमिकों को आघात पहुंचाया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा नौकरियों से निकाला गया है। अब श्रमिक संघों के अधिकार बहाल कर दिये गये हैं तथा निकाले गये कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है।

हम ने राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को इस सम्बन्ध में उचित निदेश भेज दिये हैं कि कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त किया जाये। इस प्रकार के अनुदेश सरकारी क्षेत्र की

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

कम्पनियों को भी जारी किये गये हैं। अतः हमने त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी फिर से जीवित करने का निर्णय किया है। दुर्भाग्य से यह मशीनरी गत 6 वर्षों से खटाई में पड़ी हुई थी। हम ने वे शीर्षस्थ निकाय समाप्त कर दिये हैं जिन्हें आपातस्थिति में बनाया गया था क्योंकि इनके लिये कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिये ऐसा मानदण्ड अपनाया गया था जिससे कार्मिक संघों को आपातस्थिति तथा 20 सूत्री या 25 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करना पड़ता था।

हम मजदूर वर्ग की एकता में विश्वास रखते हैं और हमें 'फूट डालो और राज करो', की नीति में विश्वास नहीं है। हम कार्मिक संघों में फूट नहीं डालेंगे। कार्मिक संघों को श्रमिकों के प्रति सेवाओं से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिये सरकार से समर्थन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कार्मिक संघों के पंजीकरण, उनको मान्यता देने आदि के सम्बन्ध में वर्तमान कानूनों या प्रथाओं से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हमें पूरी जांच करनी होगी और इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई तरीका ढूंढना होगा।

इस समय कार्मिक संघों को मान्यता देने के बारे में कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। केवल आचार संहिता एवं समझौता है जिसके आधार पर जांच की जाती है और मान्यता दी जाती है। मान्यता देने के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में त्रुटियों का उल्लेख किया है। बताया गया है कि इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि प्रबन्धकों को समझौता करने के लिये बाध्य किया जा सके। अतः हम ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो संयंत्रों में ही श्रमिकों के व्यक्तिगत विवादों का निपटारा करने के लिये संयंत्रों में विद्यमान मशीनरी की भूमिका की जांच करेगी और इसी आधार पर हम शरतकालीन सत्र में औद्योगिक सम्बन्धों पर एक व्यापक विधेयक पेश करने वाले हैं।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रश्न उठाया गया है। सरकार इसके लिये वचनबद्ध है। हम इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जहां कि उत्पादन बढ़ाने और अपना पूरा भाग प्राप्त करने में प्रबन्ध व्यवस्था और साम्यपूंजी में भागीदार होंगे।

जहां तक असंगठित श्रमिकों का सम्बन्ध है, मुख्यतः ग्रामीण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, संविद श्रमिक आदि ही संगठित नहीं हैं। इस सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के श्रमिकों के संगठन सम्बन्धी समारोह की पुष्टि करने का काम आरम्भ कर दिया है। क्योंकि हमें विश्वास है कि जब तक ग्रामीण श्रमिकों के संगठन नहीं बनेंगे वे अपने जीवन-स्तर या सामाजिक सुरक्षा में सुधार नहीं कर पायेंगे। अतः ग्रामीण श्रमिकों के संगठन पर ध्यान देना अत्यावश्यक हो गया है।

जहां तक बंधुआ मजदूरी प्रथा का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर पहे हैं कि चोरी छिपी चल रही बन्धुआ मजदूरी प्रथा का पता लगाने के लिये उचित सर्वेक्षण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां बन्धुआ मजदूरी प्रथा फिर से उत्पन्न न होने पाये।

कुछ सदस्यों ने भविष्य निधि, उपदान, कुटुम्ब पेंशन आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख किया है। सदस्यों को यह महसूस करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में जोखिम एवं संसाधनों का पूल बनाना होगा। तभी हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे।

श्रमिकों के ऋणग्रस्त होने का भी उल्लेख किया गया है । यह सही है कि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है और खान तथा बागान मजदूर बहुत अधिक ऋणग्रस्त हैं । इस समय हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रमिकों की उपभोक्ता ऋण देने के संस्थागत प्रबन्ध किये जायें । हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये सूदखोरी के शिकार न बनने पायें, विधान बनाने का विचार कर रहे हैं ।

जहां तक खानों में सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह महत्व की बात है कि इस सरकार ने इस प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । खानों में सुरक्षा से सम्बन्धित व्यक्तितयों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्मिक संघ भी शामिल हैं । इसमें इस प्रश्न की जांच की गई है और हमने पुनरीक्षा समिति फिर से गठित की है तथा इस समिति के लिये यह आवश्यक बनाया गया है कि यह हर तीसरे महीने अपनी बैठक बुलायेगी तथा उठाये गये कदमों को कार्यान्वित करेगी ।

मजदूरों सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं । हमारी सरकार ने मजदूरी, आय और मूल्यों के सम्बन्ध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की घोषणा की है । इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार हो रहा है । इस सम्बन्ध में एक समेकित नीति बनाई जा रही है, और जब यह तैयार हो जायेगी तो इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

जहां तक रुग्ण मिलों का सम्बन्ध है, हमें इस बात की बहुत चिन्ता है कि श्रमिकों की छटनी न होने पाये । हम वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय से यह तय करने के लिये काम करेंगे कि जहां कहीं सम्भव हो रुग्ण मिल पुनः चालू की जायें और उन्हें वित्तीय संस्थानों से सहायता दी जाये तथा श्रमिकों का ही प्रबन्ध हो ।

हड़तालों में पुलिस के हस्तक्षेप का प्रश्न भी उठाया गया है । जब तक स्थिति गम्भीर नहीं होती या कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर नहीं होती और संयंत्र या मशीनरी या जनहानि का खतरा नहीं होता हम नहीं समझते कि वहां पुलिस हस्तक्षेप करती है । यह तो हमारी सरकार की नीति है ।

बोनस के मामले पर निर्णय लेने से पहले इसके सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने की बहुत आवश्यकता है । हम यह काम करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि त्योहार आने से पहले ही सरकार का यह प्रयास होगा कि कोई सन्तोषजनक निर्णय हो जाये ।

श्री राममूर्ति ने विमको बीड़ी उद्योग और पटाखा उद्योग के बारे में उल्लेख किया है । मैं इस प्रश्न पर अवश्य ही विचार करूंगा और इस सम्बन्ध में मैं तमिलनाडु सरकार से सम्पर्क स्थापित करूंगा ।

हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि यह मंत्रालय पूर्ण रोजगार, कर्मचारियों को उनकी नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार हो यह सुनिश्चित करेगा । मैं मंत्रालय की मांगों को पास करने के लिये सभा से अपील करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 26, 92, 93 और 105 को छोड़ कर शेष सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 26, 92, 93 और 105 को छोड़ कर शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the cut motions, except cut motion Nos. 26, 92, 93 and 105 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 26 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 63 : विपक्ष में 117

Ayes 63 : Noes 117

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एन० श्रीकान्तन नायर द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 92 और 93 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 92 और 93 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions No. 92 and 93 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वयालार रवि द्वारा पेश किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 105 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 69 विपक्ष में 128

Ayes 69 : Noes 128

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of Ministry of Labour were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
68	श्रम मंत्रालय	56,67,000
69	,,	44,76,00,000

अनुदानों की मांगें, 1977-78—**जारी**

DEMANDS FOR GRANTS 1977-78—*contd.*

गृह मंत्रालय

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : हमारे राष्ट्रीय जीवन में गृह मंत्रालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है क्योंकि इसका सम्बन्ध आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता, अल्पसंख्यकों के कल्याण आदि से है किन्तु ऐसे समय में जब कि देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, गृह मंत्रालय

का महत्व और अधिक बढ़ जाता है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक मात्र दल था जिसने स्वतन्त्रता संघर्ष किया और स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में स्थिरता कायम की तथा 30 वर्षों तक राष्ट्र को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया । पहली बार इस दल ने इस सभा में बहुमत खोया और आज नई संविद सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई हैं । ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय का महत्व और बढ़ गया है । . . . . . (व्यवधान)

1947 से आज तक हुए आम चुनावों में इतना तनाव कभी नहीं हुआ । भारतीय जनता ने विश्व के महानतम आम चुनावों के द्वारा देश के भाग्य का निर्णय किया है । इन चुनावों के द्वारा निर्विघ्न और शान्तिपूर्ण ढंग से सत्तान्तरण हुआ है ।

आपात स्थिति के दौरान दो मुख्य बातें सामने आई हैं । सेंसरशिप आत्मघातक हो गई थी जिसके फलस्वरूप अत्यधिक गम्भीर संचार अन्तराल उत्पन्न हो गया था और जो लोग सरकार के बहुत निकट थे उन्हें भी यह पता नहीं था कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है ।

महात्मा गांधी के उद्देश्य और साधन सम्बन्धी मुख्य उपदेशों की भी अवहेलना की गई थी। यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसकी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

हमें प्रसन्नता है कि अनेक आयोगों की स्थापना की गई है । किन्तु इन आयोगों को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए । साथ ही इन्हें स्वतंत्र वातावरण में कार्य करना चाहिए । इन्हें उन्माद, संदिग्ध बातों या अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए । वैसे आपात स्थिति के दौरान जो कुछ अप्रिय बातें हुई हैं, हम भी उनका विरोध करते है । मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह इन आयोगों को अपनी जांच शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए कहें । ताकि हम भी जान सकें कि वास्तव में क्या-क्या हुआ है और वास्तविक दोषी कौन है ।

नए गृह मंत्रालय का 100 दिनों का रिकार्ड बहुत अधिक अच्छा नहीं रहा । इन 100 दिनों के अन्दर उन्होंने केवल आपात स्थिति की आलोचना की है तथा विभिन्न आयोगों का गठन किया है ।.आम चुनावों के बाद अनेक दुखदायी तथा चिन्ताजनक घटनाएं घटी है । यदि इनको तुरन्त न रोका गया तो इससे राष्ट्र को गम्भीर हानि पहुंच सकती है । पहली समस्या यह है कि मूल्यों में वृद्धि लगातार हो रही है । इस निरन्तर मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप कमजोर वर्गों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । केवल धमकियां देने या चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा । समय-समय पर व्यापारियों को चेतावनी दी जा रही है किन्तु मूल्य बढ़ते ही जा रहे है । आर्थिक स्थिति का कानून और व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है । अतः यदि देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है तो फिर मूल्य वृद्धि को रोकना नितान्त आवश्यक है । इतना ही नहीं वरन उनमें कमी भी की जानी चाहिए । इस मामले को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

एक अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि आम चुनावों के बाद हरिजनों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों पर बहुत अत्याचार किए गए । इन बातों को सिद्ध करने के लिए मेरे पास बहुत प्रमाण है । किन्तु मैं सभा का अधिक समय समाप्त नहीं करना चाहता । यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गत 100 दिनों के दौरान जितनी भयानक घटनाएं घटीं है ऐसी कभी भी नहीं घटी है ।

[डा० कर्ण सिंह]

उदाहरण के लिए आप बेलची हत्याकांड और मेरठ की घटना ले सकते हैं। शतिशाली लोग तथा सवर्ण लोग हरिजनों और आदिवासियों को बड़े ही नियोजित ढंग से आतंकित करते हैं। राष्ट्र के लिए यह चिन्ता का विषय है। सवर्ण लोग हरिजनों को आंतंकित कर रहे है। राष्ट्र के लिए यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है। किन्तु कुछ दशकों से हमने समाज में समता लाने का पुरा प्रयास किया है। गांधी जी इस आन्दोलन को चलाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस सभा में कई ऐसे सदस्य हैं जो कि उस युग में थे जब कि समाज और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रश्न देश के सामने था। बहुत कठिनाइयों के पश्चात आज कमजोर वर्ग में सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। अतः यह किसी एक दल की समस्या नहीं है अपितु यह एक राष्ट्रीय समस्या है। गृह मंत्री स्पष्ट आश्वासन दें कि किसी वर्ग या जातिगत भेदभाव के लोगों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की रक्षा की जायेगी। आपात स्थिति समाप्त करने के बाद कई घटनाएं हुई हैं। समाज के शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों को कष्ट पहुंचाया है।

गत तीन महीनों से राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। ऐसा भी समय आ गया था जबकि दिल्ली में अपराध होने प्रायः बन्द हो गये थे। किन्तु अब कोई दिन खाली नहीं जाता जबकि कोई बर्बर हत्या, सशस्त्र कांड, अपहरण आदि का मामला नहीं होता। दिल्ली विश्व के सुन्दरतम नगरों में से है। किन्तु हम नहीं चाहते कि यहां इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटती रहें। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश में निर्भयता रहे। किन्तु निर्भयता का अर्थ यह नहीं है कि लोग मनमानी करें और लूटमार तथा हत्याएं करते फिरें।

राज्यों में विधान सभाएं समाप्त होने के बाद क्षेत्रीय दलों ने सर उठाना फिर शुरू कर दिया है। गृह मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः सक्रिय बनाया जाना चाहिए ताकि देश में एकता कायम की जा सके।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में दल बदली को समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा के बावजूद पिछले 100 दिनों में जनता पार्टी का रिकार्ड बड़ा निराशाजनक रहा है। दल बदल को केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया वरन् केन्द्र और राज्यों, दोनों में राजनीतिज्ञों को अपना दल छोड़कर जनता पार्टी में मिलने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। अतीत की कमजोरी को दूर करने और राजनीतिक गतिविधियों के लिये नए आयाम स्थापित करने की बजाय दल बदल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो कि जनता पार्टी की कथनी तथा करनी में अन्तर है।

मैं एक अन्य बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस का कार्यकरण संतोषजनक नहीं रहा है। अनेक ऐसे अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है जबकि पुलिस अपने कर्त्तव्य सुचारु रूप से निभाने में असफल रही है। मेरी यह मान्यता है कि हमें पुलिस की भर्ती तथा उसकी प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए। अब समय आ गया है जबकि हमें उसमें आवश्यकतानुरूप परिवर्तन करने चाहिये। ये परिवर्तन कुछ ऐसे ढंग से किये जाने चाहिये जिनके फलस्वरूप न तो पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही कर सके और न ही वह आपात स्थिति की तरह जनसाधारण के लिए हव्वा ही बनी रहे।

इस अवसर पर मैं सीमा सुरक्षा दल के कार्यकरण की सराहना करना चाहता हूं। देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी तथा जवान विशेष रूप से बधई के पात्र

हैं। देश में व्याप्त सभी गुप्तचर एजेंसियों में पर्याप्त तालमेल बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्रहित इसी में है कि हम गुप्तचर सेवा का उचित विकास करें। ऐसा करना और भी आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में विदेशों की भी अनेक गुप्तचर एजेन्सियां कार्य कर रही हैं।

भारत को 1971 में बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई परन्तु उस विजय का मूल्य छम्भ क्षेत्र के 25,000 लोगों ने चुकाया जो पाकिस्तान के अधिकार में है और जिसे हम स्वतन्त्र भी नहीं करा सके। छम्भ के इन शरणार्थियों को अभी भी नहीं बसाया गया है। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। 1947 में कुछ शरणार्थी सियालकोट से आये थे। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके बच्चे वयस्क हो गये हैं परन्तु उन्हें अभी भी मतदान का अधिकार नहीं मिला है। हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों में हजारों लोगों के वोट नहीं थे। यह न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। इन समस्याओं की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त उस उद्देश्य को सिद्ध करने में असफल रहा है जिसके लिए संविधान ने इसकी नियुक्ति की थी। इसके प्रतिवेदन अत्यन्त असंतोष-जनक हैं। यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जातियों के लिए अलग-अलग आयुक्त नियुक्त किये जायें। दोनों की समस्याएं सर्वथा भिन्न हैं। और उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा विचार तो यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब सरकार को इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

हमारे समक्ष बहुत से अन्य मामले भी हैं जिनके बारे में सदन के दोनों ओर के सदस्य बोलना चाहेंगे। अतः अधिक समय न लेता हुआ मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में गत कुछ वर्षों से द्वेष और घृणा का वातावरण पनपता रहा है। इससे हमारे राष्ट्र को कुछ हानि भी उठानी पड़ी है और अब तो यह घृणा रूपी विष राष्ट्र के मूल तक पहुंचता जा रहा है अतः अब समय आ गया है जब कि सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता की ओर अग्रसर करना होगा। जहां सम्भव हो हमें अपनी आत्मा के अनुसार काम करना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं परन्तु उन्हें शालीनता और नम्रता से प्रकट किया जाये। हमारा प्रयत्न यही होगा कि पीछे जो हुआ है उसे भूल जायें। अन्त में मैं यही निवेदन करता हूं कि हमें राष्ट्र तथा राष्ट्र के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा निरक्षरता जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जुट हो कर कार्य करना चाहिए।

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	1	श्री एडुआर्डो फ्लेरो	अनेक संघ राज्य क्षेत्रों में लोकप्रिय तथा उत्तरदायी सरकारें स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	2	,,	गोआ, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

2006 LS—8.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
5	24	श्री एडुआर्डो फैलीरो	संघ राज्य क्षत्रों को राज्य का दर्जा देने और नये राज्यों के बारे में एक समान नीति बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	8	श्री पी० राजगोपाल नायडू	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सभी राष्ट्रीय भाषाओं में लिखने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
,,	9	,,	नई दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाये रखने और बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में असफलता।	,,
,,	10	,,	मनोरंजन और आतिथ्य सत्कार पर होने वाले व्यय को कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	11	,,	आपराधिक जांच और सतर्कता को मजबूत बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	12	,,	सभी राज्यों में सभी पुलिस कर्मचारियों को मकान देने के लिये राज्यों को सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	13	,,	तस्करों को गिरफ्तार करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की असफलता।	,,
,,	14	,,	चोर बाजारियों को गिरफ्तार करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की असफलता।	,,
,,	15	,,	सीमा सुरक्षा दल को मजबूत बनाने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	16	श्री राजगोपाल नायडू	औद्योगिक सुरक्षा दल को मजबूत बनाने की आवश्यकता ताकि उद्योगों की सुरक्षा की जा सके।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	17	,,	जासूसों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता।	,,
,,	18	,,	पुलिस स्टेशनों में उपकरणों को आधुनिक बनाने और पुलिस कर्मचारियों को मोटर-गाड़ियां देने में असफलता।	,,
,,	19	,,	अग्नि सेवा में अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता।	,,
,,	20	,,	साहित्यिक उपाधियां पाने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	21	,,	हरिजन सेवक संघ को मजबूत बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	22	,,	अन्य राज्यों में तेलगू भाषी लोगों के भाषायी अधिकारों की रक्षा करने में असफलता।	,,
,,	23	,,	भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक पत्थर लगाते समय महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को छोड़ना।	,,
59	48	,,	अन्डमान और निकोबार को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	62	श्री एडुम्रार्डो फैलीरो	लक्ष्यद्वीप को और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाय।
,,	25	श्री राम जेठमलानी	श्री संजय गांधी के खिलाफ (क) साक्ष्य को नष्ट करने के लिये उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति देकर और (ख) पेशगी जमानत देने के मामले में न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष पर्याप्त अभ्यावेदन न देकर आपराधिक मामला दायर करने में असफलता।	,,
,,	26	,,	जिन जांचों के लिये जांच आयोग बिठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में जोश से तथा शीघ्र कार्यवाही करने में असफलता।	,,
,,	63	,,	7 दिसम्बर, 1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भारत सरकार को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा धोखा देने के बारे में दर्ज कराये गये गंभीर मामले की जांच करने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की असफलता।	,,
,,	27	श्री जी० एम० बनतवाला	आपात स्थिति में उन सभी केन्द्रीय और राज्य सरकार कर्मचारियों को, जिन्हें जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था अथवा जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, को बहाल करने की आवश्यकता।	,,
,	47	,,	केरल में मोपलाह विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	28	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	29	,,	स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित पेंशन के सभी मामलों पर तुरन्त अन्तिम निर्णय लेने की आवश्यकता।	,,
,,	30	,,	केरल में मोपलाह विद्रोह में, जो स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक भाग था, भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने की आवश्यकता और राजनीतिक औचित्य।	,,
,,	31	,,	1946 में ट्रावनकोर में तानाशाही राज के विरुद्ध वयालार-पुन्नापरा सशस्त्र क्रान्ति में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में तुरन्त निर्णय लेने की आवश्यकता।	,,
,,	32	,,	हैदराबाद के निजाम और उसके रजाकारों के विरुद्ध, जो हैदराबाद को भारतीय संघ से बाहर रखने का प्रयास कर रहे थे, ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र क्रान्ति में भाग लेने वालों को पेंशन देने की आवश्यकता।	,,
,,	33		1946 में बम्बई में आरआईएन और आरएएफ विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने की आवश्यकता।	,,
,,	34	,,	पुलिस दल को पूरी तरह लोकतंत्रीय बनाने की आवश्यकता ताकि यह अपने वर्तमान स्वरूप को बदल सके।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	35	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	आज के भारत के सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों में पुलिस दल को पुनः शिक्षित करने की आवश्यकता ताकि वह समाज में कमजोर और गरीब वर्गों की वास्तविक रूप से सेवा कर सके।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	36	,,	केन्द्रीय पुलिस दल और अर्ध-सैनिक दलों की संख्या को काफी हद तक कम करने की आवश्यकता।	,,
,	37	,,	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये उचित कदम उठाने की आवश्यकता।	,,
,,	38	,,	पुलिस जांच पद्धति को छोड़े जाने की आवश्यकता।	,,
,,	39	,,	हजारों ऐसे लोगों के, जिन्हें पुलिस जांच रिपोर्टों के आधार पर नौकरियां नहीं दी गईं, मामलों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता।	,,
,,	40	श्री मनोरंजन भक्त	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि उपनिवेशन के माध्यम से लाभप्रद रोजगार की योजनायें बनाने में असफलता।	,,
,,	49	,,	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की तरह लोकप्रिय सरकार स्थापित करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	50	श्री मनोरंजन भक्त	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को भर्ती स्थान और आवास स्थान का ध्यान किये बिना अन्डमान विशेष भत्ता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	51	,,	अन्डमान द्वीपसमूह में भूतपूर्व पूर्व बंगाल के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये दिये गये उपनिवेशन ऋणों को माफ करने की आवश्यकता।	,,
,,	52	,,	अन्डमान जिले में जहां कीड़ों और तूफान से फसल नष्ट हो गई है भू-राजस्व माफ करने में असफलता।	,,
,,	53	,,	किसानों को तकावी ऋण देने के लिये अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
,,	54	,,	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ना।	,,
,,	55	,,	कार निकोबार से लिटल अन्डमान को भेजे गये निकोबारी आदिवासियों को भूमि अलाट करने की आवश्यकता।	,,
,,	56	,,	निकोबारी आदिवासियों को पर्याप्त सुविधायें देने में असफलता।	,,
,,	57	,,	भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	58	श्री मनोरंजन भक्त	मुख्य भूमि संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	59	,,	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में असफलता।	,,
,,	60	,,	पिछले तूफान से प्रभावित किसानों को राहत देने में असफलता।	,,
,,	61	,,	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 2.02 हैक्टेयर धान की भूमि रखने वाले किसानों से किसी प्रकार का भू-राजस्व न लेने की आवश्यकता।	,,
,,	41	श्री वयालार रवि	हरिजनों को अत्याचारों से बचाने में असफलता।	,,
,,	42	,,	देश में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले अपराधियों और जमींदारों पर मुकदमा चलाने में असफलता।	,,
,,	43	,,	दिल्ली में कानून और व्यवस्था की आम स्थिति बनाये रखने में असफलता।	,,
,,	44	,,	विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ दल के हमले से बचाने में असफलता।	,,
,,	103	,,	आसाम, कर्नाटक तथा आन्ध्र जैसी लोकतंत्रात्मक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को उलटने का निरंतर प्रयास।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	104	श्री वयालार रवि	कांग्रेसी शासन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच आदेश देने में भेदभाव।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	105	,,	राष्ट्र के संघीय सिद्धान्त के विरुद्ध राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने का निरंतर प्रयास।	,,
,,	106	,,	सरकारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की घुसपैठ रोकने में असफलता।	,,
,,	107	,,	देश में अल्प संख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	108	,,	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बढ़ती हुई गतिविधियां नियंत्रित करने में असफलता जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं।	,,
,,	109	,,	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आदर देने के प्रयास जो अर्ध-सैनिक संगठन है और राष्ट्रीय एकता को खतरा है।	,,
,,	110	,,	देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक हिंसा रोकने में असफलता।	,,
,,	111	,,	देश के विभिन्न भागों में कांग्रेसियों के विरुद्ध राजनीतिक हिंसा रोकने के बेमन से किये गये प्रयास।	,,
,,	112	,,	गैर-हिन्दीभाषी राज्यों के लोगों की भावनाओं का आदर करने में असफलता।	,,
,,	113	,,	गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपने का संकल्प।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	114	श्री वयालार रवि	हरिजनों पर अत्याचार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
,,	115	,,	दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	116	,,	देश में हरिजनों की रक्षा करने में असफलता।	,,
,,	117	,,	देश के विभिन्न भागों में हरिजनों के विरुद्ध आक्रामक हिंसा रोकने में असफलता।	,,
,,	118	,,	देश में भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असफलता।	,,
,,	119	,,	बड़े शहरों में भाषायी अल्पसंख्यकों को शिव सेना जैसे साम्प्रदायिक तत्वों के हमलों से रक्षा करने में असफलता।	,,
,,	139	श्री वयालार रवि	कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध जांच आदेश देने के साथ-साथ पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले वापस लेने का निर्णय।	,,
,,	140	,,	पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले वापस लेने में किया गया भेद-भाव।	,,
,,	68	श्री एम० कल्याणसुन्दरम	नक्सलवादियों सहित सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने तथा उनके विरुद्ध चल रहे सभी मामले वापस लेने की आवश्यकता।	,,
	69		नक्सलवादियों को दिये गये मृत्यु-दंड को हटाने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	70		मृत्युदंड हटाने की नीति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें।
,,	71	,,	पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस आश्वासन की दृष्टि से कि अंग्रेजी को तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक गैर-हिन्दी भाषी लोग चाहेंगे, केन्द्र तथा राज्यों में राजभाषा सम्बन्धी नीति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता।	,,
,,	73	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक दुबलताएं दूर करने की आवश्यकता।	,,
54	76	श्री एम० कल्याण सुन्दरम	हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को जमींदारों तथा उनके कारिंदों के हमलों से बचाने के लिये पुलिस के लिये आचार संहिता बनाने की आवश्यकता।	,,
56	89	श्री एम० कल्याण-सुन्दरम :	अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधायें तथा रियायतें उन लोगों को भी देने की आवश्यकता जो अनुसूचित जातियों से अपना धर्म बदलकर अन्य जातियों में शामिल हो गये हों।	,,
,,	90	,,	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों को अनुसूचित जाति के ईसाइयों पर लागू करके उनकी सामाजिक अड़चनें दूर करने की आवश्यकता।	,,
51	120	श्री के० ए० राजन :	हरिजनों और अन्य अनुसूचित जनजातियों के लोगों को,	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			विशेष रूप से गांवों में, समृद्ध लोगों द्वारा तंग किये जाने और उन पर आक्रमण किये जाने से पर्याप्त बचवा की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
51	121	श्री के० ए० राजन	"दो समूहों" के बीच प्रतिद्विन्दता की आड़ में बेलची में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच कराने में असफलता ।	,,
,,	122	,,	संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यों का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	123	,,	केरल में मोपलाह विद्रोह में, जो स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अंग था, भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन देने की आवश्यकता और राजनीतिक औचित्य ।	,,
,,	124	,,	1946 में ट्रावनकोर की भूतपूर्व रियासत में वयालार-पुन्नापरा विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेन्शन देने की आवश्यकता ।	,,
,,	125	,,	केन्द्रीय पुलिस बल के आकार को कम करने की आवश्यकता ।	,,
,,	126	,,	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों में लेने से पहले पुलिस जांच कराने की नीति को समाप्त करने की आवश्यकता	,,
,,	127	,,	सभी नक्सलवादी कैदियों को बिना शर्त रिहा करने और सभी दोषी नक्सलवादी	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आधार	कटौती की राशि
			कैदियों की सज़ाओं, मृत्युदंड सहित, कम करने और उनके विरुद्ध चलाये गये सभी मुकद्दमों को वापस लेने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
51	128	श्री के० ए० राजन	केन्द्र तथा राज्यों में यह गारन्टी देते हुए कि जब तक गैर-हिन्दी भाषी लोग चाहेंगे अंग्रेजी को जारी रखा जायेगा, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
,,	129	,,	जेलों में हालात सुधारने की दृष्टि से जेल सुधार आरम्भ करने के लिये तथा हिरासत और जेलों में रखे गये कैदियों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिये कार्यवाही आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	130	,,	सभी स्वतंत्रता सेनानियों के पेन्शन सम्बन्धी आवेदन पत्रों का निपटारा करने की आवश्यकता	,,
,,	131	,,	तस्करी, चोर-बाजारी तथा जमाखोरी को रोकने तथा कुख्यात तस्करों द्वारा जमा किये गये धन को जब्त करने के लिये प्रभावी उपाय करने में असफलता ।	,,
,,	132	,,	हाल के विधान सभा चुनावों में, विशेषतः बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजन मतदाताओं को मत देने से रोकने और इस प्रकार उन्हें मतदान के मूलभूत	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			अधिकार से वंचित रखने के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
51	133	श्री के० ए० राजन	गत कुछ महीनों में हरिजनों पर किये जाने वाले हमलों में वृद्धि तथा उन्हें पर्याप्त संरक्षण देने की आवश्यकता ।	,,
,,	134	,,	सभी सार्वजनिक क्षेत्रों तथा आर्थिक कार्यकलापों में भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट पद्धतियों का उन्मूलन करने हेतु पर्याप्त तंत्र बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	135	,,	संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस हिरासत में ली गयी महिलाओं को तंग किये जाने, उनके साथ अत्याचार तथा बलात्कार किये जाने को रोकने के लिए कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	136	,,	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में बिगड़ती हुई विधि तथा व्यवस्था की स्थिति ।	,,
,,	137	,,	संघ राज्यक्षेत्रों में पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को तंग किये जाने तथा उनके साथ अत्याचार किये जाने के जिम्मेदार सभी पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कठोर तथा सुप्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,

Shri Ramanand Tiwari (Buxar) Sir, police department comes under Home Ministry and the working of police department is of vital importance for the country as well as society. It is a motter of concern that even today the police is functioning under the old British Police Act, of 1861.

Just now Dr. Karan Singh was speaking. May I just ask him where he had been when in the whole of Bihar, Harijans were being shot by branding them Nexalites.

During the past few years there has been a steady rise in crimes and crime situation in our country has gone from bad to worse. Such a situation has arisen when people are feeling insecurety of their lives. In 1956 about 5, 84,949 crimes were registered in police stations all over India. In 1960 6,06,363 cases, in 1965, 7,51,615 cases, in 1970 9,55,422 cases in 1973 10,77,171 cases and in 1975 11,56,392 cases were registered.

It is true that there was rise in population also, but the rate of crimes per lakh of population has also increased. While it was 141 per lakh of population in 1950-51, it went upto 188 in 1973.

Belchhi incident should be properly enquired into. In this incident the Harijans were mercilessly beaten by caste Hindus. The culprits should be brought to book and the sufferers should be given justice.

I agree that corruption is rampant in police department. But when the Prime Minister, the Chief Ministers and the ministers of a country are corrupt, naturally the officers and employees will also be corrupt. Because corruption percolates from top to bottom.

During this period the expenditure on police has risen phenomenally. This expenditure on police which was about Rs. 43 crores in 1950-51 jumped to Rs. 689 crores in 1975-76. It is a sad commentary on the working of the previous Government inspite of the fact that there was emergency and police were given extraordinary powers. Heinous crimes were committed against poor people during that period.

There was a strike by P.A.C. some years ago. Some policemen in Delhi went on a strike in 1967. A number of police personnel were dismissed as a result of those strikes. They have not been taken back to tnis day. I would urge upon the Government that all those people should be reinstated.

During emergency while 4000 policemen were compulsorily retired on the ground of inefficiency and corrupt practices, in my state of Bihar not a single I.P.S. officer was retired compulsorily. This attitude of that Government was discriminatory against the poor policemen.

While it is necessary to revise the Police Act of 1861, I would request the Minister to appoint a Police Commission to go into the conditions of service of police constables etc. and suggest ways and means for improving these conditions. Meanwhile, I would suggest that all police constables should be given accommodation. There are still many police stations which do not have light, fans and even chairs. Government mustensure basic amenities for our policemen in all police stations.

Police constables are required to be on duty for more than 12 hours. They have no Sundays and holidays. There are no fixed hours of duty for them. I would, therefore, suggest that they should be allowed two months leave in one year or alternatively they should be given two months additional salary.

Border Security Force is a para-military force, primarily meant for the security of our borders. But it is treated at par with police force so for as their salary and emoluments are concerned. This is not fair. They must be treated at par with their counterparts in the armed forces.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस प्रतिवेदन में जिन मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें अनुपूरक प्रतिवेदन में दिखाया जायेगा किन्तु खेद है कि हमें अभी तक अनुपूरक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

[**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी पीठासीन हुए**
Shri Pridib Kumar Chaudhri *in the Chair*]

गृह मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय बताया गया है । मैं तो इतना कहूंगा कि यह मंत्रालय महत्वपूर्ण ही नहीं वरन यह सब मंत्रालयों की धुरी है जिसके चारों ओर अन्य मंत्रालय है जो इस पर आधारित है ।

जनता सरकार का पहला काम यह है कि वह प्रशासन में पूरी तरह नया पन लाये ताकि यह नया प्रशासन नए युग की नई आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

10 वर्ष पूर्व तात्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई थे। मैं भी इस आयोग का सदस्य था। इस आयोग के निर्देशपद बड़े व्यापक थे। उसमें कहा गया था कि आयोग पुलिस सेवा की उच्चतम स्तर की कार्य-कुशलता और गरिमा की आवश्यकता तथा सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करने में और सामाजिक आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने में प्रशासन को सक्षम बनाने पर विचार करेगा। इस आयोग ने लगभग 20 प्रतिवेदन तैयार किए हैं। किन्तु उनमें से केवल 8 प्रतिवेदनों का सरकार ने विश्लेषण किया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह सभा के समक्ष एक विस्तृत वक्तव्य दें जिसमें यह बताया जाये कि किस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है तथा कौन सी सिफारिश अस्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त किन-किन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में होने वाली प्रगति पर ध्यान रखने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकायुक्त और लोकपाल नियुक्त करने की सिफारिश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सिफारिशों को लागू करने की सुविधा के लिए एक तंत्र की नियुक्ति हेतु प्रतिवेदन में एक विधेयक का प्रारूप भी जोड़ा गया था। किन्तु दुर्भाग्य से यह विधेयक लोक सभा में पारित नहीं हो सका।

हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में भी हमने वादा किया था कि लोक पाल विधेयक इस सत्र में पेश किया जायेगा। मुझे आशा है कि यह वादा पूरा किया जायेगा और इसे इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही सभा में पेश कर लिया जायेगा।

आशा है कि दल-बदल विरोधी विधेयक, जिसके लिए एक समिति नियुक्त की जा चुकी है, शीघ्र ही पारित कर दिया जायेगा। भूतपूर्व सरकार ने इस विधेयक को दो बार पेश किया था किन्तु उसे वापस ले लिया गया। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा जाये। हमें इस विधेयक को संसद में शीघ्राति-शीघ्र पारित करके एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए।

केन्द्र राज्यों के सम्बन्ध का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। किसी भी संघीय ढांचे में केन्द्र में जिस दल की सरकार होगी यह आवश्यक नहीं कि राज्यों में भी उसी दल की सरकारें हों। और यह अच्छा भी है कि केन्द्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकारें न हों। इस बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की थी। किन्तु इन 3 वर्षों में सरकार का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। इसकी पूर्णतया उपेक्षा की गई। क्योंकि समय-समय पर अन्तर्राज्यीय विवाद तथा राज्य के केन्द्र के साथ विवाद होते ही रहते है। इस परिषद की अवश्य स्थापना की जानी चाहिए ताकि समय-समय पर उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों को हल किया जा सके।

आपात स्थिति के काले दिनों के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर लगातार अत्याचार किए गए। सभी यातना कक्ष तथा जेल समाप्त किए जायें और पुलिस को कहा जाये कि वह किसी भी मामले की जांच वैज्ञानिक तथा सभ्य तरीके से ही करे।

गृह मंत्री के पुलिस आयोग नियुक्त करने के सुझाव से मैं सहमत हूं। आशा है कि ऐसा शीघ्र ही हो जायेगा। इसके साथ ही या तो जेल सुधार आयोग भी बनाया जाये या एक ही आयोग दोनों काम देखे।

आपात स्थिति की घटनाओं के सम्बन्ध में माथुर आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाना चाहिए । क्योंकि लोग गवाही देने से डरते है । गृह मंत्री को इस बारे में कदम उठाने चाहिएं ।

यदि अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध ने सामान्य रूप में काम किया होता तो यह बहुत ही उपयोगी संगठन सिद्ध होता किन्तु यह श्रीमती गांधी का व्यक्तिगत संगठन बनकर रह गया । और इतना भयानक राक्षसी हो गया कि उसने वहां भी हाथ डाला जहां इसका कोई काम नहीं था । हमारी गुप्तचार संस्थाए किसी के लिए व्यक्तिगत सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बंधों की बात है, मुझे आशा है कि राज्यपाल अपने आपको केन्द्र के केवल एजेन्ट ही नहीं समझेंगे। क्योंकि उनकी भी अपनी संवैधानिक स्थिति है और उन्हें संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के रूप में कार्य करना चाहिए । उन्हें स्वयं को केन्द्र या राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री का एजेन्ट नहीं समझना चाहिए ।

भूतपूर्व गृह मंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में भरती नागरिकों का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन समिति की नियुक्ति की थी। अब इस समिति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर कोई नई समिति गठित की जानी चाहिए। क्योंकि उस समिति में कुछ ऐसे लोग थे जो इस सभा या दूसरी सभा के सदस्य नहीं रहे ।

कई ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी न होकर भी पेंशन ले रहे है । ऐसे मामलों की जांच की जानी चाहिए और उन लोगों की पेंशन बंद कर दी जानी चाहिए । 1975 से 1977 की आपात स्थिति के दौरान दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानियों को भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाये और उन्हें भी वही सुविधाएं दी जायें । तथा 30 और 40 वर्ष की आयु वाले लोगों को पेंशन दी जाये ।

अंदमान-निकोबार द्वीप समूह को अधिक ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए । आशा है कि 1977 के अन्त तक ऐसा कर दिया जायेगा ।

आज भी हरिजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार किए जा रहे है । अभी बेलची में जो दुर्घटना हुई है, वह हृदय-विदारक है । प्रश्न यह है कि इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाये ? मेरा सुझाव है कि ग्राम स्तर पर जन समितियां बनाई जायें जोकि ऐसी घटनाओं पर निगरानी रख सकें ।

एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय समझौते की बात की है । वे स्वयं अपने दिलों को टलोलें कि क्या ऐसा संभव है ? यदि वे ऐसा सच्चे हृदय से कह रहे है तो हम अपनी राष्ट्रीय समस्या के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाने में खुश होंगे । किन्तु ऐसा केवल तभी होगा जबकि वे लोग चाण्डाल चौकड़ी का नेतृत्व अस्वीकार कर देंगे । कांग्रेस के सदस्य हमें यह आशवासन दें कि वे भविष्य में ऐसा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : सत्ता ग्रहण करते ही वाक-स्वतन्त्रता, सभा आयोजित करने को स्वतन्त्रता तथा मूलभूत अधिकारों को पुनः नागरिकों को देने के लिए गृह मंत्री तथा जनता सरकार बधाई की पात्र है। मूल स्वतन्त्रता प्रदान करके जनता पार्टी ने देश में पुनः लोकतन्त्र की स्थापना की है । किन्तु 'आंसुका' को अभी भी नहीं हटाया गया है । 'आंसुका' में पकड़े गए कई

[श्री मुकुन्द मंडल]

लोग अभी भी जेलों में हैं। उन्हें तत्काल रिहा किया जाये और 'आंसुका' समाप्त किया जाये।

कश्मीर में चुनावों से पहले सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग लोगों को डराने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस अत्याचार समाप्त होने चाहिएं। आपात स्थिति के दौरान पुलिस का उपयोग जनता को आतंकित करने और डराने-धमकाने के लिए किया गया। पुलिस के रवैये में परिवर्तन होना चाहिए।

भारत में राजन मामले जैसे अनेकों मामले हुए हैं। लगता है कि राजन मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस की मदद से कई हत्याएं की गई हैं। इन सब मामलों की जांच की जानी चाहिए। गुजरात में श्रमिकों के प्रति पुलिस के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3 जून को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भिलाई में दिल्ली-रझेड़ा आयरन ओर माइन्स के 8 ठेका कर्मचारी मारे गए। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। यद्यपि यह मामला राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है तो भी केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में मौन नहीं साधना चाहिए। लोगों के लोकतांत्रिक आन्दोलनों को दबाने के लिए पुलिस या अर्ध सेना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा भारत के विभिन्न भागों में जो अत्याचार किए गए हैं उसका मंत्रालय के प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हमें पता है कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस ने कितने अत्याचार किए हैं इस बल को राज्यों में इस उद्देश्य से नहीं भेजा जाना चाहिए कि वे वहां जाकर उन लोगों पर अत्याचार करें जो अपनी उचित मांगों के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस महाराजाओं तथा जमींदारों के हितों की रक्षा करती थी और कांग्रेस शासन के दौरान पुलिस ने एकाधिकारियों की रक्षा की है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस ने पश्चिम बंगाल में बहुत अत्याचार किए हैं। केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्यों में नहीं भेजनी चाहिए।

1970–71 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पुलिस पर 329 क़रोड़ रुपए खर्च किए गए। किन्तु 1976–77 में यह खर्चा बढ़ कर 689 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 109 प्रतिशत है। वर्षानुवर्ष इस तरह के व्यय में वृद्धि होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि 1976–77 में योजना व्यय में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि गैर-योजना व्यय में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1947 से 1976 तक पुलिस की संख्या में 80 गुना वृद्धि हुई है। जहां तक पुलिस की भर्ती तथा उस पर होने वाले व्यय का सम्बन्ध है, इस मामले में पुरानी तथा नई सरकार में कोई अन्तर नहीं है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों के हित में कार्य नहीं कर रहा। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इसके अन्तर्गत जो पुलिस कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने जनता पर क्या-क्या अत्याचार किए हैं।

अपातकालीन स्थिति के दौरान जेलों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी । कैदियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । अतः इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाये जाने चाहिएं और जेलों की दशा में सुधार किया जाना चाहिए ।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएं। चाहे वे अलग-अलग दलों के ही क्यों न हों । केन्द्रीय सरकार को वित्त इत्यादि सभी प्रकार से राज्यों की सहायता करनी चाहिए । जब तक केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे तब तक कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा ।

हरिजनों और गरीबों पर निरन्तर अत्याचार किए जा रहे हैं । भूमिहीनों को भी पीटा जाता है जब तक भूमि सुधार उचित रूप से लागू नहीं किया जायेगा तब तक इन लोगों की दशा में सुधार नहीं हो पायेगा । इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं ।

दूसरी बात यह है कि गरीब आदिवासियों ने जंगलों को साफ करके वहां की भूमि कृषि योग्य बनाई है किन्तु उसके बाद जमींदारों ने उस भूमि पर अधिकार कर लिया । इस तरह इन गरीबों का शोषण किया जाता है । इन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The record of 100 day's rule of the Janata Party is creditable Any democratic party can be proud of such a record.

The first great achievement of the Janata Party is the establishment oft he rule of law in the country. Democracy has been completely restored. Every body in the country has heaved a sigh of relief after the tyranical and dictatorical rule of the previous Government.

The Congress Party has suffered the most because of emergency. If this party wants to reform itself they should own their mistakes and admit the excesses committed by them during the emergency.

The Home Minister deserves congratulations for the Government's decision to bring forward a Bill to set up the institution of Lok Pal. It is really welcome that Lok Pal will have the authority to go into charges against even the Prime Minister and the Chief Ministers.

The Government will protect those who obey the laws. But at the same time the Government should deal firmly with anti-social elements. There is need for tightening the administrative machinery.

The Home Minister has issued a circular to State Governments about two months back to constitute fact-finding Committees to go into excesses committed during the emergency in their States. Reports of these Committees are to come to Shah Commission for its assistance. It is learnt that certain State Governments have not constituted these Committees. The Home Minister should take up the matter with the Chief Ministers concerned so that these Committees are set up soon.

At present there is atmosphere of communal harmony in the country. There is a welcome spectacle of emotional integration in the country. It is really creditable for the Janata Government that there was not a single communal riot in the country during 100 days of its rule.

There are cases against certain persons in connection with communal riots which took place earlier. These cases should be withdrawn so that the present atmosphere of communal harmony is further strengthened.

The former Prime Minister had set up a Constitutional dictatorship in the country taking advantage of emergency provisions of the Constitution. These emergency provisions should be recast so that they are not misused in future for ushering in dictatorship in the country. Rights of *habeas corpus*, equality before law and sanctity of life should be guaranteed in the Constitution. These rights should in no circumstances be taken away.

It should be provided in the Constitution that imposition of emergency will have to be passed by 3/4th majority in Parliament and that this would be to have approved by Parliament with 3/4th majority after every three months.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

The Acting President had delayed signing of the Ordinance for dissolving State Assemblies. This situation arose because of a lacuna in our Constitution. Such lacunae should be removed.

Khosla Commission has recommended the appointment of a Police Commissioner for Delhi. This recommendation should be implemented soon. More housing facilities should be provided to police personnel in Delhi.

There is multiplicity of authorities in Delhi. Steps should be taken to reduce the number of authorities in Delhi. More powers should be given to the Metropolitan Council which is at present nothing mere than a debating society, Services. budget etc. should also be brought under purview of the Metropolitan Council.

The financial position of Delhi Municipal Corporation is not good. The Central Government should give financial assistance of Rs. 10 crores to the Corporation so that it can start functioning properly.

The N. D. M. C. is the same old body. It should be reconstituted with new members.

Jail Manual in Delhi is very old. It should be changed.

The previous Government had charged 10 lakh rupees for giving some land near Sisganj Gurdwara for erecting a memorial to Shri Guru Teg Bahadur. It was not proper to get money for giving land for such a notable cause. This money should be refunded by the Government.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : मणिपुर का नाजुक क्षेत्र जो कभी हथकरघों के कारण चर्चा का विषय था, अब दिल्ली में उच्चस्तर पर की जा रही दुरभिसन्धि एवं षड्यंत्र के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हो रहे दल-बदल के लिए चर्चा का विषय बन गया है । अन्य राज्यों में जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है अतः उन्हें मणिपुर में दल-बदल को प्रोत्साहन देकर उक्त क्षेत्र की स्थिरता को खराब नहीं करना चाहिए ?

जहां तक मणिपुरी भाषा का सम्बन्ध है यह भाषा पूरे क्षेत्र, घाटी एवं पहाड़ी क्षेत्र की सम्पक भाषा है, यह भाषा लगभग एक लाख लोगों द्वारा बोली जाती है और इसका शब्द भन्डार भी अच्छा है । इस भाषा में महाभारत, रामायण, गीता और उपनिषदों का अनुवाद किया गया है । यदि सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में रखा जा सकता है तो इस भाषा को क्यों नहीं रखा जा सकता ?

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के लिए विशेष आरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं । ऐसी ही सुविधाएं आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को भी दी जानी चाहिएं, जिन्हें कि अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने पिछड़ी जातियों के साथ सम्पर्क बनाये रखा था तथा वह उनके बारे में समय-समय पर मूल्यांकन भी किया करती थी । जनता सरकार को भी इन पिछड़ी जातियों की रक्षा करने के लिए प्रयास करने चाहिएं क्योंकि वे जातियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में उन्हें विशेष कोटा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए । यह काम तभी हो सकता है जब कि गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय व्यापक कार्यक्रम शुरू करें । इसके साथ-साथ शिक्षा का भी विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए । विभिन्न मंत्रालयों को मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना होगा जिससे इन क्षेत्रों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सके । यदि ऐसा किया जायेगा तो उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है ।

Shri Phirongi Prasad (Bansgaon) : It is a quite fair and expedie t that some amount will be give to the dependent families of detenus under emergency. There is a provision in MISA itself that dependent families of detenus be paid some amounts. It is appreciable that the Janata Party Government now propose to implement it.

It has been said that MISA would be enforced only against economic offenders, but it is most painful to find that the previous Government used it against politicians as well.

The appointment of various enquiry Commissions should not cause any worry to members of the Congress Party because they will have far reaching impact. During the emergency atrocities of a very grave nature were committed in U.P. and any probe into them should not disturb the opposition members.

The Janata Party Manifesto declared that full protection will be given to Harijans and Backward Communities. In accordance with that, the quota of seats reserved for them in the services should be filled.

It is said that atrocities are being committed against Harijans, but the real story is that during the Congress rule when Harijans went to occupy the land allotted to them, the big landlords were very much annoyed and they indulged in violent att cks on them. The Janata Party should now look into such affairs.

The Janata Government is committed to provide a clean administration. It can not be denied that there is wide-spread corruption in administration, but it percolates from above to the bottom. So strong measures have to be taken to root out corruption at higher levels.

***श्री बी० एस० एलनचेजियान** (पुद्दूकोट्टाई) : हमारा देश 60 करोड़ की आबादी का देश है जहां विभिन्न भाषाओं तथा जातियों के लोग रहते हैं। भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वह संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आधुनिक सभ्यता को भारत की एक देन यह है कि यहां अनेकता में एकता है। मैं राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

तमिलनाडु के लोगों , विशेषकर गैर-हिन्दी भाषी लोगों में यह आशंका घर करती जा रही है कि जनता सरकार गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपने का प्रयास करेगी। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 में क्या हुआ था। 1965 में हिन्दी थोपने के विरोध में तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने आत्म-दाह किया था स्वयं पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। मैं जनता सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि उन्होंने गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपने का प्रयास किया तो देश की एकता तथा अखंडता को खतरा पहुंच सकता है।

पंडित नेहरू ने कहा था कि जब तक गैर-हिन्दी भाषी हिन्दी को स्वाकार नहीं करेंगे तब तक यह भाषा उन पर नहीं थोपी जाएगी। किन्तु उन्हें आशंका है कि इस आश्वासन का उल्लंघन किया जाएगा। जनता सरकार को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए और उसमें पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन को सम्मिलित करना चाहिए।

हाल के चुनावों मे अणाद्रमुक दल को बहुमत मिला है कि और दूसरा स्थान द्रमुक का आया है। तमिलनाडु के लोगों को पता है कि ये ही दल उन्हें हिन्दी थोपे जाने से बचा सकते हैं।

---

*तामिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi translation based on the English version of the speech delivered in Tamil.

[श्री वी० एस० एलनचेजियान]

1971 की जनगणना के अनुसार देश के केवल 13 करोड़ लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा माना था और लगभग 40 करोड़ लोगों ने अन्य भाषाओं को।

यदि हिन्दी लादी गई तो बहुसंख्या वाले लोग यही महसूस करेंगे कि अल्प संख्या वाले लोग उन पर हावी हो रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि श्री नेहरू के बचन को कानूनी रूप दिया जाए।

यदि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए लालायित है तो समय आ गया है कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर फिर से विचार किया जाए। यह सच है कि राज्य सरकार का दर्जा इस समय अनुचरक के समान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विदेशी सरकार राज्य परियोजना के लिए सहायता देती है तो केन्द्र सरकार इसे राज्य सरकार को दिया गया ऋण समझती है और इसे ब्याज सहित वसूल करती है। तमिलनाडु में कुण्डाह बिजली परियोजना के लिए कनाडा सरकार ने सहायता के रूप में मशीनरी दी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने मशीनरी की लागत राज्य सरकार के नाम डाल दी और ब्याज सहित राशि वसूल कर ली।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं। लोग राज्य सरकारों के सिर दोष मंढ़ते हैं। अपराध कोई करता है और सजा कोई और भुगतता है। मुद्रा की सप्लाई केन्द्र सरकार के हाथ में है अतः राज्य सरकार क्या कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार के पास सारी शक्तियां हैं और परिणामस्वरूप राज्य सरकारें अपना कर्तव्य नहीं निभा पातीं। केन्द्र सरकार ऐसे अधिकारों को आगे देने पर विचार करे जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिले। राज्य सरकारें लोगों के निकटस्थ प्रतिनिधि हैं अतः उन्हें लोगों के कल्याण के लिए प्रभावशाली कार्य कर सकने के लिए अधिकार देने चाहिएं।

जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का प्रश्न है देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत भाग के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर केवल 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लगभग 12 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यदि इनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी हैं तो केन्द्र सरकार को इस राशि में वृद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार कुल जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों को नौकरी के अवसर भी नहीं मिल रहे। केन्द्र सरकार इनके साथ न्याय करे तथा दलित वर्गों पर उचित ध्यान दे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Bhan Kuumar Shastri (Udaipur) : During the month of June when the emergency was promulgated the then Home Secretary was asked to prepare some false documents in order to give legal justification to emergency. The Home Secretary declined to do it. Therefore the then Chief Secretary of Rajasthan was called and he was asked to prepare those documents, which he did. I would like to know from the Government what action has been taken against these officers who were involved in preparing such false documents during emergency.

Parties may come and go. Congress Party which ruled the country for years had to go. Janata Party which is ruling the country today will have to go one day. But democracy must continue. No person whatever position be held should be allowed to suppress democracy.

During emergency extraordinary powers were given to authorities. Under these powers they had committeed atrocities on our peopele. Poor people had been tortured and assaulted. I will urge upon the Minister that all such authorities who had misused their power during emergency must be dealt with severely.

The Collector of Sawai Madhopur who is an IAS officer was accused of bribery and corruption. He was suspended under the orders of State Government. But when his case is referred to Centre it asked for a review of the case with the result that he was exenerated of all the cases. Such things should not be allowed to be done.

There is a case which involved bungling and mis-appropriation of lakh of rupees from Hindustan Zinc Ltd. The case is being investigated by C. B. I. But under instructions from the Centre the inquiry was called off. The Minister should look into it.

The present jail manual should be modified. Women prisioners should not be handcuffed and chained. This is a disgrace to womenhood. Government must see that such things are not allowed to happen .

There is lot of corruption going on in National Labour Institute. It has got a budget of 20 lakh rupees, but proper account is not being maintained by the administration. Money is being drawn on false grounds.

With these words I support the demands of grants of the Home Ministry.

श्री जगन्नाथ राव (बेरहामपुर) : गृह मंत्रालय को सरकार में बहुत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यपालिका को वृहद् शक्तियां प्रदान की गई हैं और संविधान निर्माताओं ने यह अत्यधिक शक्तियां जान-बूझ कर उसे प्रदान की क्योंकि वह देश में विविधताओं के रहते हुए भी एकता कायम करना चाहते थे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के पिछले 30 वर्षों में हमारा देश अधिक शक्तिशाली बना है । गृह मंत्रालय का कार्यभार अब तक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा सम्भाला जाता रहा है और हमें वर्तमान गृह मंत्री में पूरी आस्था है, हम आशा करते हैं कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा पूरा निभाएंगे । क्योंकि एक बार जो वह निर्णय कर लेते हैं उसे वह पूरा करके दिखाते हैं।

जनता सरकार ने सत्ता सम्भालते ही आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों एवं अत्याचारों की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किए हैं। इन आयोगों को कहा जाए कि वे जल्दी काम करें और छः महीनों में जांच पूरी कर लें। कुछ दिन पूर्व न्यायमूर्ति श्री माथुर ने कहा था कि वह मारूति मामलों की जांच करने में एक वर्ष लेंगे। क्या एक वर्ष आवश्यक है। सारे कागजात व प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसे गवाह भी हैं जो आयोग से समक्ष गवाही देने के लिए तैयार हैं । आयोग को अपना काम 6 महीने में समाप्त कर देना चाहिए । जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एवं उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं न्यायाधीश को शीघ्र से शीघ्र अपना काम पूरा करना चाहिए।

सरकार ने कुछ तथ्यों के आधार पर आपातस्थिति लागू की थी अब इस प्रश्न पर विचार करने का क्या लाभ कि आपात स्थिति लागू की जानी चाहिए थी अथवा नहीं। अच्छा यही होगा कि अतीत को भुला दिया जाए समय बड़े बड़े घावों को भर देता है । आपातस्थिति के दौरान कई ज्यादतियां हुई, लोगों पर अत्याचार किए गए। सारे तथ्य आयोग के समक्ष आयेंगे और आयोग अपना प्रतिवेदन भी देगा। अतः इस स्थिति में आपात स्थिति पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं।

[श्री जगन्नाथ राव]

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपातस्थिति प्रावधान को बने रहना देने चाहिए क्योंकि सरकार के पास भी यही एक हथियार है। पर इस पर कुछ अंकुश होना चाहिए। इस प्रावधान में सुरक्षा एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना चाहिए ताकि आपातस्थिति की घोषणा के बाद संसद से हर 6 महीनों के बाद उसको जारी रखने के बारे में स्वीकृति ले ली जाए। आपातस्थिति का प्रावधान तो होना चाहिए पर इस पर अंकुश होना चाहिए ताकि इसका सही और सीमित समय के लिए प्रयोग किया जा सके।

देश में नैतिकता का अभाव है। हम आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य भूल चुके हैं। यही कारण है कि हमारा राष्ट्र कमजोर हो गया है। एक बार इन बातों भुला दिया जाए अथवा हमारी नैतिकता कमजोर पड़ जाए तो कोई भी राष्ट्र अधिक देर तक नहीं जी सकता। अतः वर्तमान सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों में बचपन से ही आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का बीज बोए। हमारे राष्ट्र में अनुशासन आ जाएगा।

मुख्य मंत्रियों या मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक सही प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि इनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो गृह मंत्री, प्रधान मंत्री या वरिष्ठ मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए और सम्बद्ध मंत्री का स्पष्टीकरण मांगने के बाद इस बात का पता लगाना चाहिए कि आरोप सही है या नहीं। उसके बाद जांच आयोग नियुक्त किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय को भ्रष्टाचार निवारण तंत्र के रूप में काम करना चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार लोकपाल विधेयक पेश कर रही है। जनजीवन को स्वच्छ बनाने के लिए भ्रष्टाचार समाप्त करना ही होगा। विधान सभा के मंत्रियों के विरुद्ध दिन प्रतिदिन शिकायतें मिलना देश के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दिया और हम आशा करते हैं वह यहां भी स्वच्छ प्रशासन कायम करेंगे और भ्रष्टाचार का अन्त होगा।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का स्तर गिरता जा रहा है। सभी अधिकारियों का विकासोन्मुख दृष्टिकोण नहीं है। कुछ अधिकारी जिनकी नियुक्ति जिलों में की गई जिले के विकास में वास्तव में रूचि रखते हैं लेकिन कुछ अधिकारियों की इसमें बिल्कुल रूचि नहीं है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा की जानी आवश्यक है और परीक्षा पास करने के बाद उन्हें कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अधिकारियों में विकासोन्मुख भावना और साथ ही यह भावना कि वे देश के अंग हैं भरनी होगी।

पता चला है कि नियमों में संशोधन करने का विचार है ताकि कोई भी अनुभाग अधिकारी तब तक अवर सचिव नहीं बन सकता जब तक कि उसने 7 वर्ष की नौकरी पूरी न कर ली हो। मैं चाहता हूं इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं देना चाहिए ताकि जो लोग इस नियम के लागू होने से पूर्व अवर सचिव बन चुके हैं उन पर प्रभाव न पड़े।

एक पुलिस आयोग नियुक्त करने की घोषणा की गई है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। पुलिस अधिकारियों को सही प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें यह महसूस हो कि वे एक कल्याणकारी राष्ट्र के नागरिक हैं और दाण्डिक कानून का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है, उसे जीवन भर के लिए अपराधी बनाना नहीं है। पुलिस को जांच के दौरान घटियां किस्म के तरीके नहीं अपनाने चाहिएं और न हीं सताना चाहिए।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : My hon'ble friend from Manipur has just stated that Congress party has not been competely rooted out but I would like to tell him that the days of this party are numbered. The leader of the party was not interested in the welfare of country. She did not want to leave the chair at any cost. It would have been graceful if she had resigned herself after the judgement of Allahabad High Court.

During the emergency large number of people including eninent leaders were put in jail. When we were in jail it used to be propagated that the country is marching ahead on the path of progress. When we came out of jails we found that condition of Harijans and other poor people was pitiable. Still there are wide disparities between the rich and the poor. So all fall claims of the gains of emergency are without any basis.

The people of the country have thrown away dictatorship and resorted democracy in the country. Future generations will be grateful to the present generation for this achievement.

Mr. Chairman : How much more time will you take ?

Shri Ram Vilas Paswan : About half an hour.

Mr. Chairman : Then you may continue tommorrow.

इसके पश्चात लोकसभा बुद्धवार 13 जुलाई 1977, 22 आषाढ़ 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesdaty, July 13, 1977/Asadha 22, 1899 (Saka).

मै० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III—2006 एल० एस०—19.10.77—200